ख़वातीन के लिए ज़िन्दगी के तमाम मसाइल का मजमूआ

सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर

मुसन्निफ
मुफ़्ती ख़लील ख़ां बरकाती

सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर कामिल

ख़्वातीन के लिए

ज़िन्दगी के तमाम मसाइल का मजमूआ

लेखक-

मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद ख़लील ख़ां क़ादरी बरकाती मद्दज़िल्लहुल आली

हिन्दी कर्ता-

मौलाना शहादत हुसैन फ़ैज़ी

मकतबा जामे नूर

422, मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली- 6

फोन: 3281418

Rs. 160.00

फेहरिस्त हिस्सा अव्वल

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

الحمد لله الواحد الاحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن
له كفوا احد والصلوة والسلام على حبيبه سيدنا محمد المجيد وعلى
آله واصحابه والتابعين لهم باحسان وعلينا بهم ولحقنا معهم
وفيهم برحمتك يا حنان يا منان

तहारत का बयान

नमाज़ के लिए तहारत (पाकी) ऐसी ज़रूरी चीज़ है कि बग़ैर उसके नमाज़ नहीं होती। बल्कि जान बूझकर बग़ैर तहारत नमाज़ अदा करने को उलेमाए किराम कुफ्र लिखते हैं हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि जन्नत की कुंजी नमाज़ है और नमाज़ की कुंजी तहारत। (इमाम अहमद)

एक रोज़ नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सुबह में सूरः रूम पढ़ते थे कि मुतशाबिहा लगा। यानी क़िरआत में शुबहा पड़ा। बाद नमाज़ इर्शाद फ़रमाया क्या हाल है, उन लोगों का जो हमारे साथ नमाज़ पढ़ते हैं और अच्छी तरह तहारत नहीं करते। उन्हीं की वजह से इमाम को क़िरआत में शुबहा पड़ता है''। (नसई शरीफ़)

तो जब बग़ैर कामिल तहारत नमाज़ पढ़ने का वबाल यह है तो बे तहारत नमाज़ पढ़ने की नुहूसत का क्या पूछना। यह तो इबादत की बे अदबी व तौहीन है और उसका नतीजा मालूम। मौला अज़्ज़ोजल अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तुफ़ैल हर मुसलमान का ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाये। आमीन०

तहारत की दो क़िस्में हैं।

(१) तहारते सुग़रा (२) तहारते कुबरा

तहारते सुग़रा वुज़ू है और तहारते कुबरा गुस्ल

जिन चीज़ों से सिर्फ़ वुज़ू लाज़िम आता है उन को हदसे असग़र कहते हैं। और जिन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ हो उनको हदसे अकबर कहा जाता है। (आमए कुतुब)

चन्द ज़रूरी इस्तलाहें

१. **फ़र्ज़:** वह बात कि बे उसके किए आदमी बरीउज़्ज़िम्मा न होगा। यहां तक कि अगर वह किसी इबादत में है तो बे उसके बातिल व माअदूम होगी। उसका छोड़ना गुनाहे कबीरा है।

२. **वाजिब :** वह कि बे उसके किए भी बरीउज़्ज़िम्मा होने (छुटकारा पाने) का एहतिमाल है मगर ग़ालिब गुमान उसकी ज़रूरत पर है और अगर किसी इबादत में उसक बजा लाना दरकार हो तो इबादत बे उसके नाक़िस रहे। किसी वाजिब का एक बार भी क़सदन छोड़ना गुनाहे सग़ीरा है और चन्द बार छोड़ना गुनाह कबीरा।

३. **सुन्नत मोवक्किदा:** वह जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमेशा किया हो अलबत्ता कभी तर्क भी फ़रमाया दिया हो (न किया हो) या वह कि उसके करने की ताकीद फ़रमाई उसका करना सवाब और न करना बहुत बुरा यहां तक कि जो उसके छोड़ने की आदत डाल ले वह अज़ाब का मुस्तहिक़ है।

४.**सुन्नत ग़ैर मोवक्किदा:** वह कि उसका छोड़ना शरीअत को पसन्द नहीं। उसका करना सवाब और न करना अगरचें बतौर आदत हो अिताब का मोअजिब नहीं।

५. **मुस्तहब:** वह जिस का करना शरीअत को पसन्द है मगर न करने पर कुछ नापसन्दी न हो उसका करना सवाब और न करने पर मुतलकन कुछ नहीं।

६. **हराम कृतई:** यह फ़र्ज़ का मुकाबिल है उसका एक बार भी कसदन करना गुनाह कबीरा व फ़िस्क है और बचना फ़र्ज़ व सवाब।

७. **मकरूह तहरीमी:** वह कि उसके करने से इबादत नाकिस हो जाती है और करने वाला गुनाहगार होता है। और चन्द बार उसका करना गुनाहे कबीरा होता है।

मकरूह तनज़ीही: वह जिसका करना शरीअत को पसन्द नहीं मगर न उस हद तक कि उसके करने पर अज़ाब आये।

वुज़ू का बयान

अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ
اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ

यानी 'ऐ ईमान वालो जब तुम नमाज़ पढ़ने का इरादा करो तो अपने मुंह और कोहनियों तक हाथों को धोओ और सरों का मसह करो और टखनों तक पावं धोओ''।

चन्द अहादीसे करीमा

हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इर्शाद फ़रमाते हैं।

१. कियामत के दिन मेरी उम्मत उस हालत में बुलाई जायेगी कि उनके मुंह और हाथ आसारे वुज़ू से चमकते होंगे तो जिससे हो

सके चमक ज़्यादा करे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

२. मुसलमान बन्दा जब वुज़ू करता है तो कुल्ली करने से मुंह के गुनाह गिर जाते हैं और जब नाक में पानी डाल कर साफ़ किया तो नाक के गुनाह निकल गये। और जब हाथ मुंह धोये तो हाथों के गुनाह निकले यहां तक कि पलकों के निकले और जब सर का मसह किया तो सर के गुनाह निकले यहां तक कि कानों से निकले और पांव धोओ तो पांव की ख़तायें निकलें यहां तक कि नाख़ूनों से। फिर उसका मस्जिद को जाना और नमाज़ पढ़ना उसके अलावा है। (मालिक व नसई)

३. जो शख़्स एक एक बार वुज़ू करे तो यह ज़रूरी बात है और जो दो-दो बार करे उसको दूना सवाब है और जो तीन-तीन बार धोये तो यह मेरा और अगले नबियों का वुज़ू है। (इमाम अहमद)

४. जो शख़्स सख़्त सर्दी में कामिल वुज़ू करे उसके लिए दूना सवाब है। (तबरानी)

५. जो शख़्स वुज़ू पर वुज़ू करे उसके लिए दस नेकियां लिखी जायेंगी। (तिर्मिज़ी)

फ़िक़्ही अहकाम

आयते करीमा जो ऊपर लिखी गई है उससे साबित हुआ कि वुज़ू में चार बातें फ़र्ज़ हैं।

१. मुंह धोना

२. कोहनियों समेत दोनों हाथों का धोना।

३. सर का मसह करना।

४. टख़नों समेत दोनों पाव का धोना।

फ़ायदा: १ किसी अजू के धोने के यह मानी हैं कि उस अजू के हर हिस्से पर कम से कम दो बूंद पानी बह जाये। भीग जाने या तेल की तरह चुपड़ लेने या एक आध बूंद बह जाने को धोना नहीं कहेंगे न उससे वुजू या गुस्ल अदा होगा इस बात का लिहाज़ बहुत ज़रूरी है। लोग इसकी तरफ तव्वजोह नहीं देते और नमाज़ें बरबाद जाती हैं। बदन में बाज़ जगहें ऐसी हैं कि जब तक उनका ख़ास ख़्याल न रखा जाये उन पर पानी न बहेगा जिसकी तशरीह हर अजू में बयान की जायेगी।

२. किसी अजू पर तर हाथ फेरने या तरी पहुंचने को मसह कहते हैं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

१. मुंह धोना:- शुरू पेशानी से (यानी जहां तक उमूमन सर के बाल होते हैं) ठोढ़ी यानी नीचे के दांत जमने की जगह तक लम्बाई में और एक कान से दूसरे कान तक चौड़ाई में उस हद के अन्दर जिल्द के हर हिस्से पर एक मर्तबा पानी बहाना फ़र्ज़ है। (रददुलमुहतार)

मसला:- लबों का वह हिस्सा जो उमूमन और आदतन लब बन्द करने के बाद ज़ाहिर रहता है। उसका धोना फ़र्ज़ है। यूंही रुख़सार और कान के बीच में जो जगह है जिसे कनपटी कहते हैं। उसका धोना भी फ़र्ज़ है।

मसला:- नथ का सुराख़ अगर बन्द न हो तो उसमें पानी बहाना फ़र्ज़ है अगर तंग हो तो पानी डालने में नथ को हरकत दे वरना हरकत देना ज़रूरी नहीं। (दुर्रे मुख़्तार रददुलमुहतार)

२. हाथ धोना:- इस हुक्म में कोहनियां भी दाख़िल हैं अगर कोहनियों से नाख़ुनों तक कोई जगह ज़र्रह बराबर धुलने

से रह जायेगी वुज़ू न होगा।

मसलाः– हर किस्म के जायज़ व नाजायज़ गहने छल्ले, अंगूठियां, पहुंचियां, कंगन, कांच लाख वग़ैरह की चूड़ियां, रेशम के लच्छे वग़ैरह अगर इतने तंग हों कि नीचे पानी न बहे तो उतार कर धोना फ़र्ज़ है और अगर सिर्फ़ हिला कर धोने से पानी बह जाता हो तो हरकत देना ज़रूरी है और अगर ढीले हों कि बे हिलाये भी नीचे पानी बह जायेगा तो कुछ ज़रूरी नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसलाः– हाथों की आठों घाईयां, उंगलियों की करवटें, नाख़ुनों के अन्दर जो जगह ख़ाली है। कलाई के बाल जड़ से नोक तक, उन सब पर पानी बह जाना ज़रूरी है अगर कुछ भी रह गया या बालों की जड़ों पर पानी बह गया मगर किसी एक बाल की नोक पर न बहा तो वुज़ू न हुआ मगर नाख़ुनों के अन्दर का मैल माफ़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसलाः– औरतों को फैंसी चुड़ियों का शौक होता है। उन्हें हटा-हटा कर पानी बहायें। (फ़तावा रिज़विया)

सर का मसहः– सर पर बाल न हों तो जिल्द की चौथाई और जो बाल हों तो ख़ास सर के बालों की चौथाई का मसह फ़र्ज़ है। (रददुलमुहतार) सर से नीचे जो बाल लटकते हैं, उनका मसह काफ़ी नहीं।

मसलाः– दोपट्टा पर मसह हर गिज़ काफ़ी नहीं। मगर जब कि दोपट्टा इतना बारीक और तरी इतनी ज़्यादा हो कि कपड़े से फूट कर चौथाई सर या बालों को तर करदे तो मसह हो जायेगा। (बहर वग़ैरह)

४. पांव धोनाः– इस हुक्म में गट्टे भी दाख़िल हैं घाटियां, उंगलियों

की करवटें, तलवे, एड़ियां और कोंचें सब का धोना फ़र्ज़ है। (आमए कुतुब)

मसला:- छल्ले और सब गहने कि गट्ठों पर या उन से नीचे हों उनका हुक्म वही है जो ऊपर बयान किया है। (फ़तावा रिज़्विया)

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

१. आंखों के ढीले और पपोटों की अन्दरूनी सतह को धोना कुछ दरकार नहीं बल्कि न चाहिए कि नुक़सान देता है। (फ़तावा रिज़्विया)

२. जिन आज़ा को धोना फ़र्ज़ है। उन पर पानी बह जाना शर्त है। अगर्चे बिला इरादा अपने फ़ेल से न हो मसलन मींह बरसा और आज़ा वुज़ू के हर हिस्से से दो-दो क़तरे पानी के बह कर गये वह आज़ा धुल गये या फ़ुवार बरसी और चौथाई सर को तरी पहुंच गई तो मसह सर का फ़र्ज़ उतर गया। (दुर्रे मुख़्तार)

3. जिस चीज़ की इंसान को ज़रूरत पड़ती रहती है और उसकी देखभाल और एहतियात में हर्ज हो, उसका नाखुनों के अन्दर या ऊपर या और कहीं लगा रह जाना वुज़ू होने से नहीं रोकता। अगरचे वह चीज़ जर्मदार हो अगरचे उसके नीचे पानी न पहुंचे अगरचे सख़्त चीज़ हो। जैसे पकाने गोंधने वालियों के लिए आटा, औरत के लिए मेंहदी या कोई पलक में सुर्मा काजल, उसी तरह बदन का मैल, मिट्टी, गुबार मक्खी, मच्छर की बीट (दुर्रे मुख़्तार)

४. औरत के हाथ पांव पर मेंहदी का जर्म (तह) लगा रह गया और ख़बर न हुई तो वुज़ू व गुस्ल हो जायेगा। हां जब मालूम हो जाये तो छुड़ा कर वहां पानी बहादे। यूंही सुर्मा आंख के कोये या

पलक में रह गया और ख़बर न हुई तो कोई हर्ज नहीं। (फ़तावा रिज़विया)

५. किसी के माथे पर अफ़शां चुनी हो और ऊपर से पानी बहा दिया हाथ पांव के नाखुनों पर सुर्ख़ी का जर्म (तह) मौजूद है और वुज़ू कर लिया तो वुज़ू न होगा कि ज़रूरत की चीज़ें हैं और न उनकी निगहदाश्त और एहतियात में कोई हर्ज है। लिहाज़ा माथे का गोंद और सुर्ख़ी का जर्म दूर करके वुज़ू व गुस्ल करना चाहिए।

वुज़ू की सुन्नतें

१. नीयत करना

२. बिस्मिल्लाह से शुरू करना।

३. पहले हाथों को गट्टों तक तीन-तीन बार धोना।

४. मिस्वाक करना (यह औरतों के लिए उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सुन्नत है) लेकिन अगर वह न करें तो हर्ज नहीं। उनके लिए मिसी काफ़ी है। उनके दांत और मसूढ़े ब निस्बत मर्दों के कमज़ोर होते हैं। (अलमलफ़ूज़)

५. तीन चुल्लू पानी से तीन कुल्लियां करना।

६. तीन चुल्लू से तीन बार नाक में पानी चढ़ाना।

७. बायें हाथ से नाक साफ़ करना।

८. हाथ पांव की उंगलियों का ख़िलाल करना।

९. जो आज़ा धोने के हैं उनको तीन-तीन बार धोना।

१०. पूरे सर का एक बार मसह करना।

११. साथ ही दोनों कानों का उसी पानी से मसह करना।

१२. तरतीब से वुज़ू करना कि पहले मुंह हाथ धोयें फिर सर का

मसह करें फिर पांव धोयें।

१३. आज़ा को इस तरह धोना कि पहले वाला अज़ू सूखने न पाये (आमए कुतुब)

वुजू के मुसतहिब्बात

१. क़िबला रू ऊंची जगह बैठ कर वुज़ू करना।

२. वुज़ू का पानी पाक जगह पर गिराना।

३. पानी बहाते वक़्त हर हिस्से पर तर हाथ फेर लेना।

४. अपने हाथ से पानी भरना।

५. वुज़ू करने में बग़ैर ज़रूरत दूसरे से मदद न लेना।

६. वक़्त से पहले वुज़ू कर लेना।

७. अंगूठी वग़ैरह को हरकत देना। अगर तंग हो तो हिलाना ज़रूरी है।

८. इतमीनान से वुज़ू करना।

९. दोनों हाथों से मुंह धोना।

१०. हर अज़ू को धोते वक़्त नीयते वुज़ू हाज़िर रहना।

११. बिस्मिल्लाह और दुरूद शरीफ़ वग़ैरह दुआयें पढ़ना।

१२. गर्दन का मसह करना।

१३. वुज़ू से फ़ारिग़ होते ही आसमान की तरफ़ मुंह करके खड़े होकर कलिमा शहादत और *इन्ना अंज़ल्नाहु* पढ़ना।

१४. वुज़ू का बचा हुआ थोड़ा पानी पी लेना।

१५. बग़ैर ज़रूरत बदन को कपड़े से बिल्कुल खुश्क न करना। (आमए कुतुब)

वुज़ू करने का मसनून तरीक़ा

पहले नीयत करके वुज़ू करने, क़िबला रू ऊंची जगह बैठें, वुज़ू का पानी पाक जगह गिरायें और वुज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें फिर दोनों हाथ पहुंचों तक तीन बार धोयें और इसका ख़्याल रखें कि उंगलियों की घाटियां और करवटें पानी बहने से न रह जायें वरना वुज़ू न होगा। फिर तीन मर्तबा मिस्वाक करें। फिर तीन बार इस तरह कुल्ली करें कि मुंह की तमाम जड़ों और दांतों की सब खिड़कियों में ग़रज़ हर बार मुंह के अन्दर और हर पुर्ज़ा पर पानी बह जाये और रोज़ा न हो तो ग़रग़रा करें और कुल्ली या ग़रग़रा दाहिने हाथ से पानी ले कर करें। फिर बायें हाथ की छंगली नाक में डाल कर नाक साफ़ करें और तीन चुल्लू से तीन बार नाक में पानी चढ़ायें कि जहां तक नर्म गोश्त होता है हर बार उस पर पानी बह जाये और रोज़ा न हों तो नाक की जड़ तक पानी पहुंचायें यह काम दाहिने हाथ से करें फिर मुंह धोने के लिये दोनों हाथों से माथे के सिरे पर ऐसा फैला कर पानी डालें कि ऊपर का भी कुछ हिस्सा धुल जाये और दोनों रुख़सार साथ ही साथ धोयें और मुंह पर पानी लम्बाई में पेशानी के बालों की जड़ों से ठोड़ी के नीचे तक और चौड़ाई में एक कान से दूसरे कान तक बहायें। फिर पहले दाहिना फिर बायां, दोनों हाथ कोहनियों तक इस तरह धोयें कि पानी की धार नाखुनों से कोहनियों तक बराबर पड़ती चली जाये। और इसका ख़्याल रखें कि एक रोंगटा भी खुश्क न रहे। अगर पानी किसी बाल की जड़ को तर करता हुआ बह गया और ऊपरी हिस्सा खुश्क रह गया तो वुज़ू न होगा। फिर पूरे सर का मसह करें और उसका तरीक़ा यह

है कि दोनों हाथों का अंगूठा और कलिमा की उंगली छोड़ कर एक हाथ की बाक़ी उंगलियों का सिरा दूसरे हाथ की तीनों उंगलियों के सिरे से मिलायें और पेशानी के बाल पर रख कर गुद्दी तक इस तरह खींचते हुए ले जायें कि हथेलियां सर से जुदा रहें। वहां से हथेलियों से मसह करते हुए पेशानी तक वापिस लायें और कलिमा की उंगली को पेट से कानों के पेट का और अंगूठों के पेट से कानों की पुश्त का और उंगलियों की पुश्त से गर्दन का मसह करें गले पर हाथ न लगायें कि बिदअत है।

फिर तीन-तीन बार पहले दायां फिर बायां दोनों पांव टखने के ऊपर निस्फ़ पिंडली तक धोयें और धोने में हर बार पानी पांव के नाख़ुनों की तरफ़ से गट्टों के ऊपर तक लायें कि सुन्नत यही है और पांव की उंगलियों का ख़िलाल बायें हाथ की छंगुली से करें। वुज़ू के बाद मयानी पर कुछ पानी छिड़क लें कि शैतानी वसंवसा को दूर करता है। फिर बचा हुआ पानी खड़े हो कर थोड़ा सा पी लें कि शिफ़ा बख़्शता है और आसमान की तरफ़ मुंह करके कलिमा शहादत और इन्ना अनज़लना पढ़ लें। (आमए कुतुब)

वुज़ू के मकरूहात

१. वुज़ू के लिए नापाक जगह बैठना या नापाक जगह वुज़ू का पानी गिराना।

२. आज़ाए वुज़ू से लोटे वग़ैरह में पानी टपकाना।

३. मस्जिद के अन्दर वुज़ू करना।

४. पानी में थूकना, नाक सिनकना अगर्चे दरिया या हौज़ हो।

५. क़िबला की तरफ़ थूकना या कुल्ली करना।

६. बे ज़रूरत दुनिया की बात करना।

७. ज़्यादा पानी ख़र्च करना।

८. इतना कम पानी ख़र्च करना कि सुन्नत अदा न हो।

९ चेहरे पर ज़ोर से पानी मारना।

१०. एक हाथ से मुंह धोना कि यह हिन्दुओं (काफ़िरों) का तरीका है।

११. गले का मसह करना।

१२. बायें हाथ से कुल्ली करना या नाक में पानी डालना।

१३. दायें हाथ से नाक साफ़ करना।

१४. तीन नये पानियों से तीन बार सर का मसह करना।

१५. धूप के गर्म पानी से वुज़ू करना कि वह बर्स (सफ़ेद दाग़) पैदा करता है।

१६. होंट या आंखें ज़ोर से बन्द कर लेना।

१७. किसी सुन्नत को छोड़ देना।

वुज़ू तोड़ने वाली चीज़ों का बयान

कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उन्हें शरीअत मुतह्हरा ने नवाक़ज़ वुज़ू क़रार दिया है यानी उन में से अगर एक भी पाई जाये तो वुज़ू टूट जाता है। इन में बाज़ यह हैं।

१. आगे या पीछे के मक़ाम से पेशाब पाखाना वग़ैरह किसी नजासत या कीड़े या पथरी का निकलना या पीछे से हवा का खारिज होना।

२. खून, पीप या ज़र्द पानी जब कि कहीं से निकल कर ऐसी जगह बह कर चला जाये कि जिसका वुज़ू या गुस्ल में धोना फ़र्ज़ है।

३. आंख, कान, नाफ़, पिस्तान, वगैरहा में दाना या नासूर या कोई बीमारी हो और और इस वजह से जो आंसू या पानी बहेगा वुजू तोड़ देगा। दुखती हुई आंख से जो आंसू बहता है उसका यही हुक्म है बल्कि यह पानी खुद भी नजिस है।

४. खाने या पानी या सुफरा की मुंह भर कै, यूं ही जमे हुये खून की मुंह भर कै, और बहते हुये ख़ून की कै जब कि थूक उस पर ग़ालिब न हो, वुजू तोड़ देती है।

५. बे होशी, गशी, पागलपन और इतना नशा कि चलने में पांव लड़खड़ायें, वुजू तोड़ देता है।

६. बालिग़ का कहकहा यानी इतनी आवाज़ से हंसी कि आस पास वाले सुनें जब कि जागते में और रूकूअ व सजूद वाली नमाज़ में हो वुजू तोड़ देता है।

७. सो जाने से भी वुजू जाता रहता है। मसलन लेटे-लेटे आंख लग गई या किसी चीज़ के सहारे बैठे-बैठे नींद आ गई कि अगर वह चीज़ न होती तो गिर पड़ती तो वुजू जाता रहा। और अगर नमाज़ में बैठे-बैठे या सज्दे में कसदन सो गई तो भी वुजू गया और नमाज़ भी गई।

८. मुंह से खून का निकलना भी जब कि थूक पर ग़ालिब हो नवाकिज़ वुजू है।

वह सूरतें जिन में वुजू नहीं जाता

१. खून या पीप या ज़र्द पानी उभरा और बहा नहीं जैसे सुई की नोक या चाकू का किनारा लग जाता है। और ख़ून उभर आता है।

२. या अपनी या पराई शर्मगाह (पिशाब या पाखाना की ज़गह)

पर हाथ लगाया।

३. या खिलाल किया या मिस्वाक की या उंगली से दांत मांझे या कोई चीज़ काटी उसपर खून का असर पाया या नाक में उंगली डाली उस पर खून की सुर्खी आ गई मगर वह खून बहने के काबिल नहीं।

४. या नाक साफ की उसमें से जमा हुआ खून निकला।

५. कान में तेल डाला था और एक दिन बाद कान या नाक से निकला।

६. जूं, खटमल, मच्छर या पिस्सू ने खून चुसा।

७. बलग़म की कै जितनी भी हो।

८. बैठे–बैठे झोंके लेती रही या ऊंघती रही।

९. या नमाज़ के अन्दर सोते में या नमाज़ जनाज़ा या सज्दा तिलावत में क़हक़हा लगाया।

तो इन सूरतों में वुजू न जायेगा और आख़िरी सूरत में नमाज़ या सज्जदा फासिद है। (आमए कुतुब)

फायदा:– अपनी या पराई शर्मगाह देखने से वुजू जाता रहता है जैसा कि मशहूर है। महज बे असल बात है। हां बिला जरूरत बदन खुला रखना अगर्चे वह सर हो या कलाई या बाजू दूसरे के सामने खोलना हराम है।

वुजू के मुतफ़र्रिक़ मसाइल

१. खुद पानी का बदन के हिस्सों पर बह जाना ज़रूरी है। अगर हाथ या पांव के पंजे पर पानी डाला, कोहनियों और पांव के गट्टों तक न पहुंचा था कि बीच में हाथ लगा कर आख़िर अज़ू तक फेर दिया। (जैसा कि बहुत से लोग़ करते हैं) तो वुजू न होगा कि यह

बहाना न हुआ चिपुड़ना हुआ और फ़र्ज़ बहाना था।

२. मुस्तहब है कि आज़ा धोने से पहले भीगा हाथ फेर ले कि पानी जल्द दौड़ता है और थोड़ा बहुत का काम देता है। ख़सूसन जाड़े में उसकी ज़्यादा हाजत है कि आज़ा में ख़ुश्की होती है। बहती धार बीच में जगह छोड़ जाती है जैसा कि मालूम होता है। इस तरकीब से वुज़ू भी कामिल होगा और पानी में इसराफ़ (फ़िज़ूल ख़र्ची) से भी इंसान बचा रहेगा।

३. बहुत से लोग यूं किया करते हैं कि नाक या आंख या भौं पर पल्लू डाल कर सारे मुंह पर हाथ फेर लेते हैं और यह समझते हैं कि मुंह धुल गया। हालांकि पानी का ऊपर चढ़ना कोई मानी नहीं रखता और इस तरह धोने में मुंह नहीं धुलता और वुज़ू नहीं होता। यूंही चुल्लू में पानी लेकर कलाई पर उलट लेना हरगिज़ काफी नहीं।

४. जो हिस्से धोने के हैं तहारत में उनमें से हर हिस्सा का पूरे तीन बार धोना सुन्नत मोवक्किदा है। लेहाज़ा हर मर्तबा इस तरह धोये कि अज़ू का कोई हिस्सा रह न जाये वर्ना सुन्नत अदा न होगी और इस में चुल्लुओं की गिनती नहीं बल्कि पूरा अज़ू धोने की गिनती है कि वह तीन मर्तबा हो अगरचे कितने ही चिल्लू से।

५. किसी बीमारी की वजह से पांव के अंगूठों में इस क़द्र खींच कर तागा बांधा जाता है कि पानी का बहना तो दरकिनार, तागे के नीचे तर भी नहीं होता। इस से बचना लाज़िम है।

६. पानी एहतियात से खर्च करें। बे सबब ज़्यादा खर्च करने से बचें। बाज़ लोग चुल्लू लेने में पानी ऐसा डालते हैं कि उबल जाता है। हालांकि जो गिरा बेकार गया। उससे एहतियात चाहिए। जिस काम के लिए लें उस का अंदाज़ा कर लें। मसलन नाक में पानी

चढ़ाने के लिए आधा चुल्लू काफी है।

७. लोग यह समझते हैं कि थोड़ा सा पानी मुंह में लेकर उगल देने से जल्दी जल्दी तीन बार पीच-पीच कर लेने से कुल्ली, और नाक की फेंक या नाक से पानी छला लेने से वुजू में सुन्नत अदा हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं बल्कि उसकी आदत डाल गुनाह है और गुस्ल में ऐसा करने से तो गुस्ल अदा ही नहीं होता, कि फ़र्ज रह जाता है।

८. इस्तंजा के बाद जो पानी बर्तन में बच रहा है पाक ही है। उससे वुजू जायज़ है और उसका फेंक देना गुनाह व नाजायज़ है। यूंही वुजू के बाद लोटे में जो पानी बच रहता है वह दूसरे वुजू या किसी और काम में आ सकता है। लोग उसे फेंक देते हैं। यह न चाहिए कि इसराफ़ में दाखिल है। (दुर्रे मुखतार, रददुलमुहतार, फ़तावा रिज़वियह, बहारे शरीअत)

ज़रूरी निहायत ज़रूरी

बदन पर कोई नजासत न लगी हो तो जो पानी वुजू या गुस्ल करने में बदन से गिरा वह पाक तो है मगर उससे वुजू या गुस्ल जायज़ नहीं (दुर्रे मुख्तार)

यूं ही अगर बे वुजू शख़्स का हाथ या उंगली या पूरा नाखुन या बदन का कोई हिस्सा जो वुजू में धोया जाता है। उसी तरह जिस शख्स पर नहाना फ़र्ज है। उसके जिस्म का कोई हिस्सा जो धुला न हो पानी में पड़ जाये या पानी से छू जाये तो वह पानी मुस्तअमल हो गया। उस से वुजू या गुस्ल नहीं हो सकता। उसका पीना और उससे आटा गोंधना मकरूह है। हां कपड़े वग़ैरह धोने के काम

आ सकता है। औरतें इस मसला की तरफ़ ख़ास तवज्जोह दें। वह अक्सर छंगली या किसी उंगली की गांठ पानी में डाल कर देखती हैं कि गर्म है या नहीं और उसका उन्हें ख्याल भी नहीं होता कि अब यह पानी न वुज़ू के काबिल रहा न गुस्ल के। हां हाथ धोकर डालें तो कोई हर्ज नहीं। यूं ही अगर हाथ धुला हुआ है मगर फिर भी धोने की नीयत से पानी में डाला और यह धोना सवाब का काम हो। जैसे खाने के लिए वुज़ू के लिए तो यह पानी मुस्ताअमल हो गया। यानी वुज़ू व गुस्ल के काम का न रहा और उसको पीना भी मकरूह है। (नूरुल अबसार, फ़तावा रिज़वियह वग़ैरह)

ऐसे पानी को जो मुस्तमअल हो गया अगर वुज़ू या गुस्ल के काम में लाना चाहें तो अच्छा पानी उससे ज़्यादा उस में मिलादें। ये सब पानी काम का हो जायेगा। (दुर्रे मुख़्तार रददुलमुहतार वग़ैरह)

वुज़ू की दुआयें

१. कुल्ली करते वक़्त–:

اَللّٰھُمَّ اَعِنِّیْ عَلٰی تِلَاوَۃِ الْقُرْاٰنِ وَذِکْرِکَ وَشُکْرِکَ وَحُسْنِ عِبَادَتِکَ

इलाही मेरी मदद फरमा, कुरआन की तिलावत और अपने ज़िक्र व शुक्र अच्छी इबादत पर।

२. नाक में पानी डालते वक़्तः–

اَللّٰھُمَّ اَرِحْنِیْ رَائِحَۃَ الْجَنَّۃِ
وَلَا تُرِحْنِیْ رَائِحَۃَ النَّارِ۔

इलाही मुझे जन्नत की खुशबू सुंघा और जहन्नम की बदबू न सुंघा।

३. मुंह धोते वक़्तः–

اَللّٰھُمَّ بَیِّضْ وَجْھِیْ یَوْمَ
تَبْیَضُّ وُجُوْہٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْہٌ ۔

इलाही मेरा चेहरा रोशन कर जिस दिन कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे और कुछ चेहरे सियाह।

4 **दायां हाथ धोते वक़्त :-** اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِيَمِيْنِىْ وَحَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا ط

इलाही मेरा नामाए आमाल मेरे दाहिने हाथ में देना और मुझसे आसान हिसाब करना।

५. बायां हाथ धोते वक़्त-

اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِشِمَالِىْ وَلَا مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِىْ

इलाही मेरा नामाए आमाल न मेरे बायें हाथ में देना न मेरी पीठ के पीछे से।

६.सर का मसह करते वक़्त:-

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِىْ تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ

इलाही तू मुझे अपने अर्श के साये में रखना जिस दिन तेरे अर्श के साए के सिवा कहीं साया न होगा।

७. कानों का मसह करते वक़्त:- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ـ

इलाही तू मुझे उन लोगों में कर दे जो बात सुनते और अच्छी बात पर अमल करते हैं।

८. गर्दन का मसह करते वक़्त:-

اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْ رَقَبَتِيْ مِنَ النَّارِ

इलाही मेरी गर्दन आग से आज़ाद कर दे।

९. दायां पांव धोते वक़्त:-

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِيْ عَلَى
الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الْاَقْدَامُ

ऐ अल्लाह मेरा क़दम पुल सिरात पर साबित रख जिस दिन उस पर क़दम लग़ज़िश करेंगे।

१०. बाया पांव धोते वक़्त:-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِيْ مَغْفُوْرًا
وَّسَعْيِيْ مَشْكُوْرًا وَّتِجَارَتِيْ
لَنْ تَبُوْرَ

ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को बख़्श दे और मेरी कोशिश को कामयाब बना, और मेरी तिजारत हलाक न हो।

११. वुज़ू से फ़ारिग़ होते ही:-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ
وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

ऐ अल्लाह तू मुझे तौबा करने वालों में और पाक लोगों में कर दे।

१२. फिर खड़े होकर और आसमान की तरफ मुंह करके।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ
اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

तू पाक है ऐ अल्लाह और मैं तेरी हम्द करता हूं। मैं गवाही देता हूं कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं मैं तुझ से बख़्शिश चाहता और तेरी

तरफ़ तोबा करता हूं।

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

१. जो चीज़ इंसान के बदन से निकले और वुज़ू न तोड़े वह नजिस नहीं मसलन ख़ून कि बहकर न निकले या थोड़ी कै कि मुंह भर न हो पाक है।

२. खारिश या फुनसियों में जब कि बहने वाली रतूबत न हो बल्कि सिर्फ चिपक हो। कपड़ा उससे बार बार छूकर अगरचे कितना ही सन जाये पाक है।

३. सोते में जो राल मुंह से गिरे अगरचे पेट से आए और बदबूदार हो, पाक है।

४. आंख दुखने में जो आंसू बहता है नापाक है और नवाक़िज़ वुज़ू भी उससे एहतियात ज़रूरी है अक्सर देखा गया है कि कुर्ते वग़ैरह से उस आंसू को पोंछ लिया करते हैं। और अपने ख़्याल में उसे आंसूओं की तरह समझते हैं। यह गलती है और अगर ऐसा किया तो कपड़ा नापाक हो गया।

५. शीर ख़्वार बच्चे (दुध पीते) ने दूध डाल दिया। अगरचे वह मुंह भर है नजिस है दिरहम से ज़्यादा जगह में जिस चीज़ को लग जायेगा नापाक कर देगा। लेकिन अगर यह दूध मेअदे से नहीं आया बल्कि सीने तक पहुंच कर पलट आया तो पाक है।

६. दरमियान वुज़ू में कोई ऐसी बात हुई जिससे वुज़ू जाता रहता है तो नये सिरे से वुज़ू करे। वह पहले धुले हुए बे धुले हो गये।

७. मुंह से इतना खून निकला कि थूक सुर्ख हो गया तो अगर लोटे कटोरे या किसी बर्तन से मुंह में लेकर कुल्ली के लिए पानी

लिया तो लोटा कटोरा और कुल पानी नजस हो जायेगा ऐसी सूरत में चुल्लू मे पानी ले कर कुल्ली करे और फिर धोकर कुल्ली के लिये पानी ले।

८. अगर दरमियान में वुज़ू के धोने में शक वाकेअ हुआ और यह जिन्दगी का पहला वाकिया है तो उसको धोले और अगर अक्सर शक पडा करता है तो उसकी तरफ़ ध्यान न दे यूं ही अगर वुज़ू करने के बाद शक हो तो उसका कुछ ख़्याल न करें।

९. जो बा वुज़ू था अब उसे शक है कि यह शुबा बतौर वसवसा के हो कि अक्सर पड़ता ही रहता है तो उसे हरगिज़ न माने। उस सूरत में एहतियात समझ कर वुज़ू करना एहतियात नहीं बल्कि शैतानलअैन की पैरवी है।

१०. मीयानी में तरी देखी मगर यह नहीं मालूम कि पानी है या पेशाब तो अगर उम्र का यह पहला वाकिया है। तो वुज़ू करले और उस जगह को धोले और अगर बारहा ऐसे शुबहे पड़ते रहते हैं तो उसकी तरफ तवज्जोह न दे कि यह शैतानी वसवसा है।

फ़ायदा:- वलहान एक शैतान का नाम है जो वुज़ू में वसवसे डालता है उसके हर एक वसवसे से बचने की बेहतरीन सूरत यह है कि आऊज़ुबिल्लाह या! लाहौल वला कुव्वत इल्लाबिल्लाहिलअलिय्यिल अज़ीम, या कुल आअऊज़ुबिरब्बिन्नास पढ़े और वसवसा का बिल्कुल ख्याल न करना बल्कि उसके खिलाफ अमल करना, वसवसा को दफअ करता है। (दुर्रे मुख्तार, रददुलमुहतार, बहारे शरीअत)

गुस्ल का बयान

अल्लाह अज़्ज़ोजल फ़रमाता है:-

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا

अगर तुम जुनब हो तो ख़ूब पाक हो जाओ यानी गुस्ल करो। और फ़रमाता है:- حَتّٰى يَطْهُرْنَ

(ऐ मर्दो तुम औरतों के करीब न जाओ) यहां तक कि वह हैज़ वाली औरतें पाक हो जायें।

चन्द अहादीसे करीमा

इर्शाद फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि:-

१. हर बाल के नीचे जनाबत है तो बाल धोओ और जिल्द साफ़ करो। (अबूदाऊद तिर्मिज़ी)

२. जो शख़्स जनाबत के गुस्ल में एक बाल की जगह बे धोए छोड़ देगा उसके साथ आग से ऐसा ऐसा किया जायेगा (यानी अज़ाब दिया जायेगा।)

३. उम्मुलमोमिनीन उम्मे सलमा फ़रमाती हैं कि उम्मे सलीम ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह अल्लाह तआला हक़ बयान करने से हया नहीं फ़रमाता। तो क्या जब औरत को एहतलाम हो तो उस पर नहाना फ़र्ज़ है ? फ़रमाया हां जब कि पानी (मनी) देखे उम्मे सलमा रज़ि० ने मुंह ढांप लिया और अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह क्या औरत को एहतलाम होता है। फ़रमाया, हां ऐसा न हो तो किस वजह से बच्चा मां के मशाबा (मिलता जुलता) होता है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

फ़ायदा:- उम्महातुल मोमिनीन को अल्लाह अज़्ज़ोजल ने हाज़िरी

खिदमत से पहले भी एहतलाम (बदख़्वाबी) से महफ़ूज़ रखा था। इसलिए कि एहतलाम में शैतान का दखल है और शैतानी मुदाख़लतों से अज़वाजे मुतहरात (हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पाकीज़ा व सुथरी बीबीयां हमारी मुकद्दस मायें) पाक हैं। इसी लिए इन हज़रात को उम्मे सलीम के उस कौ़ल का ताअजुब हुआ। (बहारे शरीअत)

४. फ़रिश्ते उस घर में नहीं जाते जिस घर में तसवीर और कुत्ता और जुनुब हो। (अबूदाऊद)

५. हैज़ वाली और जुनुब कुरआन से कुछ न पढ़ें। (तिर्मिज़ी)

६. उन घरों का रुख़ मस्जिद से फेर दो कि मैं मस्जिद को हैज़ वाली और जुनुब के लिए हलाल नहीं करता। (अबूदाउद)

७. उम्मुलमोमिनीन हज़रत आयशा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम गुस्ल के बाद वुज़ू नहीं फ़रमाते ।

फ़िक़ही अहकाम

गुस्ल में तीन फ़र्ज़ हैं:-

१ कुल्ली करना- कि मुंह के हर पुर्ज़े गोशे, होंट से हलक़ की जड़ तक हर जगह पानी बह जाये आज कल बहुत बे इल्म यह समझते हैं कि थोड़ा सा पानी मुंह में लेकर उगल देने को कुल्ली कहते हैं अगरचे ज़बान की जड़ और हलक के किनारे तक पानी न पहुंचे। यूं गु स्ल नहीं उतरता। न उस गुस्ल से नमाज़ हो सके। बल्कि फर्ज़ है दाढ़ों के नीचे गालों की तह में, दांतों की जड़ और खिड़कियों में और ज़बान की हर करवट में हलक के किनारे तक हर पुर्ज़े पर पानी बहे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– दांतों की जड़ों या खिड़कियों में कोई ऐसी चीज़ जमी हो जो पानी बहने से रोके तो उसका छुड़ाना ज़रूरी है जबकि छुड़ाने में ज़रर और हर्ज न हो जैसे छालियों के दाने, गोशत के रेज़े और अगर छुड़ाने में ज़रर और हर्ज हो जैसे बहुत पान खाने से दांतों की जड़ों में मिसी की रीखें जम जाती हैं और उनके छीलने में ज़रर का अन्देशा है तो इस क़द्र की माफ़ी है। (रददुलमुहतार वग़ैरह)

२. नाक में पानी डालना:– दोनों नथनों को जहां तक नर्म हिस्सा है यानी सख्त हड्डी के शुरूअ तक उसका धोना कि पानी को सूंघ के ऊपर चढ़ाए। बाल बराबर जगह भी धुलने से न रह जाये वरना गुस्ल न होगा। नाक के अन्दर कसाफत (रेंठ) जम गई है तो उसका चढ़ाना फर्ज़ है। नेज़ नाक के बालों का भी धोना फ़र्ज़ है बुलाक का सूराख अगर बन्द न हो तो उसमें पानी पहुंचाना जरूरी है। फिर अगर तंग है तो हरकत देना ज़रूरी है। वरना नहीं। (रददुलमुहतार)

३. तमाम ज़ाहिर बदन:– यानी सर के बालों से पांव के तलवों तक जिस्म के हर पुर्ज़े हर रोंगटे पर पानी बह जाना जब तक कि एक एक ज़र्रे पर पानी बहता हुआ न गुज़रेगा गुस्ल हरगिज़ न होगा। (आमए कुतुब बहारे शरीअत)

गुस्ल की एहतियातें

गुस्ल में दो क़िस्म की बे एहतयातियां पायी जाती हैं। जिनमें गुस्ल नहीं होता और नमाज़ें बर्बाद जाती हैं।

अव्वल:– पानी को बाज़ जगह तेल की तरह चुपड़ लेते हैं या भीगा हाथ पहुंच जाने पर कनाअत करते हैं हलांकि यह मसह हुआ गुस्ल

न हुआ गुस्ल में पानी हर जगह बह जाना ज़रूरी है।

दोम:- अक्सर अवाम बल्कि बाज़ पढ़े लिखे भी ये करते हैं कि सर पर पानी डाल कर बदन पर हाथ फेर लेते हैं और समझते हैं कि गुस्ल हो गया । हलांकि बाज़ जगहें ऐसी हैं कि जब तक खास तौर पर एहतियात न की जाए वह नहीं धुलेंगीं और न गुस्ल होगा। लेहाज़ा हम यहां तफ़सील से बयान करते हैं खूब तव्वज्जोह से पढ़ें और हमेशा ध्यान में रखें कि बदन के हर ज़र्रे पर रोंगटे पर पानी बहाना फर्ज़ है वरना गुस्ल न होगा।

वुज़ू में जिन आज़ा की एहतियात की जाती है उनका लेहाज़ यहां भी ज़रूरी है। इन के अलावा खास गुस्ल में एहतियात की जगहें यह हैं।

१. सर के बाल गुंधे न हों तो हर बाल पर जड़ से नोक तक पानी बहाना ज़रूरी है और गुंधे हों तो औरत पर सिर्फ जड़ तर कर लेना ज़रूरी है। खोलना ज़रूरी नहीं। हां अगर चोटी इतनी सख़्त गुंधी हो कि बे खोले जड़ें तर न होंगी तो खोलना ज़रूरी है।

२. कानों मे बाली वग़ैरह ज़ेवरों के सूराख का वही हुक्म है जो नाक में नथ के सूराख का हुक्म वुज़ू में बयान हुआ। उसे फिर देख लें।

३. कान का हर पूर्ज़ा और उसके सुराख़ का, कानों के पीछे बाल हटा कर पानी बहायें।

४. ठोड़ी और गले का जोड़ कि बे मुंह उठाये न धुलेगा।

५. दो बग़लें कि बे हाथ उठाये न धुलेंगी।

६. बाज़ू का हर पहलू और पीठ का हर ज़र्रा।

७ पेट की बलेटें उठाकर और नाफ में उंगली डाल कर धोयें।

८. रान और पैडू का जोड़ और रान पिन्डली का जोड़।

९. दोनों सुरीन के मिलने की जगह

१०. रानों की गोलाई और पिन्डलियों की करवटें।

११. ढलकी हुई पिसतान को उठाकर धोयें।

१२. पिसतान और पेट के जोड़ की जगह।

१३. शर्म गाह का हर गोशा हर टुकड़ा नीचे ऊपर, ख़्याल से धोया जाये। हां अन्दर उंगली डाल कर धोना ज़रूरी नहीं है। मुस्तहब है। यूं ही हैज़ व निफ़ास से फारिग़ होकर गुस्ल करती है तो एक पुराने कपड़े से अन्दर से खून का असर साफ कर लेना मुस्तहब है। लाज़मी नहीं।

१४. माथे पर अफ़शां चुनी हो तो उसका छुड़ाना ज़रूरी है। यूं ही बालों में अगर इतना गोन्द वग़ैरह लगा है कि उसके होते बाल अच्छी तरह तर न होंगे, तो उसका छुड़ाना भी ज़रूरी है वरना गुस्ल न होगा। (दुर्रे मुख्तार, रददुलमुहतार, फतावा रिज़वियह, बहारे शरीअत)

गुस्ल की सुन्नतें

१. गुस्ल की नीयत करके पहले दोनों हाथ घुटनों तक तीन मर्तबा धोयें।

२. फिर इस्तंजा की जगह धोयें ख़्वाह नापाकी हो या न हो।

३. फिर बदन पर जहां कहीं नजासत हो उसे दूर करें।

४ फिर नमाज़ का सा वुज़ू करें मगर पांव न धोयें, हां अगर चौकी या तख़्ते या पक्के फर्श पर नहायें तो पांव भी धोलें।

५. फिर बदन पर तेल की तरह पानी चुपड़ लें ख़सूसन

जाड़े में।

६. फिर तीन मर्तबा दाहिने मोंढे पर पानी बहायें।

७. फिर तीन मर्तबा बायें मोंढे पर।

८. फिर तीन बार सर पर और तमाम बदन पर पानी बहायें और यहां से हट जायें और वुज़ू करने में पांव नहीं धोये थे तो अब धो लें।

९. नहाते वक़्त किबला को मुंह न करें।

१०. तमाम बदन पर हाथ फेरें और मलें।

११. ऐसी जगह नहायें कि कोई न देखे। औरतों को उसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है।

१२. किसी किस्म की न बात चीत करें न कोई दुआ पढ़ें।

१३. बैठ कर नहायें और नहाने के बाद फ़ौरन कपड़े पहन लें।

१४. वुज़ू की सुन्नतें और मुस्तहिब्बात का गुस्ल में भी ख्याल रखें। (दुर्रे मुख्तार, रददुलमुहतार वग़ैरह)

गुस्ल किन चीज़ों से फ़र्ज़ होता है

पांच चीजें हैं कि उनमें से एक भी पाई जाये तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है।

१. मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ (यानी मस्ती की हालत में) अलग होकर शर्मगाह से निकलना। लेहाज़ा अगर मनी शहवत के साथ अपनी जगह से जुदा न हुई बल्कि बोझ उठाने या बुलन्दी से गिरने के सबब निकली, या पेशाब के वक़्त या वैसे ही कुछ कतरे बिला शहवत निकल आये तो उन दोनों सूरतों से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं अल्बत्ता वुज़ू टूट जायेगा।

२– एहतलाम:– यानी सोते से उठी और बदन या कपड़े पर तरी पाये तो गु स्ल वाजिब है अगरचे ख़्वाब याद न हो। हां अगर यक़ीन है कि यह मनी या मज़ी नहीं बल्कि पेशाब या पसीना है या कुछ और है तो अगरचे एहतलाम याद हो और ख्याल में इन्ज़ाल (मनी निकलने) की लज़्ज़त हो, तो गुस्ल वाजिब नहीं। (रददुलमुहतार)

मसला:– अगर मनी न होने का यक़ीन है और मज़ी का शक है तो अगर ख़्वाब में एहतलाम होना याद नहीं तो गुस्ल नहीं और याद है तो गुस्ल फ़र्ज़ है। (रददुलमुहतार)

मर्द औरत एक चार पाई पर सोये और जागे तो बिस्तर पर मनी पाई गई और उनमें से हर एक एहतलाम का इंकार करता है तो दोनों गु स्ल करें। (रददुलमुहतार)

फ़ायदा:– शहवत के वक़्त शुरू शुरू में जो चीज़ शर्मगाह से सफेद रंगत की निकली है और उसके निकलने से जोश कम नहीं होता बल्कि ख्वाहिश और बढ़ जाती है उसे मज़ी कहते हैं और शहवत के बाद जब खूब लज़्ज़त आती है तो एक गाढ़ी रतूबत शर्मगाह से निकलती है उसे मनी कहते हैं। मनी निकलने के बाद शहवत व ख़्वाहिश खत्म हो जाती है और जोश ठंडा पड़ जाता है उससे गुस्ल फर्ज़ हो जाता है। मज़ी निकलने पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं। (हिदाया फतहुलकदीर वग़ैरह)

३. हशफ़ा:– यानी मर्द की शर्मगाह का सर औरत की शर्मगाह में दाखिल होना शहवत व ख्वाहिश हो या न हो, इन्ज़ाल हो या न हो दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ करता है। और अगर एक बालिग़ हो दूसरा नाबालिग़ तो बालिग़ पर गुस्ल फ़र्ज़ है और नाबालिग़ पर अगरचे फ़र्ज़ नहीं मगर गुस्ल का हुक्म दिया जायेगा। (आमए कुतुब)

४. हैज़ से फ़ारिग़ होना।

५. निफ़ास का खत्म होना:- इन दोनों की तफ़सील आगे आती है।

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

१. जिस पर चन्द गुस्ल हों सब की नीयत से एक गुस्ल कर लिया सब अदा हो गये। और चुंकि गुस्ल की नीयत की है तो सब का सवाब मिलेगा। (फतावा रिज़विया बहारे शरीअत)

२. औरत पर गुस्ल फर्ज़ था और अभी गुस्ल नहीं किया था कि हैज़ शुरू हो गया तो चाहिए कि अब नहाले या हैज़ ख़त्म होने के बाद। (आलमगीरी वग़ैरह)

३. जिस पर गुस्ल फर्ज़ था उसे चाहिए कि नहाने में देर न करे। हदीस शरीफ में है कि जिस घर में जुनुब (जिस पर गुस्ल फर्ज़ होता है) हो उस में रहमत के फरिश्ते नहीं आते और अगर इतनी देर कर चुका कि नमाज़ का आखिर वक़्त आ गया तो अब फौरन नहाना फर्ज़ है। अब देर लगायेगा तो गुनाहगार होगा।

४. जुनुब अगर खाना खाना या औरत से सुहब्बत करना चाहता है तो वुजू करले या हाथ मुंह धोकर कुल्ली कर ले और अगर वेसे ही खा पी लिया तो गुनाह नहीं मगर मकरूह है और मेहताजी लाता है और बे नहाये और या बे वुजू किये जिमाअ कर लिया तो भी कुछ गुनाह नहीं। (रद्दुलमुहतार)

५. रमजानुल मुबारक में अगर रात को गुस्ल की हाजत हो गई तो बेहतर यही है कि सुबह सादिक से पहले नहाले ताकि रोज़े का

हर हिस्सा नापाकी से खाली हो और गुस्ल न किया तो भी रोज़े में कुछ नुकसान नहीं मगर मुनासिब यह है कि ग़रग़रा और नाक में पानी चढ़ाना, यह दोनों काम फज्र का वक़्त शुरू होने से पहले करले कि फिर रोज़े में न हो सकेंगे और अगर नहाने में इतनी देर लगा दी कि दिन निकल आया और नमाज़ कज़ा कर दी तो यह और दिनों में भी गुनाह है और रमज़ान में और ज़्यादा। (आलमगीरी)

जिसको नहाने की ज़रूरत हो उसको मस्जिद में जाना, कुरआन मजीद छूना, या बे छुये देख कर या ज़बानी पढ़ना, या ऐसा तावीज़ छूना जिस पर आयत लिखी हुई है। हराम है। (रददुलमुहतार)

कुरआन जुज़दान में हो तो जुज़दान पर हाथ लगाने में हर्ज नहीं, यूंही रूमाल वग़ैरह ऐसे कपड़े से पकड़ना जो न अपने जिस्म पर है न कुरआन पर चढ़ा हुआ, तो जायज़ है। हां कुरते की आस्तीन, दो पट्टे के आंचल या जो चादर चढ़ी हुई है उसके कोने से छूना हराम है। (दुर्रे मुख्तार, रददुलमुहतार)

८. दरूद शरीफ़ और दुआ के पढ़ने में कोई हर्ज नहीं मगर बेहतर यह है कि वुज़ू या कुल्ली करके पढ़ें।

९. अज़ान का जवाब देना इन सब को जायज़ है। (रददुलमुहतार)

१०. कुरआन की कोई आयत अगर दुआ की नीयत से पढ़ी जैसे शुक्र के मौका पर अलहम्दो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन या बुरी ख़बर सुन कर इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलयहि राजिऊन कहा तो कुछ हर्ज नहीं। (रददुलमुहतार)

११. जिसका वुज़ू न हो उसे भी कुरआन करीम या उसकी किसी आयत को छूना हराम है। हां बे छुये ज़बानी या देख कर पढ़े तो कोई हर्ज़ नहीं। (दुर्रे मुख्तार)

किस पानी से वुजू व गुस्ल जायज़ है और किस से नहीं

मसला:- मींह, नदी, नाले, चशमे, समुन्द्र, दरिया, कुएं और बर्फ, ओले के पानी से वुजू व गुस्ल जायज़ है। (आमए कुतुब)

मसला:- जिस पानी में कोई चीज़ मिल गई हो कि बोल चाल में उसे पानी न कहें बल्कि उसका कोई और नाम हो गया। जैसे शर्बत या पानी में ऐसी चीज़ डाल कर पकायें जिससे मक़सूद मैल काटना हो, जैसे शोरबा, गुलाब या अर्क़, तो उससे वुजू व गुस्ल जायज़ नहीं। (नूरुलईज़ाह वग़ैरह)

मसला:- अगर ऐसी चीज़ मिलायें या मिलाकर पकायें जिससे मकसूद मैल कांटना हो जैसे साबुन या बेरी के पत्ते तो वुजू जायज़ है। हां अगर वह पानी गाढ़ा हो जाये तो वुजू व गुस्ल जायज़ नहीं। (दुर्रे मुख्तार) और अगर कोई चीज़ मिली जिस से पानी का रंग या मज़ा या बू बदल गई मगर उसका पतला पन न गया। जैसे रेता, चुना या थोड़ी सी ज़ाअफरान का रंग इतना आ जाए कि कपड़ा रंगने के काबिल हो जाये तो वुजू व गुस्ल जायज़ नहीं। यूं ही पूड़िया का रंग। (कुदूरी,) दुर्रे मुख्तार वग़ैरह)

मसला:- बहता पानी कि उस में तिनका डाल दें तो बहा ले जाये पाक है और पाक करने वाला है। नजासत पड़ने से नपाक न होगा। हां अग़र नजिस से पानी का रंग या बू या मज़ा बदल गया तो नापाक हो गया। अब यह पानी उस वक़्त पाक होगा के नजासत नीचे बैठ जाये और उसका रंग 'बू' मज़ा ठीक हो जायें। (रददुलमुहतार)

मसला:- मींह बरसते में छत के परनाले से जो मींह का पानी

गिरे वह पाक है। अगरचे छत पर जाबजा नजासत पड़ी हो। जब तक कि नजासत से पानी का कोई वस्फ़ रंग मज़ा, बू न बदले, और अगर मींह रुक गया और पानी का बहना मोकूफ़ हो गया तो अब छत पर ठहरा हुआ पानी अगर छत से टपके, नापाक है। (आलमगीरी)

मसला:- वह बड़े हौज़ जो अमूमन मस्जिदों में बनाये जाते हैं या जंगल के वह गढ़े और तालाब जो दह दरदह हों (यानी जिस की लम्बाई चौड़ाई सौ हाथ हो) उनका पानी बहते पानी के हुक्म में है। नजासत पड़ने से नापाक न होगा। जब तक नजासत से रंग या बू या मज़ा न बदले। (आमए कुतुब)

मसला:- किसी दरख़्त या फल के निचोड़े हुए पानी से वुजू व गुस्ल जायज़ नहीं जैसे केले का पानी या अंगूर व अनार और तरबूज़ का पानी और गन्ने का रस। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला:- जो पानी गर्म मुल्क में, गर्म मौसम में, सोने चांदी के अलावा किसी और धात के बर्तन में धूप में गर्म हो गया तो जब तक गर्म है उसे किसी तरह इस्तेमाल न करना चाहिए। यहां तक कि अगर उससे कपड़ा भीग गया तो जब तक ठंठा न हो जाये उसके पहनने से बचें कि उस पानी के इस्तेमाल से बर्स (सफेद दाग़) का अंदेशा है मगर फिर भी अगर वुजू या गुस्ल कर लिया तो हो जायेगा। (बहारे शरीअत)

मसला:- जो पानी वुजू या गुस्ल करने में बदन से गिरा वह पाक है मगर उससे वुजू व गुस्ल जायज़ नहीं। (आमए कुतुब) वुजू या गुस्ल करते वक़्त पानी के कतरे लोटे या घड़े में टपके तो अगर अच्छा पानी ज़्यादा है तो यह वुजू और गुस्ल के काम का है वरना सब बेकार हो गया। (आमए कुतुब)

मसला:– नाबालिग़ का भरा हुआ पानी कि शरअन उसकी मिल्क हो जाये उसे पीना या उससे वुजू व गुस्ल करना या किसी और काम में लाना, उसके मां बाप या जिसका वह नौकर है उसके सिवा किसी और को जायज़ नहीं अगरचे वह इजाज़त भी दे दे और अगर वुजू व गुस्ल कर लिया तो हो जायेगा। मगर गुनाहगार होगा। यहां से उस्तादों और उस्तानियों को सबक़ लेना चाहिए। वह अक्सर नाबालिग़ों से नल या कुएं से पानी भरवा कर अपने काम में लाया करते हैं। इसी तरह नाबालिग़ का भरा हुआ पानी बग़ैर इजाज़त इस्तेमाल करना भी हराम है।

मसला:– बच्चे ने पानी में हाथ डाल दिया तो मालूम है कि उसके हाथ पर नजासत थी जब तो ज़ाहिर है कि पानी नजिस हो गया वरना नजिस न हुआ मगर दूसरे पानी से वुजू करना बेहतर है। (फ़तावा रिज़वियह, बहारे शरीअत)

आदमी और जानवरों के झूठे का बयान

मसला:– जिन जानवरों का गोशत खाया जाता है चौपाये हों या परिन्दे उनका झूठा पाक है। जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, कबूतर, तीतर वग़ैरह यूं ही घोड़े का झूठा पाक है।

मसला:– जो मुर्गी छुटी फिरती और ग़लीज़ पर मुंह डालती हो उसका झूठा मकरूह है। और बन्द रहती हो तो पाक है। यूंही बाज़ गायें जिनकी आदत ग़लीज़ खाने की होती है उनका झूठा मकरूह है। और अगर अभी नजासत खाई और उसी हालत में पानी में मुंह

डाल दिया या बैल, भैंसें, बकरे, ने हसबे आदत मादा का पेशाब सूंघा और उससे उसका मुंह नापाक हो गया और उसी हालत में पानी में मुंह डाल दिया या तो इन सूरतों में पानी नापाक हो गया।

मसला:– सूवर, कुत्ता, चीता, भेड़िया, हाथी, गीदड़ और दूसरे परिन्दों का झूठा भी नापाक है।

मसला:– पानी के रहने वाले जानवर का झूठा पाक है ख़्वाह उनकी पैदाइश पानी में हो या नहीं ।

मसला:–उड़ने वाले शिकारी जानवर जैसे शिकरा, बाज़, चील वग़ैरह का झूठा मकरूह है। और यही हुक्म कौए का है। यूं ही घर में रहने वाले जानवर जैसे बिल्ली, चुहा, छपकली, का झूठा मकरूह है।

मसला:– गधे, खच्चर का झूठा मशकूक है यानी उसके काबिल वुजू होने में शक है। लेहाज़ा उससे वुजू व गुस्ल नहीं हो सकता। (आमए कुतुब)

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

१. कुत्ते ने बर्तन में मुंह डाला तो अगर वह चीनी या धात का है या मिट्टी का रोग़नी या इस्तेमाली चिकना है तो तीन बार धोने से पाक हो जायेगा। वरना हर बार धोकर सुखाना ज़रूरी है यूंही चीनी के बर्तन में बाल हो या और बर्तन में दरार हो तीन बार सुखा कर पाक होगा। फक्त धोने से पाक न होगा।

२. मआज़अल्लाह शराब पी कर फौरन पानी पिया तो पानी नजिस हो गया। इसी तरह शराब खोर की मूंछें बड़ी हों कि शराब मूंछों में लगी तब तक उन को पाक न करे जो पानी पियेगा वह पानी

और बर्तन दोनों नापाक हो जायेंगे।

३. बिल्ली ने चुहा खाया, और फ़ौरन बर्तन में मुंह डाल दिया तो बर्तन नापाक हो गया और अगर ज़बान से मुंह चाट लिया कि खून का असर जाता रहा तो नापाक नहीं।

४. जो झूठा पानी पाक है उससे वुज़ू व गुस्ल जायज़ है मगर जुनुब ने बग़ैर कुल्ली किये पानी पिया तो उस झूठे पानी से वुज़ू नाजयज़ है कि मुस्तअमिल हो गया।

५. अच्छा पानी होते हुए मकरूह पानी से वुज़ू व गुस्ल मकरूह है और अगर अच्छा पानी मौजूद नहीं तो कोई हर्ज नहीं।

६. अच्छा पानी होते हुए मशकूक से वुज़ू व गुस्ल जायज़ नहीं और अगर अच्छा पानी न हो तो उसी से वुज़ू व गुस्ल कर ले और तयम्मुम भी वरना नमाज़ न होगी।

७. मशकूक पानी अच्छे पानी में मिल गया तो अगर अच्छा ज़्यादा है तो उससे वुज़ू हो सकता है। वरना नहीं।

८. मशकूक को कुत्ते ने ऊपर से चाट लिया तो उसका पानी नापाक न होगा।

९. मशकूक झूठे को खाना पीना नहीं चाहिए।

१०. जिसका झूठा ना!पाक है उसका पसीना और लुआब भी नापाक है और जिस का झूठा पाक है उसका पसीना और लुआब भी पाक है और जिसका झूठा मकरूह उसका लुआब और पसीना भी मकरूह है।

११. गधे, खच्चर का पसीना अगर कपड़े में लग जाये कपड़ा पाक है चाहे कितना ही ज़्यादा लगा हो। (दुर्रे मुख्तार वग़ैरह)

तयम्मुम का बयान

अल्लाह अज़्ज़ोजल इर्शाद फ़रमाता है:-

وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ؕ

यानी अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या तुम में का कोई पाखाने से आया या औरतों से सोहबत की और पानी न पाओ तो पाक मिट्टी का क़सद करो तो अपने मुंह और हाथों का उससे मसह करो।

चन्द अहादीसे करीमा

हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम इर्शाद फ़रमाते हैं:-

१. मिनजुमला उन बातों के जिन से हम को लोगों पर फ़ज़ीलत दी गई यह तीन बातें हैं। (१) हमारी सफ़्हें फरिशतों की सफों के मिस्ल की गईं और (२) हमारे लिये तमाम ज़मीन मस्जिद कर दी गई और (३) जब हम पानी न पाएं तो ज़मीन की ख़ाक हमारे लिए पाक करने वाली बनाई गई (मुस्लिम शरीफ़)

२. पाक मिट्टी मुसलमान का वुज़ू है अगरचे दस बरस पानी न पाये और जब पानी पाये तो अपने बदन को पहुंचाये (वुज़ू व गुस्ल) करे कि यह उसके लिए बेहतर है (अबूदाऊद तिर्मिज़ी)

३. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि दो शख़्स सफ़र में गये और नमाज़ का वक़्त आ गया मगर

उन के पास पानी न था। मजबूरन पाक मिट्टी पर तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ली। फिर वक़्त के अन्दर पानी मिल गया। उनमें से एक साहब ने वुज़ू करके अपनी नमाज़ दोहरा ली मगर दूसरे ने न दुहराई। फिर जब खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए। उस का ज़िक्र किया तो जिस ने नमाज़ दोहराई न थी उससे फ़रमाया तू सुन्नत को पहुंचा और तेरी नमाज़ हो गई और जिसने वुज़ू करके नमाज़ दोहराई थी उससे फ़रमाया तुझे दूना सवाब है। (अबूदाउद)

फ़िक़ही अहकाम

जिस का वुज़ू न हो या उसे नहाने की ज़रूरत हो और पानी पर कुदरत न हो यानी इस्तेमाल न कर सकता हो तो वुज़ू व गुस्ल की जगह तयम्मुम करे और पानी पर कुदरत न होने की चन्द सूरतें हैं:-

१. ऐसी बीमारी कि वुज़ू व गुस्ल से उसके ज़्यादा होने या देर में अच्छा होने का सहीह अंदेशा हो ख्वाह यूं कि उसने खुद आज़माया हो कि जब वुज़ू या गुस्ल करता है तो बीमारी बढ़ती है या यूं कि किसी अच्छे लायक़ हकीम ने जो ज़ाहिरन फ़ासिक़ न हो कह दिया हो कि पानी नुक़सान पहुंचायेगा लेहाज़ा महज़ ख्याल ही ख्याल बीमारी बढ़ने का हो या किसी काफ़िर या फ़ासिक या मामूली हकीम ने कह दिया हो कि पानी नुक़सान पहुंचायेगा तो उसका एतबार नहीं लेहाज़ा तयम्मुम करना जायज़ न होगा।

२.चारों तरफ एक एक मील पानी का पता नहीं:-

३. इतनी सर्दी हो कि नहाने से मरने या बीमार हो जाने का क़वी अंदेशा हो, और लिहाफ़ वग़ैरह कोई ऐसी चीज़ उसके पास नहीं

जिसे नहाने के बाद ओढ़े न आग है जिससे ताप सके।

४. यह जंगल में है और डोल रस्सी नहीं कि पानी भरे।

५. दरिन्दे या दुश्मन का खौफ़ या किसी मूज़ी का सही अन्देशा हो।

६. प्यास का खौफ़ कि अगर वुजू व गुस्ल कर लिया तो वह खुद उसका साथी प्यासा रह जायेगा और पानी का दूर तक पता नहीं।

७. पानी का गिरां (मंहगा) होना यानी जो क़ीमत होनी चाहिए उससे दूना मांगता है।

८. यह गुमान कि पानी तलाश करने में साथी बिछड़ जायेंगे या रेल छुट जायेगी।

९. यह गुमान कि वुजू व गुस्ल करने में ईदैन की नमाज़ जाती रहेगी।

१०. जो शख़्स मैयत का वली नहीं उसे नमाज़ जनाज़ा फ़ौत हो जाने का ख़ौफ़ हो। (आमए कुतुब, बहारे शरीअत)

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

१. बीमारी में अगर ठंडा पानी नुक़सान करता है और गर्म पानी नुक़सान न करे तो गर्म पानी से वुजू व गुस्ल ज़रूरी है तयम्मुम जायज़ नहीं, हां अगर ऐसी जगह है कि गर्म पानी नहीं मिल सकता तो तयम्मुम करे। (आलमगीरी)

२. अगर सर पर पानी डालना नुकसान करता है तो गले से नहाये और पूरे सर का मसह करे। (फ़तावा रिज़विया)

३. साथ में ज़मज़म शरीफ़ है और इतना है कि वुजू हो जायेगा तो तयम्मुम जायज़ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

४. बदन या कपड़े पर इतनी नजासत है कि उसके होते हुए नमाज़ नहीं हो सकती और पानी सिर्फ इतना है कि चाहे वुजू करले या उसको पाक करले तो हुक्म है कि पहले उसे पाक करे फिर तयम्मुम करे। (रददुलमुहतार)

५. वक़्त इतना तंग आगया कि वुजू व गुस्ल करेगी तो नमाज़ कज़ा हो जायेगी तो चाहिए कि तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले फिर वुजू या गुस्ल करके नमाज़ को दुहराये। (फ़तावा रज़िविया, बहारे शरीअत)

६. औरत हैज़ या निफ़ास से पाक हुई और पानी पर क़ादिर नहीं तो तयम्मुम करे। (रददुलमुहतार)

७. वक़्त नमाज़ में, नमाज़ी की सूरत बनाये यानी नमाज़ की नीयत किये बग़ैर नमाज़ के तमाम हरकात बजा लाये।

८. वुजू और गुस्ल दोनों का तयम्मुम एक ही तरह है। (आमए कुतुब)

९. नमाज़ उस तयम्मुम से जायज़ होगी जो पाक होने की नीयत या किसी ऐसी इबादत के लिए किया गया हो जो बिला तहारत जायज़ नहीं तो अगर मस्जिद में जाने या कुरआन मजीद छूने या ज़ियारत क़ब्र या मैयत को दफ़न करने की नीयत से तयम्मुम किया तो उससे नमाज़ जायज़ नहीं बल्कि जिस के लिए किया गया उसके सिवा कोई इबादत भी जायज़ नहीं।

१०. जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है उसे पानी न मिला और कुरआन मजीद पढ़ने के लिए उसने तयम्मुम किया तो उससे नमाज़ पढ़ सकता है और सज्दा शुक्र की नीयत से जो तयम्मुम किया उससे नमाज़ न होगी। (मराक़ीलफ़लाह)

११. जिस पर नहाना फ़र्ज़ है। उसे यह ज़रूरी नहीं कि वुज़ू और गुस्ल दोनों के लिये दो तयम्मुम करे बल्कि एक ही में दोनों की नीयत करे दोनों हो जायेंगे। (रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

तयम्मुम का मसनून तरीक़ा

तयम्मुम में तीन फ़र्ज हैं:-

१. **नीयत:-** तो अगर किसी ने हाथ मिट्टी पर मारकर मुंह और हाथ पर फेर लिया और नीयत न की तो तयम्मुम न होगा।

२. **सारे मुंह पर हाथ फेरना:-** इस तरह कि कोई हिस्सा बाक़ी न रह जाए। अगर बाल बराबर भी कोई जगह रह गई तो तयम्मुम न होगा।

३. **दोनों हाथों का कोहनियों समेत मसह करना:-** इस में भी यह ख्याल रहे कि ज़र्रा बराबर जगह बाक़ी न रह जाये वरना तयम्मुम न होगा। (आमए कुतुब)

तयम्मुम का मसूनन तरीक़ा यह है कि नीयत करके बिस्मिल्लाह पढ़ कर दोनों हाथ ज़मीन या मिट्टी या और किसी ऐसी चीज़ पर जिस पर मिट्टी या गु़बार हो मारे उंगलियां खुली रखे और फिर हाथों को झाड़ ले इस तरह कि एक हाथ के अंगूठे की जड़ को दूसरे हाथ के अंगूठे की जड़ पर मारे न इस तरह कि ताली की सी आवाज़ निकले और फिर दोनों हाथ मुंह पर फेरे फिर दोबारा यूं ही करे और पहले दाहिने हाथ का मसह करे फिर बायें हाथ का। इस तरह कि बायें हाथ के अंगूठे के अलावा चार उंगलियों का पेट दाहिने हाथ की पुशत पर रखे और उंगलियों के सिरे से कोहनियों तक ले जाये और फिर वहां से बायें हाथ की हथेली से दाहिने हाथ के पेट को

छूते हुई गट्टे तक लाये और बायें अंगूठे के पेट से दाहिने अंगूठे की पुशत का मसह करे यूं ही दाहिने हाथ से बायें का मसह करे। (आमए कुतुब)

कुछ और मसाइल

१. औरत नाक में फूल पंहने हो तो निकाल ले वरना फूल की जगह बाकी रह जायेगी और नथ पहने हो जब भी ख़्याल रखे कि नथ की वजह से कोई जगह बाक़ी तो नहीं रही।

२. अंगूठी, छल्ले पहने हो तो इन्हें उतार कर उनके नीचे हाथ फेरना फ़र्ज़ है। औरतों को उस में बहुत एहतियात की ज़रूरत है कंगन चुड़ियां जितनें ज़ेवर हाथ में पहने हों सब को हटा कर या उतार कर जिल्द के हर हिस्सा पर हाथ पहुंचाए। उसकी एहतियात वुजू से बढ़ कर है।

३. तयम्मुम में सर और पांव का मसह नहीं।

४. एक ही मर्तबा हाथ मारकर मुंह और हाथों पर फेर लिया या एक या दो उंगलियों से मसह किया अगरचे तमाम अजू पर उनको फेर लिया हो तो तयम्मुम न हुआ।

५. तयम्मुम उसी चीज़ से हो सकता है जो ज़मीन की जिन्स से हो। जो आग से जल कर राख होती है न पिघलती है न नर्म होती है वह जिन्स ज़मीन से है जैसे रेता, चूना, हड़ताल, गीरो वग़ैरह।

६. गेहूं जौ वग़ैरह गल्ला और लकड़ी, शीशे वग़ैरह पर इतना गुबार हो कि हाथ में लग जाता हो तो उस गुबार से तयम्मुम जायज़ है और हाथ में न लगता हो तो नहीं गुछ की दीवार पर भी तयम्मुम जायज़ है।

७. जिस जगह से एक ने तयम्मुम किया दूसरा भी कर सकता है। ये जो मशहूर है कि मस्जिद की दीवार या ज़मीन से तयम्मुम नाजायज़ या मकरूह है, ग़लत है।

८. जिन चीज़ों से वुज़ू टूटता है या गुस्ल वाजिब होता है उनसे तयम्मुम भी जाता रहेगा और अलावा उनके पानी पर क़ादिर होने से भी तयम्मुम टूट जायेगा।

९. जिस हालत में तयम्मुम नाजायज़ है अगर वह तयम्मुम के बाद पाई गई तो तयम्मुम टूट गया जैसे तयम्मुम वाले का ऐसी जगह गुज़र हुआ कि वहां से एक मील के अन्दर पानी है तो तयम्मुम जाता रहा। यह ज़रूरी नहीं कि पानी के पास पहुंच जाये।

१०. मरीज़ ने गुस्ल का तयम्मुम किया था और अब इतना तंदुरुस्त हो गया कि तयम्मुम से नुक़सान नहीं पहुंचेगा तो तयम्मुम जाता रहा।

११. पानी पर गुज़रा और तयम्मुम याद नहीं जब भी तयम्मुम जाता रहा। (आलमगीरी, रददुलमुहतार, बहारे शरीअत)

हैज़ का बयान

अल्लाह अज़्ज़ोजल इर्शाद फ़रमाता है:--

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى هُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْ

فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْ هُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ

يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ○

ऐ महबूब तुम से हैज़ के बारे में जो सवाल करते हैं तुम फ़रमा दो वह गन्दी चीज़ है तो हैज़ में औरतों से बचो और उनसे क़ुरबत न करो जब तक पाक न हो लें तो जब पाक हो जायें उनके पास उस जगह जाओ जिसका अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह

दोस्त रखता है तौबा करने वालों को और दोस्त रखता है पाक रहने वालों को।

हैज़ की हिकमत:- बालिग़ औरत के बदन में कुदरती, ज़रूरत से कुछ ज़्यादा खून पैदा होता है कि हमल की हालत में वह खून बच्चे की ग़िज़ा में काम आए और बच्चा के दूध पीने के ज़माने में खून दूध हो जाए और ऐसा न हो तो हमल और दूध पिलाने के ज़माने में उसकी जान पर बन जाये यही वजह है कि हमल और दूध पिलाने के शुरू के दिनों में खून नहीं आता और जिस ज़माने में न हमल हो न दूध पिलाना वह खून अगर बदन से न निकले तो किस्म किस्म की बीमारीयां लग जायें।

हैज़ के मसाइल

मसला:- बालिग़ औरत के आगे के मक़ाम से जो ख़ून आदी तौर पर निकलता है और बीमारी या बच्चा पैदा होने के सबब से न हो उसे हैज़ कहते हैं और बीमारी से तो इस्तिहाज़ा और बच्चा पैदा होने के बाद हो तो निफ़ास कहते हैं। (आमए कुतुब)

मसला:- हैज़ की मुद्दत कम से कम तीन दिन तीन रातें हैं। यानी पूरे ७२ घंटे एक मिनट भी अगर कम है तो हैज़ नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा दस दिन दस रातें हैं।

मसला:- किरन चमकती थी कि हैज़ शूरू हुआ और तीन दिन तीन रातें पुरी हो कर किरण चमकते ही वक़्त पर खत्म हुआ तो हैज़ है अगरचे तीन दिन तीन रात की मिक्दार ७२ घंटे नहीं है मगर तुलूअ से तुलूअ तक या गुरूब से गुरूब तक ज़रूर एक दिन रात है।

मसला:– तुलूअ व गुरूब के अलावा अगर किसी और वक़्त हैज़ शुरू हुआ तो वही २४ घंटे का एक दिन रात लिया जायेगा। मसलन सुबह को ठीक ९ बजे शुरू हुआ तो कल ठीक ९ बजे एक दिन रात होगा। (फ़तावा रिज़विया, बहारे शरीअत)

मसला:– दस रात दिन से कुछ भी ज़्यादा ख़ून आया, तो अगर यह हैज़ पहली मर्तबा उसे आया है तो दस दिन तक हैज़ है। बाद का इस्तिहाज़ा और अगर पहले उसे हैज़ आ चुके है और आदत दस दिन से कम थी तो आदत से जितना ज़्यादा हुआ इस्तिहाज़ा है उसे यूं समझो कि उसे आदत पांच दिन की थी अब खून आया दस दिन तो कुल हैज़ है और यह समझा जायेगा कि उसकी आदत बदल गई लेकिन अगर दस दिन से ज़्यादा मसलन गयारह या बारह दिन खून आया तो पांच दिन हैज़ के बाकी सात दिन इस्तिहाजा के और अगर एक हालत मुकर्रर न थी बल्कि कभी चार दिन खून आया कभी पांच दिन तो पिछली बार जितने दिन थे वही अब भी हैज़ के हैं बाकी दिन इस्तिहाज़ा के। (रददुलमुहतार, मराकीलफ़लाह वग़ैरह)

मसला:– यह ज़रूरी नहीं कि मुद्दत में हर वक़्त खून जारी रहे। जभी हैज़ हो बल्कि अगर बाज़ बाज़ वक़्त भी आये जब भी हैज़ है।

मसला:– कम अज़ कम नौ बरस की उम्र से हैज़ शूरू होगा और इन्तहाई उम्र हैज़ आने की पचपन साल है। इस उम्र वाली औरत को आईसा और इस उम्र को सिनअयास कहते हैं तो नौ बरस की उम्र से पेशतर जो खून आए वह इस्तिहाज़ा है और पचपन साल की उम्र के बाद खून आय वह भी इस्तिहाज़ा है हां उस पिछली सूरत में अगर ख़ालिस ख़ून आये जैसे आता था उसी रंग का आया तो हैज़ है। (रददुलमुहतार वग़ैरह)

मसलाः– हमल वाली औरत को खून आया इस्तिहाज़ा है यूं ही बच्चा होते वक़्त जो खून आया और अभी आधे से ज़्यादा बच्चा बाहर नहीं निकला वह इस्तिहाज़ा है। (रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

मसलाः– दो हैज़ों के दरमियान कम से कम पूरे पन्द्रह दिन का फासला ज़रूरी है यूं ही हैज़ व निफ़ास के दरमियान भी पन्द्रह दिन का फ़ासला ज़रूरी है तो अगर निफ़ास खत्म होने के बाद पन्द्रह दिन पूरे न हुए थे कि खून आ गया तो इस्तिहाज़ा है। (रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

मसलाः– हैज़ उसी वक़्त से शुमार किया जायेगा कि खून फुरुज ख़ारिज में आ गया तो अगर कोई कपड़ा रख लिया है जिसकी वजह से खून फुरुज खारिज में नहीं दाख़िल ही में रुका हुआ है तो जब तक कपड़ा न निकालेगी हैज़ वाली न होगी। नमाज़ पढ़ेगी रोज़ा रखेगी। (रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

मसलाः– हैज़ के छः रंग हैं– सियाह, सुर्ख, सब्ज़, ज़र्द, गदला, मटीयाला, सफेद रंग, की रतूबत हैज़ नहीं तो दस दिन के अन्दर रतूबत में जरा भी मैला पन है तो वह हैज़ है दस दिन रात के बाद भी मैला पन बाकी रहे, तो आदत वाली के लिए जो दिन आदत के हैं। वह हैज़ हुआ और आदत से बाद वाले दिन इस्तिहाज़ा और अगर कुछ आदत नहीं तो दस दिन रात तक हैज़ बाकी इस्तिहाज़ा।

मसलाः– गद्दी जब तर थी तो उस में ज़र्दी या मैला पन था बाद सूख जाने के सफेद हो गई तो मुद्दत हैज़ में हैज़ ही है और अगर जब देखा था सफेद थी सूख कर ज़र्द हो गई तो यह हैज़ नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसलाः– जिस औरत को पहली मर्तबा खून आया और उसका

सिलसिला महीनों या बरसों जारी रहा कि बीच में पन्द्रह दिन के लिये भी न रुका तो जिस दिन से खून आना शूरू हुआ उस रोज़ से दस दिन तक हैज़ और बाकी बीस दिन इस्तिहाज़ा के समझे और जब तक खून जारी रहे यही कायदा बरते और अगर उससे पेशतर हैज़ आ चुका है तो उससे पहले जितने दिन हैज़ के थे हर तीस दिन में उतने दिन हैज़ के समझे। बाकी जो दिन बचें वह इस्तिहाज़ा।

मसला:– जिस औरत को उम्र भर खून नहीं आया या आया मगर तीन दिन से कम आया तो उम्र भर वह पाक ही रही और एक बार तीन दिन रात खून आया फिर कभी न आया तो फ़क्त वह तीन दिन रात हैज़ के हैं बाक़ी हमेशा के लिए पाक। (रददुलमुहतार)

मसला:– जिस औरत को दस दिन खून आया उसके बाद साल भर तक पाक रही। फिर बराबर खून जारी रहा तो वह उस ज़माने में नमाज़ रोज़ा के लिए हर महीना मे दस दिन हैज़ के समझे और बीस दिन इस्तिहाज़ा। (रददुलमुहतार)

मसला:– जिस औरत को पहले हैज़ के दिन याद, न यह याद कि किन तारीखों में आया था। अब तीन दिन या ज़्यादा खून आकर बन्द हो गया फिर तहारत के पन्द्रह दिन पूरे न हुए थे कि फिर खून जारी हुआ और हमेशा को जारी हो गया तो उसका वही हुक्म है जैसे किसी को पहले पहल खून आया और हमेशा को जारी हो गया कि दस दिन हैज़ के शुमार करे फिर बीस दिन तहारत के। (रददुलमुहतार)

मसला:– जिसकी आदत मुकर्रर न हो बल्कि कभी मसलन छ: दिन हैज़ के हों और कभी सात दिन। अब जो ख़ून आया तो बन्द होता ही नहीं तो उस के लिए नमाज़ रोज़ा के हक में कम मुद्दत

यानी छः दिन हैज़ के करार दिये जायेंगे और सातवें रोज़ नहाकर नमाज़ पढ़े और रोज़ा रखे (जबकि रमज़ान हों) मगर सात दिन पूरे होने के बाद फिर नहाने का हुक्म है और सातवें दिन जो फर्ज़ रोज़ा रखा है उसकी कज़ा करे। और मुद्दत गुज़रने या शोहर के पास रहने के बारे में ज़्यादा मुद्दत यानी सात दिन हैज़ के माने जायेंगे, यानी सातवें दिन उससे कुर्बत जायज़ नहीं। (बदाइअ)

मसला:– किसी को एक दो दिन खून आकर बन्द हो गया और शुरू हुये दिन पूरे न हुए थे कि फिंर खून आया और दसवें दिन बन्द हो गया तो यह दसवें दिन हैज़ के हैं अगर दस दिन के बाद भी जारी रहा तो दो सूरतें हैं। अगर पहले की आदत मालूम है तो आदत के दिनों में हैज़, बाकी इस्तिहाज़ा और अगर पहले की आदत मालूम नहीं तो दस दिन हैज़ के बाकी इस्तिहाज़ा (बदाइअ)

मसला:– किसी की आदत थी कि फलां तारीख में हैज़ हो अब उससे एक दिन पहले खून आकर बन्द हो गया। फिर दस दिन तक नहीं आया और गियारवें दिन फिर आ गया तो खून न आने के जो यह दस दिन है उनमें से अपनी आदत के दिनों के बराबर हैज़ करार दे और अगर तारीख तो मुकर्रर थी मगर हैज़ के दिन मुअय्यन न थे तो यह दसों दिन खून न आने के हैज़ के हैं। (रददुलमुहतार)

मसला:– जिस औरत को तीन दिन से कम आकर खून आना बन्द हो गया और पन्द्रह दिन पूरे न हुये थे कि फिर आ गया तो पहली मर्तबा जब से खून आना शुरू हुआ है हैज़ है अब अगर उसकी कोई आदत है तो आदत के बराबर हैज़ के दिन शुमार करे वरना शुरू से दस दिन तक हैज़ और पिछली मर्तबा का इस्तिहाज़ा। (रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

मसला:– तीन दिन रात से कम ख़ून आया फिर पन्द्रह दिन तक पाक रही फिर तीन दिन रात से कम आया तो न पहली मर्तबा का हैज़ है न यह। बल्कि दोनों इस्तिहाज़ा हैं। (बहारे शरीअत)

निफ़ास का बयान

हम पहले बयान कर आये हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद जो ख़ून औरत के आगे के मक़ाम से आता है उसे निफ़ास कहते हैं अब उसके मुताल्लिक़ मसाइल बयान करते हैं।

मसला:–१ निफ़ास में कमी की जानिब कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं, आधे से ज़्यादा बच्चा निकलने के बाद एक आन भी ख़ून आता तो वह निफ़ास है और ज़्यादा से ज़्यादा उसका ज़माना चालीस दिन रात है और निफ़ास की मुद्दत का शुमार उस वक़्त से होगा कि आधे से ज़्यादा बच्चा निकल आया और उस बयान में जहां बच्चा पैदा हुये का लफ़्ज़ आयेगा उसका मतलब आधे से ज़्यादा बाहर आना है। (आमए कुतुब)

मसला नम्बर २:– किसी औरत को चालीस दिन से ज़्यादा ख़ून आया तो अगर उसके पहली बार बच्चा पैदा हुआ है या यह याद नहीं कि उससे पहले बच्चा होने में कितने दिन ख़ून आया था। तो चालीस दिन रात निफ़ास से बाकी इस्तिहाज़ा और जो पहली आदत मालूम हो तो आदत के दिनों तक निफ़ास है और जितना ज़्यादा है वह इस्तिहाज़ा, जैसे आदत तीस दिन की थी इस बार पैंतालीस दिन आया तो तीस दिन निफ़ास के हैं और पन्द्रह दिन इस्तिहाज़ा के। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसला नम्बर ३:– बच्चा पैदा होने से पेशतर जो ख़ून आया

निफ़ास नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है अगरचे आधा बाहर आ गया हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला नम्बर ४:- हमल साक़ित हो गया और उसका कोई अज़ू बन चुका है, जैसे हाथ पांव, उंगलियां तो यह खून निफ़ास है वरना अगर तीन रात तक रहा और उससे पहले पन्द्रह दिन पाक रहने का ज़माना गुज़र चुका है तो हैज़ है और अगर तीन दिन से पहले ही बन्द हो गया या अभी पूरे पन्द्रह दिन तहारत के नहीं गुज़रे हैं तो इस्तिहाज़ा है। (रददुलमुहतार)

मसला नम्बर ५:- पेट से बच्चा काट कर निकाला गया तो उसके आधे से ज़्यादा निकालने के बाद निफ़ास है। (रददुलमुहतार)

मसला नम्बर ६:- हमल साक़ित होने से पहले कुछ खून आया कुछ बाद को तो पहले वाला इस्तिहाज़ा है बाद वाला निफ़ास। यह उस सूरत में है कि जब कोई अज़ू बन चुका हो वरना पहले वाला अगर हैज़ हो सकता है तो हैज़ है वरना इस्तिहाज़ा जैसा कि अभी ऊपर गुज़रा। (दुर्रे मुख़्तार, रददुलमुहतार)

मसला नम्बर ७:- हमल साक़ित हुआ और यह मालूम नहीं कि कोई अज़ू बना था या नहीं न यह याद है कि हमल कितने दिन का था कि उसी से अज़ू बनना न बनना मालूम हो जाता यानी १२० दिन (चार माह) हो गये हैं तो अज़ू बन जाना क़रार दिया जायेगा, और बाद इस्क़ात के खून हमेशा को जारी हो गया, तो उसे हैज़ के हुक्म में समझे कि हैज़ की जो आदत थी उसके गुज़रने के बाद नहा कर नमाज़ शुरू करदे और आदत न थी तो दस दिन के बाद। (रददुलमुहतार)

मसला नम्बर ८:- जिस औरत के दो बच्चे जुड़वां पैदा हुये यानी

दोनों की पैदाइश के दरमियान छः महीने से कम ज़माना है तो पहला ही बच्चा होने के बाद से निफ़ास समझा जायेगा। फिर अगर दूसरा चालीस दिन के अन्दर पैदा हुआ और खून आया था तो पहले से चालीस दिन तक निफ़ास है फिर इस्तिहाज़ा, और अगर चालीस दिन के बाद पैदा हुआ तो उसके पीछे के बाद जो खून आया इस्तिहाज़ा है। निफ़ास नहीं। मगर दूसरे के पैदा होने के बाद भी नहाने का हुक्म दिया जायेगा। (रददुलमुहतार)

मसला नम्बर ९:– अगर दोनों बच्चों की पैदाइश में छः महीने या ज़्यादा का फ़ासला है तो दूसरे के बाद भी निफ़ास है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला नम्बर १०:– चालीस दिन के अन्दर कभी खून आया कभी नहीं तो निफ़ास ही है अगरचे पन्द्रह दिन का फ़ासला हो जाये। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

हैज़ व निफ़ास के मुताल्लिक़ अहकाम

१. हैज़ व निफ़ास वाली औरत को कुरआन मजीद पढ़ना, देख कर हो या ज़बानी या उसको छूना अगरचे उसकी जिल्द या चोली या हाशिया को हाथ लगे या उंगली की नोक या बदन का कोई हिस्सा लगे या अगरचे कुरते के दामन या दोपट्टा के आंचल या किसी ऐसे कपड़े से छूए जिसको पहने ओढ़े हुए हो तो यह सब हराम हैं हां जुज़्दान में कुरआन मजीद हो तो उस जुज़दान के छूने में हर्ज नहीं। (आमए कुतुब)

२. कागज़ के पर्चे पर कोई सूरत या आयत लिखी हो तो उसका भी छूना हराम है और कुरआन के साथ कुरआन का तर्जुमा फ़ारसी या उर्दू या किसी ज़बान में हो उसके भी छूने और पढ़ने में कुरआन

मजीद का सा हुक्म है। (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी वग़ैरह)

३. मुअल्लिमा (कुरआन पढ़ाने वाली) को हैज़ व निफ़ास की हालत में एक एक कलिमा सांस तोड़ तोड़ कर पढ़ाना चाहिए और हिज्जे कराने में कोई हर्ज नहीं। (रद्दुलमुहतार)

४. कुरआन मजीद के अलावा और दूसरे अज़कार मसलन कलिमा शरीफ़, दरूद शरीफ इस्तग़फ़ार वग़ैरह बिला कराहत जायज़ बल्कि मुस्तहब हैं और उन चीज़ों को वुज़ू या कुल्ली करके पढ़ना बेहतर है। और वैसे भी पढ़ लिया जब भी हर्ज नहीं और उनके छूने में भी हर्ज नहीं। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

५. नमाज़ के वक़्त वुज़ू करके इतनी देर तक ज़िक्र इलाही दरूद शरीफ़ और दूसरे वज़ाइफ़ मसलन शिजरा वग़ैरह दुआयें पढ़ लिया करे। जितनी देर नमाज़ पढ़ती थी ताकि आदत रहे। (आलमगीरी)

६. ऐसी औरत को अज़ान देना जायज़ है। (आमए कुतुब)

७. ऐसी औरत को मस्जिद में जाना, या ख़ाना काबा के अन्दर जाना और उसका तवाफ़ करना अगरचे मस्जिदे हराम के बाहर से हराम है यूं ही मस्जिद से गुज़रना या उस हालत में सज्दा शुक्र व तिलावत करना हराम है और आयत सज्दा सुनने से उस पर सज्दा वाजिब नहीं। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार वगैरह) हां ईदगाह के अन्दर जाना या हाथ बढ़ा कर कोई चीज़ मस्जिद से लेना जायज़ है। (रद्दुलमुहतार)

८. इस हालत में रोज़ा रखना और नमाज़ पढ़ना हराम है। बल्कि जो नमाज़ें माफ़ हैं उनकी क़ज़ा भी नहीं। हां रोज़ों की क़ज़ा और दिनों में रखना फ़र्ज़ है। (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी)

९. नमाज़ का वक़्त आख़िर आ गया और अभी तक नमाज़ नहीं

पढ़ी कि हैज़ आया या बच्चा पैदा हुआ तो उस वक़्त की नमाज़ माफ हो गई। अगरचे इतना तंग वक़्त हो गया कि उस नमाज़ की गुंजाइश न हो। (आलमगीरी)

१०. नमाज़ पढ़ने में हैज़ आ गया या बच्चा पैदा हुआ तो वह नमाज़ माफ है। अलबत्ता अगर नफिल नमाज़ थी तो उनकी कज़ा वाजिब है। (आलमगीरी)

११. हैज़ वाली को तीन दिन से कम खून आकर बन्द हो गया तो रोज़े रखे और वुज़ू करके नमाज़ पढ़े। नहाने की ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद अगर पन्द्रह दिन के अन्दर खून आया तो अब नहाये और आदत के दिन निकाल कर बाकी दिनों की कज़ा करे और जिसकी कोई आदत नहीं वह दस दिन के बाद नमाज़ें कज़ा करे हां अगर आदत के दिनों के बाद या बे आदत वाली ने दस दिन के बाद गुस्ल कर लिया था तो उन दिनों की नमाज़ें हो गईं। कज़ा करे और बाद के रोज़े हर हाल में हो गये।

१२. जिस औरत को तीन दिन रात के बाद हैज़ बन्द हो गया और आदत के दिन अभी पूरे न हुये, या निफ़ास का खून आदत पूरी होने से पहले बन्द हो गया तो बन्द होने के बाद ही गुस्ल करके नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे आदत के दिनों का इंतज़ार न करे।

१३. आदत के दिनों से खून ज़्यादा आ गया (दिन चढ़ गये) तो हैज़ में दस दिन और निफ़ास में ४० दिन तक इन्तज़ार करे। अगर इस मुद्दत के बाद भी जारी रहा तो नहाये और आदत के बाद बाकी दिनों की कज़ा करे। नमाज़ की भी और रोज़ों की भी।

१४. हैज़ या निफ़ास आदत के दिन पूरे होने से पहले बन्द हो गया तो आखिर वक़्त मुस्तहब तक इन्तज़ार करके नहा कर नमाज़

पढ़े और जो आदत के दिन पूरे हो चुके तो इन्तज़ार की कुछ हाजत नहीं। (आलमगीरी रददुलमुहतार वग़ैरह)

१५. हैज़ पूरे दस दिन पर और निफ़ास पूरे चालीस दिन पर खत्म हुआं और नमाज़ के वक़्त में अगर इतना भी बाकी हो कि अल्लाहु अक्बर का लफ़्ज़ कहे तो उस वक़्त की नमाज़ उस पर फ़र्ज़ हो गई। नहाकर उसकी क़ज़ा करे और अगर उससे कम में बन्द हुआ और इतना वक़्त है कि जल्दी नहा कर और कपड़े पहन कर एक बार अल्लाहु अक्बर कह सकती है तो फ़र्ज़ हो गई क़ज़ा करे और इतना वक़्त न हो तो नहीं। (रददुलमुहतार)

१६. अगर पूरे दस दिन पर पाक हुई और इतना वक़्त भी रात को बाक़ी नहीं कि एक बार अल्लाहु अक्बर कह ले तो उस दिन का रोज़ा उस पर वाजिब है और जो कम में पाक हुई और इतना वक़्त है कि सुबह सादिक होने से पहले नहा कर कपड़े पहन कर अल्लाहु अक्बर कह सकती है तो रोज़ा फ़र्ज़ है। अगर नहा ले तो बेहतर वरना बे नहाये नीयत करले और सुबह को नहा ले। और जो इतना वक़्त भी नहीं तो उस दिन का रोज़ा उस पर फ़र्ज़ न हुआ अलबत्ता रोज़ादारों की तरह रहना वाजिब है। कोई बात ऐसी जो रोज़े के खिलाफ हो मसलन खाना पीना हराम है। (दुर्रे मुख़्तार, रददुलमुहतार)

१७. रोज़े की हालत में हैज़ या निफ़ास शुरू हो गया तो वह रोज़ा जाता रहा। उसकी क़ज़ा रखे फ़र्ज़ था तो क़ज़ा फ़र्ज़ है और नफ़िल थी तो क़ज़ा वाजिब (आलमगीरी)

१८. हैज़ व निफ़ास वाली को अख़्तियार है कि छुप कर खाए या जाहिरन, रोज़ादार की तरह रहना उस पर ज़रूरी नहीं।

(जोहरह) मगर छुप कर खाना बेहतर है। खसूसन हैज़ वाली के लिए। (बहारे शरीअत)

१९. हैज़ व निफास वाली पाक हो गई, कुछ दिन बाकी रह गया है तो उसे रोज़े की मिस्ल गुज़ारे और उस रोज़े की कज़ा वाजिब है। (दुर्रे मुख्तार)

२०. औरत सोते वक़्त पाक थी और सुबह सो कर उठी तो हैज़ का असर देखा तो उसी वक़्त से हैज़ का हुक्म दिया जायेगा। लेहाज़ा अगर इशा की नमाज़ नहीं पढ़ी थी तो पाक होने पर उस की कज़ा फर्ज़ है।

२१. हैज़ वाली सो कर उठी और गद्दी पर कोई निशान हैज़ का नहीं तो रात ही से पाक है। नहा कर इशा की कज़ा पढ़े। (दुर्रे मुख्तार, रददुलमुहतार वगैरह)

२२. हमबिस्तरी यानी जिमाअ इस हालत में हराम है। उसे जायज़ जानना कुफ्र है और हराम समझ कर, कर लिया तो सख़्त गुनाह की बात है। उस पर तौबा फर्ज है अब अगर शुरू दिनों में किया तो एक दीनार और आखिर दिनों में किया तो आधा दीनार खैरात करना मुस्तहब है। (दुर्रे मुख्तार, रददुलमुहतार)

२३. इस हालत में नाफ से घुटने तक औरत के बदन से मर्द का अपने अजू से छूना भी जायज़ नहीं जबकि बदन पर कपड़ा वग़ैरह मौजूद न हो। शहवत से हो या बे शहवत हां अगर बदन पर कोई ऐसी चीज़ हो कि बदन में गर्मी महसूस न होगी तो हर्ज नहीं। (दुर्रे मुख्तार वग़ैरह)

२४. नाफ से ऊपर और घूटने से नीचे छूने या किसी तरह का नफह लेने में कोई हर्ज नहीं यूंही बोस व किनार

भी जायज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

२५. औरत इस हालत में शौहर के साथ खा पी सकती है। बल्कि दोनों एक पलंग पर सो भी सकते हैं। बल्कि उस वजह से साथ न सोना मकरूह है। (दुर्रे मुख़्तार, रददुलमुहतार) हां हमराह सोने में शहवत का ग़लबा हो और अपने को क़ाबू में न रखने का एहतमाल हो तो साथ न सोये और उसका गालिब गुमान हो तो साथ सोना गुनाह है (बहारे शरीअत)

२६. पूरे दस दिन पर हैज़ खत्म हुआ तो पाक होते ही उससे जिमाअ (सोहबत) जायज़ है। अगरचे अब तक गुस्ल न किया हो मगर मुस्तहब यह है के नहाने के बाद जिमाअ करे और दस दिन से कम में पाक हुई तो जब तक गुस्ल न करे या नमाज़ का वक़्त जिस में पाक हुई वह गुज़र न जाए, जिमाअ जायज़ नहीं और अगर इतना वक़्त नहीं था कि उस में नहा कर कपड़े पहन कर अल्लाहु अक्बर कह सके तो उसके बाद का वक़्त गुज़र जाये या गुस्ल कर ले तो जिमाअ जायज़ है वरना नहीं। (दुर्रे मुख़्तार, वग़ैरह)

२७. आदत के दिन पूरे होने से पहले ही खत्म हो गया तो अगरचे गुस्ल करले, जिमाअ नाजायज़ है। जब तक कि आदत के दिन पूरे न हो जायें। मसलन किसी की आदत छः दिन की थी और इस मर्तबा पांच ही रोज़ आया तो उसे हुक्म है कि नहाकर नमाज़ शुरू कर दे मगर जिमाअ के लिए एक दिन और इंतजार करना वाजिब है। (आलमगीरी वग़ैरह)

२८. औरत हैज़ से पाक हुई और पानी पर कुदरत नहीं कि गुस्ल करे और गुस्ल का तयम्मुम किया तो उससे सोहबत जायज़ नहीं। जबतक कि उस तयम्मुम से नमाज़ न पढ़ ले। नमाज़

पढ़ने के बाद अगरचे पानी पर क़ादिर हो गुस्ल न किया सोहबत जायज़ है। (दुर्रे मुख़्तार, रददुलमुहतार)

२९. औरत को यह जायज़ नहीं कि अपने हैज़ अपने शोहर से छुपाये कि कहीं वह नादानिस्ता जिमाअ न करे। जैसा कि यह जायज़ नहीं कि वह खूद को हैज़ वाली ज़ाहिर करे हालांकि वह हैज़ वाली नहीं। (मराक़ीलफ़लाह)

३०. इन बातों में निफ़ास के वही अहकाम हैं जो हैज़ के हैं। (रददुलमुहतार)

३१. बच्चा अभी आधे से ज़्यादा पैदा नहीं हुआ और नमाज़ का वक़्त जा रहा है और यह गुमान है कि आधे से ज़्यादा बाहर होने से पेशतर वक़्त खत्म हो जायेगा तो उस वक़्त की नमाज़ जिस तरह मुमकिन हो पढ़े। अगर क़ियाम रुकूअ सजूद न हो सके तो इशारे से पढ़े वुजू न करे तो तयम्मुम से पढ़े और अगर न पढ़ी तो गुनाहगार होगी, तौबा करे और बाद तहारत क़ज़ा पढ़े। (बहारे शरीअत, फतावा रिज़विया)

ज़रूरी निहायत ज़रूरी

निफ़ास में औरत को ज़च्चा खाने से निकलना जायज़ है उसको साथ खिलाने या उसका झूठा खाने में हर्ज नहीं। इन इलाकों में जो बाज़ जगह उनके बर्तन से हाथ लगाने नहीं देतीं। यह सब वाही तबाही बातें हिन्दुओं की रस्में हैं। ऐसी बेहूदा रस्मों से दूर रहना लाज़िम है। अक्सर औरतों में यह रिवाज है कि जब तक चिल्ला पूरा न होले अगरचे निफ़ास ख़त्म हो गया हो न नमाज़ पढ़ें न अपने आप को

नमाज़ के काबिल जानें। यह महज़ जिहालत है जिस वक़्त निफ़ास खत्म हो उसी वक़्त से नहा कर नमाज़ शुरू कर दें और अगर नहाने में बीमारी का पूरा अन्देशा है तो तयम्मुम करें और नमाज़ पढ़े। (फ़तावा रिज़विया, बहारे शरीअत)

इस्तिहाज़ा के अहकाम

वह खून जो बालिग़ औरत के आगे के मक़ाम से आये लेकिन न तो आदी तौर पर और न बच्चा की पैदाइश के बाद, बल्कि किसी बीमारी की वजह से हो उसे इस्तिहाज़ा कहते हैं।

१. इस्तिहाज़ा में नमाज़ माफ़ है न रोज़ा और न ऐसी औरत से सोहबत हराम (आमए कुतुब)

२. इस्तिहाज़ा अगर उस हद तक पहुंच गया कि उसको इतनी मोहलत नहीं मिलती कि वुज़ू करके नमाज़ अदा कर सके तो नमाज़ का पूरा एक वक़्त शुरू से आखिर तक, उसी हालत में गुज़र जाने पर उस को माअज़ूर (उज़्र वाली) कहा जाएगा। एक वुज़ू से उस वक़्त में जितनी नमाज़ें चाहे पढ़े खून आने से उसका वुज़ू न जायेगा। (दुर्रे मुख्तार, रददुलमुहतार)

३. अगर कपड़ा वग़ैरह रख कर देर तक खून को रोक सकती है कि वुज़ू करके नमाज़ पढ़ ले तो उज़्र साबित न होगा। (दुर्रे मुख्तार)

४. इस्तिहाज़ा वाली अगर गुस्ल करके जुहर की नमाज़ आख़िर वक़्त में और अस्र की नमाज़ की वुज़ू करे अव्वल वक़्त में और मग़रिब की नमाज़ गुस्ल करके आखिर वक़्त में पढ़े और इशा की वुज़ू करे और अव्वल वक़्त में और फज्र भी गुस्ल करके पढ़े तो बेहतर है और अजब नहीं कि यह अदब जो हदीस में इरशाद हुआ है उसकी रियायत

५. हर वह शख़्स जिसको कोई ऐसी बीमारी है कि एक वक़्त पूरा नमाज़ का गुज़र गया कि वुज़ू के साथ फ़र्ज़ अदा न कर सका वह माज़ूर है। उसका भी यही हुक्म है कि अव्वल वक़्त में वूज़ू करले और आख़िर वक़्त तक जितनी नमाज़ें चाहे उस वुज़ू से पढ़े। उस बीमारी से उसका वुज़ू नहीं जाता, जैसे दस्त आना, या हवा ख़ारिज होना, या दुखती आंख से पानी गिरना या फोड़े वग़ैरह से हर वक़्त रतूबत बहना या कान, नाफ़, पिस्तान से पानी निकलना कि यह सब बीमारियां वुज़ू तोड़ने वाली हैं। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

६. फ़र्ज़ नमाज़ का वक़्त निकल जाये तो वुज़ू टूट जाता है जैसे किसी ने अस्र के वक़्त वुज़ू किया था तो सूरज डूबते ही वुज़ू जाता रहा। (आमए कुतुब)

७. जब पूरा वक़्त गुज़र जाये और वह चीज़ न पायी जाए जिसकी वजह से उसे माज़ूर कहा गया था मसलन ख़ून न आया तो अब माज़ूर न रही। (दुर्रे मुख़्तार, वग़ैरह)

८. माज़ूर का वुज़ू उस चीज़ से नहीं जाता जिसके सबब माज़ूर है। हां अगर कोई दूसरी चीज़ तोड़ने वाली पाई गई तो वुज़ू जाता रहा। मसलन जैसे नकसीर का मर्ज़ है हवा निकलने से उसका वुज़ू जाता रहेगा। (आमए कुतुब)

९. माज़ूर ने किसी दूसरे उज़्र के बाद वुज़ू किया और वूज़ू करते वक़्त वह उज़्र जिसकी वजह से यह माज़ूर है मुनक़ता था मगर वुज़ू करने के बाद यह उज़्र पाया गया तो वुज़ू जाता रहा जैसे इस्तिहाज़ा वाली ने पाख़ाना पेशाब के बाद वुज़ू किया और वुज़ू करते वक़्त ख़ून बन्द था बाद वुज़ू के आया तो वुज़ू टूट गया और अगर वुज़ू करते वक़्त वह उज़्र वाली चीज़ भी पाई जाती थी तो अब वुज़ू की

ज़रूरत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार, रददुलमुहतार)

१०. अगर किसी तर्कीब से उज़्र जाता रहे या उसमें कमी हो जाये तो उस तर्कीब को करना फ़र्ज़ है मसलन खड़े हो कर पढ़ने से खून बहता है और बैठ कर पढ़े तो न बहेगा तो बैठ कर फ़र्ज़ है। (आलमगीरी)

११. माजूर को ऐसा उज़्र है जिसके सबब कपड़े नजिस हो जाते हैं तो अगर एक दिरहम से ज़्यादा नजिस हो गया और जानता है कि इतना मौका है कि उसे धोकर पाक कपड़ों से नमाज़ पढ़ लूंगा तो धो कर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ हैं और अगर जानता है कि नमाज़ पढ़ते पढ़ते फिर इतना ही नजिस हो जायेगा तो धोना ज़रूरी नहीं इसी से पढ़ ले और अगर दिरहम के बराबर है तो पहली सूरत में धोना वाजिब है और अगर नजासत दिरहम से कम है तो धोना सुन्नत है और दूसरी सूरत में न धोने में कोई हरज नहीं। (आलमगीरी)

१२. किसी ज़ख्म से ऐसी रतूबत निकले कि बहे नहीं तो न उसकी वजह से वुजू टूटे न माजूर हो और न वह रतूबत नापाक है। (आमए कुतुब)

नजासत का बयान और उसके अहकाम

नजासत दो तरह की है एक वह जिस का हुक्म सख़्त है उस को ग़लीज़ा कहते हैं। दूसरी वह जिसका हुक्म हलका है। उसे ख़फ़ीफ़ा कहते है। (आमए कुतुब)

इन दोनों नजासतों के मुताल्लिक बाज़ अहकाम यह हैं।

१. नजासते ग़लीज़ा का हुक्म यह है कि अगर कपड़े या बदन में एक दिरहम से ज़्यादा लग जाए तो उसका पाक करना फर्ज़ है। बेपाक किये नमाज़ पढ़ ली तो होगी ही नहीं और जान बूझ कर पढ़ ली तो गुनाह भी हुआ।

और अगर दिरहम के बराबर है तो पाक करना वाजिब है कि बेपाक किये नामज़ पढ़ी तो उस नमाज़ का दोबारा पढ़ना वाजिब है और कस्दन पढ़ी तो गुनाह भी हुआ, और अगर दिरहम से कम है तो पाक करना सुन्नत है कि बेपाक किये नमाज़ पढ़ली तो होगई मगर सुन्नत के ख़िलाफ़ हुई उसको दोहरा लेना अच्छा है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

२. नजासते ख़फ़ीफ़ा का हुक्म है कि कपड़े के जिस हिस्से या बदन के जिस अजूव पर लगी है अगर उसकी चौथाई से कम है। (मसलन दामन में लगी है तो दामन की चौथाई से कम और आस्तीन में लगी है तो आस्तीन की चौथाई से कम, यूंही हाथ में हाथ की चौथाई से कम) तो माफ़ है कि उससे नमाज़ हो जाएगी और अगर पूरी चौथाई में हो तो बे धोए नमाज़ न होगी। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

३. नजासत अगर गाढ़ी (दल वाली) हो जेसे पाखाना, लीद, गोबर वग़ैरह तो दिरहम के बराबर या कम या ज़्यादा के मानी हैं कि वज़न में उसके बराबर या कम या ज़्यादा हो और दिरहम का वज़न उस जगह साढ़े चार माशा है और अगर पतली हो जैसे आदमी का पेशाब और शराब तो दिरहम से मुराद उसकी लम्बाई चौड़ाई है और शरीअत में उसकी मिक्दार हथेली की गहराई के बराबर यानी तकरीबन यहां के रुपये के बराबर है। (आमए कुतुब)

४. नजासते गलीज़ा और ख़फीफा के जो हुक्म अलग-अलग बताये गये हैं यह उसी वक़्त हैं कि कपड़े या बदन में लगे। और अगर किसी पतली चीज़ जैसे सिर्का या पानी में गिरे तो चाहे गलीज़ा हो या ख़फ़ीफ़ा वह चीज़ कुल नापाक हो जाएगी, अगरचे एक क़तरा गिरे मसलन पेशाब का एक कतरा पानी के बड़े मटके में गिर गया तो सब नापाक हो गया। (दुर्रे मुख़्तार)

५. पाखाना, पेशाब, बहता हुआ ख़ून, पीप, मुंह भर कै, हैज़ व निफास व इस्तिहाज़ा का ख़ून, मनी, मज़ी, वदी, दुखती आंख से, या नाफ और पिस्तान से दर्द के साथ निकलने वाला पानी, दूध पीते लड़के और लड़की का पेशाब, दूध पीने वाले बच्चे ने जो दूध डाल दिया और मुंह भर है।

खुशकी के हर जानवर का बहता हुआ खून, मुरदार का गोश्त और चरबी, हराम चौपाये जैसे कुत्ता शेर, लोमड़ी, बिल्ली, चूहा, गधा, खच्चर, हाथी, सुवर का पाखाना पेशाब और घोड़े की लीद। हर हलाल चौपाये का पाखाना जैसे गाय, भैंस का गोबर, बकरी, ऊंट की मेंगनी, और जो परिन्दा कि ऊंचा न उड़े उसकी बीट जैसे मुर्गी और बतख़ छोटी हो या बड़ी।

सुवर का गोश्त और हड्डी और बाल अगरचे ज़िबह किया गया हो। छपकली या गिरगिट का ख़ून, हाथी की सूंड की रतूबत, और शेर, कुत्ते, चीते और दूसरे दरिन्दे चौपायों का लुआब, सांप का पाखाना पेशाब और उस जंगली सांप और मेंडक का गोश्त जिन में बहता खून होता है। यूंही उनकी खाल अगरचे पकाई गई हो, यूंही हराम जानवरों का पित्ता।

और हर किस्म की शराब और नशा लाने वाली ताड़ी और

सेंधी और हराम जानवरों का दूध, यह सब चीज़ें नजासते गलीज़ा हैं। (दुर्रे मुख्तार बहारे शरीअत)

६. जिन जानवरों का गोश्त हलाल है उनका पेशाब, घोड़े का पेशाब, और जिस परिन्दा का गोश्त हराम है ख्वाह शिकारी हो या न हो उसकी बीट, हलाल जानवरों का पित्ता यह सब चीज़ें नजासते खफीफा हैं। (आमए कुतुब)

७. हर चौपाये की जुगाली का वही हुक्म है जो उसके पाखाने का (आमए कुतुब)

८. नजासते गलीज़ा, खफीफा में मिल जाए तो कुल गलीज़ है। अगरचे ख़फीफा ज़ायद हो। (दुर्रे मुख्तार रददुलमुहतार)

९. मछली और पानी के दूसरे जानवरों का खून और खच्चर व गधे का लुआब और पसीना और जो परिन्द हलाल ऊंचे उड़ते हैं। जैसे कबूतर, मैना उनकी बेट और जो खून ज़ख्म से बहा न हो और गोश्त, तिल्ली, कलेजी, में खून बाकी रह गया हो, रेशम के कीड़े की बीट और उसका पानी यह सारी चीज़ें पाक हैं कि बदन या कपड़े पर लग जाएं तो नापाक न होगा। (दुर्रे मुख्तार)

१०. गोश्त, तिल्ली, कलेजी वगैरह अगर बहते खून में सन जाएं तो नापाक हैं। बगैर धोये पाक न होंगी। (दुर्रे मुख्तार)

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

१. पेशाब की निहायत बारीक छींटें सूई की नोक के बराबर, बदन या कपड़े पर पड़ जाएं तो कपड़ा और बदन पाक रहेगा और ऐसा कपड़ा पानी में पड़ तो पानी भी नापाक न होगा। (दुर्रे मुख्तार वग़ैरह)

२. किसी कपड़े या बदन पर चन्द जगह निजासत गलीज़ा लगी और किसी दिरहम के बराबर नहीं मगर मजमूआ दिरहम के बराबर है तो दिरम के बराबर समझी जाएगी और ज़ायद है तो ज़ायद और नजासत ख़फ़ीफ़ा में भी मजमूआ ही पर हुक्म दिया जाएगा। (रददुलमुहतार)

३. नापाक कपड़े में पाक कपड़ा या पाक में नापाक कपड़ा लपेटा और उस नापाक कपड़े से यह पाक कपड़ा नम हो गया तो नापाक न होगा। बशर्ति कि निजासत का रंग या बू उस कपड़े में ज़ाहिर न हो वरना नमी आजाने से भी पाक हो जाएगा। अगर भीग जाए तो अब पाक कपड़ा भी नापाक हो जाएगा। और अगर नापाक कपड़े में पेशाब या शराब की तरी है तो पाक कपड़ा नम हो जाने से भी नापाक हो जाएगा। (आलमगीरी)

४. नापाक कपड़ा सूखा था और पाक तर था, दोनों को लपेट दिया और उस पाक की तरी से वह नापाक तर हो गया और उस नापाक को इतनी तरी पहुंची कि अब उससे छूट कर उस पाक को लगी तो यह भी नापाक हो गया वरना नहीं। (आलमगीरी)

५. पाखाने से मक्खियां उड़ कर कपड़े या बदन पर बैठें तो वह नापाक न होगा। (आलमगीरी)

६. रास्ते की कीचड़ पाक है। जब तक उस का नजिस होना मालूम न हो तो अगर पांव या कपड़े पर लगी और बे धोए नमाज़ पढ़ ली तो हो गई मगर धो लेना बेहतर है। (रददुलमुहतार)

७. सड़क पर पानी छिड़का जा रहा था। ज़मीन से छींटें उड़ कर कपड़े पड़ें तो कपड़ा नजिस न हुआ, मगर धो लेना बेहतर है। (बहारे शरीअत)

८. कुत्ता बदन या कपड़े से छू जाए तो अगरचे उसका जिस्म तर हो, बदन और कपड़ा पाक है। हां उसके बदन पर नजासत लगी हो तो और बात है या उसका लुआब लगे तो नापाक कर देगा। (आलमगीरी)

९. पाक मिट्टी में नापाक पानी मिलया तो मिट्टी नजिस हो गई। (आलमगीरी)

१०. औरत के पेशाब के मुकाम से जो रतूबत निकले पाक है। कपड़े या बदन में लगे तो धोना कुछ ज़रूरी नहीं। हां बेहतर है। बशर्ति कि मनी या मज़ी या खून उस में मखलूत न हो। (शामी)

११. जो गोश्त सड़ गया बदबू ले आया, नजिस नहीं। अगरचे उसका खाना हराम है।

नजिस चीज़ों के पाक करने का तरीक़ा

जो चीज़ें ऐसी हैं कि वह खुद नजिस हैं (जिनको नापाकी और नजासत कहते हैं) जैसे शराब या गोबर, लीद वग़ैरह गलीज़ चीज़ें हैं, यह जब तक अपनी अस्ल को छोड़ कर कुछ और न हो जायें पाक नहीं हो सकतीं। शराब जबतक शराब है नजिस ही रहेगी और सिर्का हो जाए तो अब पाक है और जो चीज़ें बज़ातिही नजिस नहीं बल्कि किसी नजासत के लगने से नापाक हो जाएं उन के पाक करने के मुख़्तलिफ तरीके हैं (आमए कुतुब) मसलन पानी (अगरचे मुसतअमल हो) और हर बहने वाली चीज़ से जिससे नजासत दूर हो जाए धोकर नजिस चीज़ को पाक कर सकते हैं। मसलन सिर्का

और गुलाब कि उनसे नजासत दूर कर सकते हैं। मगर बग़ैर ज़रूरत गुलाब और सिर्का वगैरह से पाक करना जायज़ नहीं कि फ़ुज़ूल खरची है। (दुर्रे मुख़्तार रददुलमुहतार)

मसला :- नजासत अगर दलदार हो (जैसे पाखाना, गोबर, खून वगैरह) तो धोने में गिनती की कोई शर्त नहीं बल्कि उसको दूर करना ज़रूरी है। अगरचे चार पांच मर्तबा धोना पड़े। हां अगर तीन मर्तबा से कम में नजासत दूर हो जाए तो तीन बार पूरा करलेना मुस्तहब है, (आलमगीरी)

मसला :- अगर नजासत दूर हो गई मगर उसका रंग या बदबू बाक़ी है तो उसे भी दूर करना ज़रूरी है। हां अगर उसके दूर करने में दिक़्क़त पेश आए तो तीन मर्तबा धो लेना ही काफ़ी है। (आलमगीरी)

मसला :- नजासत अगर रकीक (पतली बहने वाली) हो तो तीन मर्तबा धोने और तीनों मर्तबा खूब निचोड़ने से पाक होगा। ख़ूब निचोड़ने के मानी यह हैं कि वह शख़्स अपनी ताकत भर इस तरह निचोड़े कि अगर फिर निचोड़े तो उससे कोई कतरा न टपके। अगर कपड़े का ख्याल करके अच्छी तरह न निचोड़ा तो कपड़ा पाक न होगा। (आलमगीरी)

मसला :- पहली और दूसरी मर्तबा निचोड़ने के बाद हाथ पाक कर लेना चाहिए और तीसरी बार निचोड़ने से कपड़ा भी पाक हो गया और हाथ भी। और जो कपड़े में इतनी तरी रह गई कि निचोड़ने से एक आध बूंद टपकेगी तो कपड़ा और हाथा दोनों नापाक हैं। (आलमगीरी)

मसला:- पहली या दूसरी बार हाथ पाक नहीं किया और उसकी

तरी से कपड़े का पाक हिस्सा भीग गया तो यह भी नापाक हो गया। (बहारे शरीअत)

मसलाः- दूध पीते लड़के और लड़की का एक ही हुक्म है कि उनका पेशाब बदन या कपड़े में लगा है तो तीन बार धोना और हर मर्तबा निचोड़ना पड़ेगा। (रददुलमुहतार वग़ैरह)

मसलाः- जो चीज़ निचोड़ने के काबिल नहीं है। (जैसे चटाई, जूता वगैरह) उसको धोकर छोड़ दें कि पानी टपकना बन्द हो जाए। यूंही दो मर्तबा धोयें, जब तीसरी मर्तबा पानी टपकना बन्द हो गया वह चीज़ पाक हो गई। उसे हर मर्तबा के बाद सुखाना ज़रूरी नहीं। यूंही जो कपड़ा अपनी नाजुकी के सबब निचोड़ने के काबिल नहीं उसे भी यूंही पाक किया जाए। (रददुलमुहतार)

मसलाः- अगर ऐसी चीज़ नापाक हो गई कि इस में नजासत जज़्ब न हुई। जैसे चीनी के बरतन या मिट्टी का पुराना इस्तेमाल शुदा चिकना बरतन या लोहा, तांबा, पीतल वगैरह धातों की चीज़ें तो उसे फक्त तीन मर्तबा धो लेना काफी है। उसकी भी ज़रूरत नहीं कि पानी टपकना मौकूफ हो जाए। यही हुक्म बदन का है कि इसे तीन बार धो लेना ही काफी है। (रददुलमुहतार वग़ैरह)

मसलाः- यह ज़रूरी नहीं कि एक दम तीनों बार धोयें। बल्कि अगर मुख्तलिफ वक्तों बल्कि मुख्तलिफ दिनों में यह तादाद पूरी की जब भी वह चीज़ पाक हो जाएगी। (रददुलमुहतार)

२. लोहे और हर किस्म की धात की चीज़ें पोंछने से पाक हो जाती हैं जैसे छुरी चाकू वग़ैरह, यही हुक्म आईने, शीशे, और चीनी की बनी हुई चीज़ों का है। हां अगर यह चीज़ें नकशी हों या लोहे में ज़ंग हो तो अब धोना ज़रूरी है। पोंछने

से पाक न होंगी। (आलमगीरी)

३. मिट्टी कपड़े में लग कर खुश्क हो गई तो फक्त मल कर झाड़ने और साफ करने से कपड़ा पाक हो जाएगा। अगर मलने के बाद कुछ असर बाकी रह जाए या तर है तो बग़ैर धोए कपड़ा पाक न होगा। (आलमगीरी)

४. मोज़े या जूते में दलदार नजासत लगी जैसे पाखाना, गोबर तो खुरचने और रगड़ने से पाक हो जाएंगे।(रददुलमुहतार)

५. नापाक ज़मीन अगर खुश्क हो जाए और नजासत का असर यानी रंग, बू जाता रहे तो पाक हो गई मगर उससे तयम्मुम करना जायज़ नहीं। नमाज़ उस पर पढ़ सकते हैं। (आमए कुतुब)

इस्तिंजे के मुताल्लिक़ चन्द मसाइल

१. जब पाखाना पेशाब को जाए तो मुस्तहब है कि पाखाने से बाहर यह दुआ पढ़ ले।

بِسْمِ اللّٰہِ اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ
بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगती हूं पलीदी शयातीन से

फिर बायां कदम पहले दाखिल करे और निकलते वक़्त पहले दाहिना पांव बाहर निकाले और यह पढ़े। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَذْھَبَ عَنِّی الْاَذٰی وَعَافَانِیْ ط

हम्द है अल्लाह के लिए जिसने अज़ियत की चीज़ मुझ से दूर करदी और मुझे आफियत दी।

२. पाखाना पेशाब करते वक्त या तहारत में न किबला की तरफ मुंह हो न पीठ और भूल कर बैठ गया तो याद आते ही फिर जाए

यूंही चांद सूरज की तरफ़ भी मुंह या पीठ न करे।

३. बच्चे को पेशाब पाखाना कराते वक्त भी इसका ख़्याल रखे कि उसका मुंह या पीठ किबला की तरफ न हो वरना इसका वबाल कराने वाले पर होगा।

४. नंगे सर पाखाना पेशाब को जाना, या अपने हमराह ऐसी चीज़ लेजाना जिस पर कोई दुआ या अल्लाह व रसूल या किसी बुजुर्ग का नाम लिखा हो मकरूह हैं यूंही कलाम करना भी मकरूह है।

५. जिस जगह वुज़ू या गुस्ल किया जाता हो वहां पेशाब करना मकरूह है। इससे वसवसे पैदा होते हैं।

६. ज़रूरत से ज़्यादा बदन न खोले किसी दीनी मसला पर गौर न करे कि यह महरूमी का सबब है। नंगे सर पेशाब पाखाने को न जाए। बग़ैर ज़रूरत शर्मगाह की तरफ़ न नज़र करे न हाथ लगाए और न उस नजासत को देखे जो बदन से निकली है। देर तक न बैठे कि बवासीर का अंदेशा है। इस हालत में न थूके न नाक साफ करे न बिला ज़रूरत इधर-उधर देखे न खंखारे न आसमान की तरफ नज़र करे बल्कि शर्म के साथ नज़र झुकाए रखे। फ़राग़त के बाद पहले पेशाब का मुकाम धोए फिर पाखाने का। और ख़ूब अच्छी तरह धोए कि धोने के बाद हाथ में बू बाकी न रह जाए और चिकनाई जाती रहे।

७. तहारत के बाद हाथ पाक हो गए। मगर फिर भी धो लेना बल्कि मिट्टी लगाकर धोना मुस्तहब है। (आलमगीरी वग़ैरह)

नमाज़ के वक़्तों का बयान

कुरआन करीम का इर्शाद है :-

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ۝

बेशक नमाज़, ईमान वालों पर वक़्त बांधा हुआ फ़र्ज़ है।

और खुदा व रसूल ने कुरआन करीम और हदीस शरीफ़ में हमें बताया कि हर आकिल बालिग़ मुसलमान पर मर्द हो ख्वाह औरत पांच वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ है। जो इसकी फ़ज़ीलत को न माने वह काफ़िर है। और जान बूझ कर छोड़े अगरचे एक ही वक़्त की हो, वह फ़ासिक़ व सख़्त गुनहगार है। उलमाए किराम फ़रमाते हैं कि जो नमाज़ न पढ़ता हो कैद किया जाए यहां तक कि तौबा करे और नमाज़ पढ़ने लगे। हज़रत अब्बदुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि "मैं बे नमाज़ी औरत को तलाक दे दूं और उसका मेहर मेरे ज़िम्मे बाकी हो। इस हालत के साथ दरबारे खुदा में मेरी पेशी हो तो यह उससे बेहतर है कि मैं ऐसी औरत के साथ जिंदगी बसर करूं।" (रददुलमुहतार) इसी लिए उलेमा ने फ़रमाया कि जो औरत नमाज़ न पढ़े उसे तलाक देना बेहतर है।

हदीस शरीफ़ में फ़रमाया कि जब बच्चे की उम्र सात बरस की हो तो उसे नमाज़ पढ़ना सिखाया जाए और जब दस बरस का हो जाए तो मार कर पढ़वाना चाहिए। (अबूदाऊद)

बहर हाल हर मुसलमान आकिल बालिग़ पर पांच वक़्त की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है।

फ़ज्र, जुहर, अस्र, मग़रिब और इशा

फ़ज्र का वक़्त सुबह सादिक से सूरज की किरण चमकने तक है और उन इलाकों में यह वक़्त कम अज़ कम एक घंटा अट्ठारह

मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा पैंतीस मिनट है न इससे कम होगा न इससे ज़्यादा। (फ़तावा रिज़विया)

जुहर का वक्त सूरज ढलने से उस वक्त तक है कि हर चीज़ का साया अलावा अस्ली के दोचन्द हो जाए।

अस्र का वक़्त बाद खत्म होने वक्ते जुहर के यानी सिवा साया अस्ली के दो मिस्ल साया होने से सूरज डूबने तक है। इन इलाकों में यह वक्त कम अज़ कम एक घंटा ३५ मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा दो घंटे ६ मिनट है।

मग़रिब का वक्त सूरज की टिकया डूब जाए तो मग़रिब का वक़्त शुरू हो जाता है और शफक़ डूब जाने तक रहता है और शफ़क़ उस सफेदी का नाम है जो मगरिब की जानिब जुनूब शुमाल में सुबह सादिक की तरह फैली रहती है और यह वक्त उन शहरों में कम अज़ कम एक घंटा अट्ठारह मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा ३५ मिनट होता है यानी हर रोज़ के सुबह और मग़रिब दोनों के वक़्त बराबर होते है।

इशा का वक्त मग़रिब का वक़्त ख़त्म होते ही (यानी शफ़क़ डूबते ही) इशा का वक्त शुरू हो जाता है और सुबह सादिक तक रहता है। (आमए कुतुब व फतावा रिज़विया)

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

१. औरतों के लिए फज्र की नमाज़ अव्वल वक्त में मुस्तहब है और बाकी नमाज़ों में बेहतर यह है कि मर्दों की जमाअत का इंतिज़ार करें! (दुर्रे मुख्तार)

२. अस्र की नमाज़ में इतनी देर न करें कि सूरज की टिकिया

पर ज़र्दी आजाए कि उस पर बे तकल्लुफ निगाह ठहरने लगे और तजर्बा से साबित है कि यह ज़र्दी उस वक़्त आजाती है जब गुरूब में बीस मिनट बाकी रहते हैं तो उसी कद्र वक्ते कराहत है। (दुर्रे मुख़्तार फतावा रिज़विया)

३. मगरिब की नमाज़ शुरू वक्त में पढ़ लेनी चाहिए और अगर दो रकअत की मिकदार देर लगाई तो मकरूह तनज़ीही है और अगर इतनी देर लगाई कि सितारे गुथ गये तो मकरूह तहरीमी, हां किसी बीमारी या सफर या किसी और मजबूरी के बाइस देर हो गई तो और बात है। (आलमगीरी)

४. नमाज़े इशा से पहले सोना और बाद नमाज़े इशा दुनिया की बातें करना, किस्से कहानी कहना सुनना मकरूह है। हां ज़रूरी बातें, ज़िक्रो अज़कार, कुरआन करीम की तिलावत नेक बन्दों के किस्से और मेहमान से बातचीत में कोई हर्ज नहीं। यूंही सुबह सादिक से सूरज निकलने तक ज़िक्रे इलाही के सिवा हर बात मकरूह है। (दुर्रे मुख़्तार रददुलमुहतार)

५. सूरज निकलते वक्त, डूबते वक्त और ठीक दोपहर के वक़्त में कोई नमाज़ जायज़ नहीं न फर्ज़ न नफ़िल न अदा न कज़ा, यूंही सज्दए तिलावत भी नाजायज़ हैं अलबत्ता अगर उस रोज़ अस्र की नमाज़ नहीं पढ़ी तों अगरचे आफताब डूबता हो पढ़ ले मगर इतनी देर लगाना हराम है, हदीस में इसे मुनाफ़िक की नमाज़ फरमाया। इस मसले को यूं याद रखो कि सूरज निकलने के २० मिनट के अन्दर-अन्दर और सूरज डूबने से २० मिनट पहले का वक्त नमाज़ की मुमानिअत का वक्त है। (फतावा रिज़विया)

६. इन औकात में कुरआन करीम की तिलावत बेहतर नहीं, बेहतर

यह है कि ज़िक्र और दुरुद शरीफ में मशगूल रहे। (दुर्रे मुख़्तार)

७. तुलूए फज्र से तुलूए आफताब तक सिवा दो रकअत सुन्नत फज्र के कोई नफिल नमाज़ जायज़ नहीं। यूं ही अस्र की नमाज़ पढ़ लेने के बाद से आफताब में ज़र्दी आने तक नफिल पढ़ने की इजाज़त नहीं।

८. फर्ज़ का वक़्त तंग हो तो हर नमाज़ यहां तक कि फज्र और जुहर की सुन्नतें पढ़ना भी मकरूह है।

९. जिस बात से दिल बटे और उसे दफअ कर सकता हो तो उसे दूर किए बग़ैर हर नमाज़ मकरूह है। मसलन पाखाना पेशाब या रियाह का ज़ोर है। हां अगर वक्त जाता देखे तो पढ़ले मगर फेर ले।

१०. नमाज़े फज्र व नमाज़े अस्र के बाद क़ज़ा नमाज़ पढ़ना जायज़ है। (आमए कुतुब)

नमाज़ की शर्तों का बयान

नमाज़ के सही व दुरुस्त होने के लिए छः शर्तें हैं कि बे उनके नमाज़ होगी ही नहीं (१) तहारत (२) सत्रे औरत (३) इस्तकबाल किबला (४) वक्त (५) नीयत (६) तकबीर तहरीमा

१. तहारत :- यानी नमाज़ी के बदन का हदसे अकबर (यानी वह चीज़ें जिनसे गुस्ल वाजिब होता है) हदसे असग़र (यानी वुज़ू तोड़ने वाली चीज़ें) से और निजासते हकीका से पाक होना। नीज़ उस कपड़े और उस जगह का जिस पर नमाज़ पढ़ता है। निजासते हकीका से पाक होना। (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी वग़ैरह)

२. सत्रे औरत :- यानी बदन का वह हिस्सा जिसका छिपाना

फ़र्ज़ है, उसका छिपाना

मसला:- आज़ाद औरतों के लिए मुंह की टकली और दोनों हथेलियों और पांव के तलवों के सिवा सारा बदन औरत है तो नमाज़ के लिए अगरचे तनहा अंधेरी कोठरी में हो, सिवा इन पांच अज्व के बाकी तमाम बदन छिपाना फ़र्ज़ है। इसी तरह गैर मर्दों के सामने मुंह खोलना भी मना है। (रददुलमुहतार)

मसला:- सर के लटके हुए बाल और गर्दन और कलाइयां और कान भी औरत हैं उनका छिपाना भी फर्ज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- इतना बारीक दोपट्टा जिस से बालों की सियाही चमके औरत ने ओढ़ कर नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ न होगी, जब तक उस पर कोई और चीज़ ऐसी न ओढ़े जिससे बाल वगै़रह का रंग छिपाना भी फर्ज़ है। (आलमगीरी)

लेहाज़ा करेब या जाली या घास मलमल या नाज़ुक वायल या ऐसे ही किसी और बारीक कपड़े के कुर्ते फिराक, जम्पर, कमीस व साड़ी, जिनसे बदन की रंगत चमके पहनने, ओढ़ने बांधने से नमाज़ न होगी। हां उनके नीचे और कपड़ा हो कि बालों की सियाही और बदन की रंगत छिपाले तो नमाज़ हो जाएगी। इससे बहुत सी औरतें ग़ाफ़िल हैं। जिससे उनकी नमाज़ें अकारत जाती हैं।

मसला:- जिन आज़ा का छिपाना फर्ज़ है। उनमें कोई अज़्व चौथाई से कम खुल गया तो नमाज़ हो गई और अगर चौथाई अज़्व खुल गया और फौरन छिपा लिया तो भी नमाज़ हो गई और बक़द्र एक रुक्न (यानी तीन मर्तबा सुबहानल्लाह कहने के) खुला रहा या खुद खोला अगरचे फौरन छिपा लिया तो नमाज़ जाती रही। (रददुलमुहतार आलमगीरी)

मसला:- अगर नमाज़ शुरू करते वक्त अज़्व की चौथाई खुली हो। यानी उसी हालत पर अल्लाहु अक्बर कह लिया तो नमाज़ ही शुरू न हुई। (दुर्रे मुख्तार)

३. इस्तकबाले किबला :- नमाज़ में किबला यानी काबा शरीफ़ की तरफ मुंह करना।

मसला:- जो शख्स इस्तकबाले किबला से आजिज़ हो मसलन बीमार है कि उस में इतनी ताकत नहीं कि इधर रुख बदले और वहां कोई ऐसा नहीं जो उसका मुंह काबा की जानिब फेरदे तो ऐसी सूरत में जिस रुख नमाज़ पढ़ सके पढ़ ले, नमाज़ हो जाएगी। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- अगर किसी जगह किबला की शनाख्त का कोई ज़रिया न हो तो हुक्म है कि तहर्री करे यानी सोचे जिधर किबला होना दिल पर जमे उधर ही मुंह करे तो अगर तहर्री करके नमाज़ पढ़ी बाद को मालूम हुआ कि किबला की तरफ नमाज़ नहीं पढ़ी गयी तो नमाज़ दुहराने की ज़रूरत नहीं उसके हक में वही किबला है। हां अगर कोई जानने वाला मौजूद है उससे दरियाफ्त न किया या मस्जिद व मेहराब वहां मौजूद हैं उनका एतेबार न किया या तारे वगैरह मौजूद हैं और उसको इतना इल्म है कि उनके ज़रिये से मालूम करले और न किया बल्कि अपनी राय से खुद ग़ौर करके किसी तरफ को पढ़ ली तो अगर किबला ही की तरफ़ मुंह था हो गई वरना नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- नमाज़ी ने किबला से बिला उज़्र जान बूझ कर सीना फेर दिया अगरचे फ़ौरन ही किबला की तरफ़ हो गया तो नमाज़ फ़ासिद हो गई और अगर बिला इरादा फिर गया और तीन तस्बीह की

मिक्दार वक्फ़ा हुआ तो होगई और अगर मुंह किबला से फिरा तो उस पर वाजिब है कि फ़ौरन किबला की तरफ मुंह कर ले। नमाज़ न जाएगी। मगर बिला उज़्र ऐसा करना मकरूह है। (मनीयतुल मुसल्ली बहरुर्रायक)

४. वक़्त :- इसके मसाइल ऊपर बयान हो चुके।

५. नीयत :- तमाम कामों का दारोमदार नीयत पर है और नीयत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं और नमाज़ में नीयत का अदना दर्जा यह है अगर उस वक़्त कोई पूछे कौनसी नमाज़ पढ़नी है तो फ़ौरन बिला तअम्मुल बता दे अगर हालत ऐसी है कि सोच कर बताएगी तो नमाज़ न होगी। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- ज़बान से कह लेना मुस्तहब है मगर ज़बान से ग़लत निकल जाए तो उसका एतबार नहीं। मसलन दिल में जुहर का क़स्द है और ज़बान से अस्र का लफ़्ज़ निकला तो जुहर की नमाज़ न होगी। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- फ़र्ज़ नमाज़ में फ़र्ज़ की नीयत ज़रूरी है। और यह भी ज़रूरी है कि उस खास नमाज़ की नीयत करे जो पढ़ता है। मसलन जुहर या अस्र की। यूंही वाजिब में वाजिब की नीयत करे और तरावीह में तरावीह की और सुन्नतों में सुन्नतों की। हां नफ़िल नमाज़ के लिए मुतलक नमाज़ की नीयत काफी है कि मैं नमाज़ पढ़ती हूं। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुलमुहतार)

मसला:- नीयत में तादाद रकअत की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता फ़ज़ीलत है तो अगर रकअत की तादाद में ख़ता हो गई मसलन तीन रकअत जुहर की या चार रकअत मग़रिब की नीयत की तो नमाज़ हो जाएगी। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुलमुहतार)

मसला:- फ़र्ज़ व वाजिब क़ज़ा हो गए तो उनमें दिन और नमाज़ दोनों का तअय्युन करना ज़रूरी है। मसलन फलां दिन की फलां नमाज़। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- अगर दिल में नमाज़ तोड़ने की नीयत की मगर ज़बान से कुछ न कहा तो वह बदस्तूर नमाज़ में है।(दुर्रे मुख़्तार)

और अगर कोई ऐसा काम कर लिया जिससे नमाज़ टूट जाती है तो नमाज़ गई।

६. तकबीर तहरीमा:- यानी ज़बान से अल्लाहु अक्बर कहना।

मसला:- अल्लाहु अक्बर की जगह कोई और लफ़्ज़ जो ख़ालिस ताज़ीमे इलाही के अलफ़ाज़ हों मसलन अल्लाहु अजल्लु या अल्लाहु आज़मु कहा तो नमाज़ हो जाएगी मगर ऐसा करना मकरूह तहरीमी है और गुनाह। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला:- जिन नमाज़ों में कियाम फ़र्ज़ है उन में तकबीरे तहरीमा के लिए क़ियाम फ़र्ज़ है तो अगर बैठ कर अल्लाहु अक्बर कहा फिर खड़ी हो गई तो नमाज़ शुरू ही न हुई। (दुर्रे मुख़्तार)

नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा

बावुज़ू क़िबला की तरफ मुंह करके दोनों पांवों के पंजों में चार अंगुल का फ़ासला करके खड़ी हो और नमाज़ की नीयत करे (कि नीयत की मैंने......... रकअत नमाज़......... वास्ते अल्लाह तआला के मुंह मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़) और अपने दोनों हाथ कांधों तक उठाए लेकिन अपने हाथों को दोपट्टा चादर से बाहर न निकाले। हाथ की उंगलियां न बिल्कुल मिलाए न उन्हें फैलाए बल्कि अपने हाल पर छोड़ रखे। हथेलियां क़िबला की तरफ रखे और अल्लाहु

अक्बर कहती हुई हाथ नीचे लाए। मगर तकबीर के वक्त सर न झुकाए और तकबीर के बाद फौरन हाथ बांध ले। यूंकि बायें हथेली सीने पर छाती के नीचे रख कर उसकी पीठ पर दाहिनी हथेली रखे। और सना पढ़े।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ
وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ۔

पाक है तू ऐ अल्लाह और मैं तेरी हम्द करती हूं। तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी अज़मत बुलंद है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं।

تعوذ یعنی اَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ

फिर तअव्वुज़ यानी अऊजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़े फिर तस्मीया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहे फिर अल्हम्दु शरीफ पढ़े और खत्म पर आमीन आहिस्ता कहे। उसके बाद कोई सूर: या तीन आयतें पढ़े या एक आयत कि तीन के बराबर हो और अल्हम्दु के बाद अगर अव्वल सूरत शुरू की तो सूरत पढ़ते वक्त बिस्मिल्लाह भी पढ़ ले वरना नहीं। अब अल्लाहु अक्बर कहती हुई रुकूअ में पहुंच जाए यानी जब रुकूअ के लिए झुकना शुरू करे और रुकूअ में पहुंच जाए तो तकबीर खत्म करे और रुकूअ के लिए सिर्फ इतना झुके कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं। पीठ सीधी न करे और घुटनों पर ज़ोर न दे बल्कि महज़ हाथ रख दे। और हाथों की उंगलियां मिली हुई, बाजू पहलू से चिपके हए और पांव झुके हुए रखे। मर्दों की तरह ख़ूब सीधे न करे और रुकूअ में कम अज़ कम तीन बार सुबहान रब्बियल अज़ीम कहे।

फिर समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहती हुई खड़ी हो जाए और रब्बना लकल हम्दु कहे। फिर अल्लाहु अक्बर कहती हुई सज्दे में

जाए इस तरह कि पहले दोनों घुटने ज़मीन पर रखे। फिर दोनों हाथ फिर दोनों हाथों के बीच में सर रखे, न यूं कि सिर्फ़ पेशानी ज़मीन से छू जाए और नाक की नोक लग जाए बल्कि पेशानी और नाक की हड्डी ज़मीन पर जमाए और सिमट कर सज्दा करे। मर्दों की तरह नहीं यानी बाजू करवटों से मिलादे, और पेट रान से।

और रान पिंडलियों से और पिंडलियां ज़मीन से मिलादे और कलाइयां ज़मीन पर बिछादे। यूंही दोनों पैर भी और हथेलियां बिछी हुई। और हाथ की उंगलियां किबला को हों और सज्दा में कम अज़ कम तीन बार या पांच बार सुबहान रब्बियल आला कहे। फिर सर उठाए और दोनों पांवों दाहिनी जानिब निकाल दे और बायें सुरीन पर बैठे और दाहिना हाथ दाहिनी रान पर और बायां हाथ बायें रांन पर इस तरह रखे कि उंगलियां मिली हुई हों और उनके किनारे घुटनों के पास और क़िबला को हों फिर "अल्लाहु अक्बर" कहती हुई सज्दा को जाए और उसी तरह सज्दा करे।

जब दोनों सज्दे करले तो दूसरी रकअत के लिए पंजों के बल, घुटनों पर हाथ रख कर उठ खड़ी हो। अब जबकि दूसरी रकअत शुरू हुई, उसमें सना (सुबहान कल्लाहुम्म) और तअव्वुज़ (अऊज़ुबिल्लाह) न पढ़े बल्कि सिर्फ़ *बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम* पढ़ कर अल्हम्दु शरीफ पढ़े। फिर कोई सूरत या तीन आयतें पढ़े और उससे फारिग़ होने के बाद दोनों पांवों दाहिनी जानिब निकाल कर उसी तरह बैठ जाए जिस तरह पहली रकअत में दोनों सज्दों के दर्मियान बैठी थी और पढ़े। اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰاتُ

وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ
اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۔

तमाम तहय्यतें और नमाज़ें और पाकीज़गियां अल्लाह के लिए हैं। सलाम आप पर ऐ अल्लाह के नबी और अल्लाह की रहमतें और बरकतें। सलाम हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर। मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और गवाही देती हूं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसके बन्दे और रसूल हैं।

और इसमें कोई कमी ज़्यादती न करे और उसको तशह्हुद कहते हैं और जब कलिमा ला के क़रीब पहुंचे तो दाहिने हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हलका बनाए और छंगुली और उसके पास वाली उंगली को हथेली से मिला दे और लफ़्ज़ ला पर कलिमा की उंगली उठाए मगर हिलाए नहीं और कलिमा इल्ला पर गिरादे और सब उंगलियां फौरन सीधी करले।

अब अगर दो से ज़ायद रकअतें पढ़नी हैं तो उठ खड़ी हो मगर ज़मीन पर हाथ रख कर न उठे। बल्कि घुटनों पर ज़ोर देकर उठे। (हां अगर उज़्र है तो हर्ज नहीं) और यह नमाज़ फर्ज़ नमाज़ है तो इन रकअतों में अल्हम्दु के साथ सूरत मिलाने की ज़रूरत नहीं अलहम्दु शरीफ पढ़ना काफी है।

अब पिछला काअदा जिसके बाद नमाज़ खत्म कर देगी उसमें तशह्हुद के बाद यह दुरूद शरीफ पढ़े।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ
مَّجِيْدٌ ۝

ऐ अल्लाह दुरूद भेज हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर और उनकी आल पर जिस तरह तूने दुरूद भेजी सय्यदना इब्राहीम पर और उनकी आल पर बेशक तू सराहा हुआ बुजुर्ग है।

ऐ अल्लाह बरकत नाज़िल कर सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर और उनकी आल पर जिस तरह तूने बरकत नाज़िल की हमारे सरदार इब्राहीम पर और उनकी आल पर। बेशक तू सराहा हुआ बुजुर्ग है।

फिर यह दुआ पढ़े।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

ऐ अल्लाह मैंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया है और बेशक तेरे सिवा गुनाहों का बख्शने वाला कोई नहीं है। तो तू अपनी तरफ से मेरी बख्शिश फरमा और मुझ पर रहम कर बेशक तू ही बख़्शने वाला बड़ा मेहरबान है।

यह दुआ याद न हो तो कोई और दुआ जो बुजुर्गों से नक़ल होती आ रही है पढ़े या फिर यह दुआ पढ़े।

اَللّٰھُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ط

ऐ अल्लाह ऐ हमारे परवर्दिगार तू हमको दुनिया में नेकी दे और आखिरत में नेकी दे और हम को दोज़ख के अज़ाब से बचा।

फिर दायें शाने (मोंढे) की तरफ मुंह करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहे फिर बायें शाने की तरफ मुंह फेर कर यही कहे। सलाम में इतना फेरे कि अपना रुखसार दिखाई दे। सीना न फेरे (दुर्रे मुख्तार रददुलमुहतार फ़तावा बिरहना वग़ैरह)

फ़ायदा:- नमाज़ पढ़ने का जो तरीका ज़िक्र किया गया है उसमें बाज़ चीज़ें फर्ज़ हैं कि उसके बग़ैर नमाज़ होगी ही नहीं। बाज़ वाजिब हैं कि जानबूझ कर उनका छोड़ना और नमाज़ का दुहराना वाजिब। और भूले से हो तो सज्दा सहव करना पड़ेगा। बाज़ सुन्नते मुवक्किदा हैं कि उनको छोड़ने की आदत डालना गुनाह है और बाज़ चीज़ें मुस्तहब हैं कि करें तो सवाब न करें तो गुनाह नहीं। अब हम अलहदा-अलहदा तमाम चीज़ों का बयान करते हैं, उन्हें ख़ूब ज़ेहन नशीन करलें।

नमाज़ के फ़रायज़

सात चीज़ें नमाज़ में फर्ज़ हैं

(१) तक्बीरे तहरीमा (२) क़ियाम (३) किरअत (४) रुकूअ (५) सुजूद (६) काअदए अखीरा (७) खुरूजे बेसुनअेही

तक्बीर तहरीमा:- दर हकीकत यह नमाज़ की शर्तों में है लेकिन चूंकि यह नमाज़ से बिल्कुल मिली हुई है। इस लिए इसे फ़रायज़

में शुमार करते हैं तो यूं समझ लो कि नमाज़ की सब शर्तें यानी तहारत (२) इस्तकबाले किबला (३) सत्रे औरत (४) वक़्त (५) नीयत, यह सब चीज़ें तक्बीरे तहरीमा के लिए शर्त हैं और तक्बीरे तहरीमा के लिए शर्त हैं और तक्बीरे तहरीमा नमाज़ के लिए शर्त है यानी तक्बीर खत्म होने से पहले इन शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है। अगर अल्लाहु अक्बर कह चुकी और उन में से कोई शर्त न पाई गई तो नमाज़ शुरू ही न होगी। (दुर्रे मुख़्तार, रददुलमुहतार)

मसला:- लफ्ज़ अल्लाहु को आल्लाहु या अक्बर को अक्बार कहा तो नमाज़ न होगी। (दुर्रे मुख़्तार)

३. कियाम :- यानी खड़ा होना। कमी की जानिब उसकी हद यह है कि हाथ फैलाए तो घुटनों तक न पहुंचें और पूरा कियाम यह है कि सीधी खड़ी हो। (दुर्रे मुख़्तार रददुलमुहतार)

मसला:- फ़र्ज़, वित्र और सुन्नते फज्र में कियाम फर्ज़ है कि बिला उज़्र सही बैठ कर यह नमाज़ें पढ़ेगी तो न होगी। (दुर्रे मुख़्तार रददुलमुहतार)

मसला:- खड़े हो कर नमाज़ पढ़ने की कुदरत हो जब भी बैठ कर नफिल पढ़ने की इजाज़त है। मगर खड़े हो कर पढ़ना बेहतर है कि हदीस में फरमाया है "बैठ कर नमाज़ पढ़ने वाले की नमाज़, खड़े होकर पढ़ने वाले की निस्फ है।" यानी सवाब आधा मिलता है। (बहारे शरीअत, बहवाला रददुलमुहतार)

अलबत्ता कियाम उस वक़्त फर्ज़ न रहेगा कि इंसान खड़ा न हो सके, सज्दा न कर सके या खड़ा हो सकता है मगर उससे बीमारी बढ़ती है या देर में अच्छा होगा या इतनी तकलीफ होगी कि बर्दाश्त से बाहर है, या किश्ती या जहाज़ में सवार है और वह चल रही है

है अगरचे इतना ही खड़े हो कर "अल्लाहु अक्बर" कह ले तो फ़र्ज़ है कि खड़ी होकर इतना कहले फिर बैठ जाए।

तंबीह ज़रूरी:- आजकल उमूमन यह बात देखी जाती है कि जहां ज़रा बुखार आया मामूली सी तकलीफ हुई या घर के काम काज की ज़्यादती की वजह से थकान हो गई तो बैठ कर नमाज़ शुरू कर दी हालांकि यही लोग (मर्द हों या औरतें) दस-दस पंद्रह-पंद्रह मिनट बल्कि ज़्यादा खड़े होकर बातें कर लिया करते है। उन्हें चाहिए कि इन मसलों से सबक लें और जितनी नमाज़ें इस तरह पढ़ी हों उन्हे फिर से पढ़ें कि उन पर फ़र्ज़ बाकी हैं। अल्लाह तआला तौफीक अता फ़रमाए। (बहारे शरीअत)

३. किरअत:- यानी कुरआन करीम पढ़ना और कुरआन पढ़ने का मतलब यह है कि तमाम हुरूफ उसी जगह से और उसी तरह अदा किये जाएं जो उनके लिए मुकर्रर है ताकि हर हुरूफ दूसरे हुरूफ से मुम्ताज़ हो जाए और पहचाना जा सके। (आलमगीरी)

मसला:- जिस जगह कुछ पढ़ना या कहना मुकर्रर किया गया है उससे यह मकसद है कि कम अज़ कम आहिस्ता पढ़ने में भी इतना होना ज़रूर है कि खुद सुन सके। अगर किसी ने इस कद्र आहिस्ता पढ़ा कि खुद भी न सुन सकी और कोई शोर व गुल वग़ैरह भी नहीं तो नमाज़ न होगी। (आलमगीरी)

मसला:- छोटी या बड़ी किसी एक आयत का पढ़ना फ़र्ज़ की दो रकअतों में और वित्र व सुन्नत और नफ़िल नमाज़ की हर दो रकअत में फ़र्ज़ है। हां इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ी जाए तो किसी नमाज़ में किरअत जायज़ नहीं यहां तक कि सूर: फ़ातिहा भी इमाम के पीछे पढ़ने की इजाज़त नहीं। (दुर्रे मुख्तार, आलमगीरी वग़ैरह)

४. रुकूअ :- इतना झुकना कि हाथ बढ़ाए तो घुटनों को पहुंच जाए। यह रुकूअ का कम से कम दर्जा है औरत के लिए रुकूअ में यही सुन्नत है कि पीठ सीधी न करे। (आलमगीरी)

मसला:- जिस शख्स की कमर झुक गई वह रुकूअ के लिए सर से इशारा करे। (आलमगीरी)

सुजूद:- यानी सज्दा करना, पेशानी का ज़मीन पर जमना सज्दा की हकीकत है और उसके लिए नाक की हड्डी का भी ज़मीन पर लगाना ज़रूरी है और अगर किसी उज़्र के सबब पेशानी ज़मीन पर नहीं जमा सकती तो सिर्फ नाक से सज्दा करे फिर भी फक्त नाक की नोक लगना काफी नहीं बल्कि नाक की हड्डी ज़मीन पर लगना ज़रूरी है। (आलमगीरी)

मसला:- हर रकअत में दोबार सज्दा फर्ज़ है तो अगर एक बार सज्दा करना भूल गई तो नमाज़ जाती रही। सज्दा सहूव से भी यह कमी पूरी न होगी। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- किसी नर्म चीज़ मसलन घास, रूई, कालीन या कमानीदार गद्दे वगैरह पर सज्दा किया तो अगर पेशानी ख़ूब जम गई यानी इतनी दबी कि अब दबाने से न दबे तो जायज़ है वरना नहीं। (आलमगीरी)

रेल के बाज़ डब्बों में उसी किस्म के कमानीदार गद्दे होते हैं उस गद्दे से उतर कर नमाज़ पढ़नी चाहिए। (बहारे शरीअत)

मसला:- ऐसी जगह सज्दा किया कि कदम की निस्बत बारह अंगुल से ज़्यादा ऊंची है तो सज्दा न हुआ। वरना हो गया। (दुर्रे मुख्तार)

६. काअदा अखीरा:- यानी नमाज़ की रकअतें पूरी करने के

(दुर्रे मुख्तार)

६. काअदा अखीरा:- यानी नमाज़ की रकअतें पूरी करने के बाद इतनी देर तक बैठना कि पूरी अत्तहियात यानी व रसूलुहू तक पढ़ ली जाए फर्ज़ है।

मसला:- चार रकअत पढ़ने के बाद बैठी फिर यह गुमान करके कि तीन ही हुयीं खड़ी हो गई। फिर याद करके कि चार हो चुकीं बैठ गयी। फिर सलाम फेर दिया अगर दोनों बार का बैठना मिलकर तशहहुद की मिकदार हो गया तो फ़र्ज़ अदा हो गया वरना नहीं। (दुर्रे मुख्तार)

मसला:- पूरा काअदा ए अखीरा सोते में गुज़र गया तो जाग उठने के बाद तशहहुद की मिकदार बैठना फर्ज़ है वरना नमाज़ न होगी। यूंही कियाम किरअत रुकूअ व सुजूद में अव्वल आखिर तक सोती ही रही तो बेदारी के बाद उनका फिर से अदा करना फ़र्ज़ है वरना नमाज़ न होगी और सज्दए सहूव करे। (रददुलमुहतार)

लोग इससे गाफिल हैं। खुसूसन तरावीह में खुसूसन गरमियों में। (बहारे शरीअत)

मसला:- चार रकअत वाले फर्ज़ में चौथी रकअत के बाद काअदा न किया तो जब तक पांचवीं रकअत का सज्दा न किया हो बैठ जाए और सज्दाए सहूव करके सलाम फेर दे। नमाज़ हो जाएगी। और अगर पांचवीं का सज्दा कर लिया या फर्ज़ में दूसरी पर नहीं बैठी और तीसरी का सज्दा कर लिया, या मगरिब में तीसरी पर न बैठी और चौथी का सज्दा कर लिया तो इन सब सूरतों में फर्ज़ नफ़िल हो गए लेहाज़ा अगर चाहे तो मग़रिब के अलावा और नमाज़ों में एक रकअत और मिलाले ताकि जोड़ा हो जाए और

अकेली न रहे। हां मग़रिब में और न मिलाए कि चार पूरी हो गयीं। (दुर्रे मुख़्तार रददुलमुहतार)

७. ख़ुरूजे बेसुनअेही:- यानी क़ाअदा अख़ीरा के बाद क़स्दन सलाम फेर कर नमाज़ से फ़ारिग़ होना सलाम के अलावा कोई और काम क़स्दन करेगी तो नमाज़ का दुहराना वाजिब होगा और बिला इरादा कोई ऐसा काम पाया गया जो नमाज़ में नहीं किया जा सकता तो नमाज़ बातिल होगी। नये सिरे से पढ़ना फ़र्ज़ रहेगा। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

नमाज़ के वाजिबात का बयान

पंज वक़्ता नमाज़ों में नीचे लिखी हुई चीज़ें अदा करना ज़रूरी हैं। इन्हें "वाजिबाते नमाज़" कहते हैं।

(१) तकबीरे तहरीमा में लफ़्ज़ "अल्लाहु अक्बर" कहना (२) अल्हम्दु पढ़ना (३) सूरत मिलाना यानी फ़र्ज़ नमाज़ की दो पहली रकअतों में और बाकी नमाज़ों में एक छोटी सूरत या तीन छोटी आयतें या उन के बराबर एक या दो आयतें पढ़ना (४) अल्हम्दु का सूरत से पहले होना (५) अल्हम्दु और सूरत के दर्मियान किसी और चीज़ का हायल न होना (६) किरअत से फ़ारिग होते ही रुकूअ करना (७) तादीले अरकान यानी रुकूअ सुजूद और कौमा व जलसा में कम अज़ कम एक बार "सुबहानल्लाह" कहने की मिकदार ठहरना (८) कौमा यानी रुकूअ से सीधा खड़ा होना (९) जलसा यानी दो सज्दों के दर्मियान सीधा बैठना (१०) काअदा ऊला (११) दोनों काअदों में पूरा तशहहुद पढ़ना (१२) लफ़्ज़ अस्सलाम दोबार कहना (१३) वित्र में दुआए कुनूत पढ़ना (१४) दुआए कुनूत से पहले लफ़्ज़

अल्लाहु अक्बर कहना (१५) नमाज़ में सहूव हुआ तो सज्दा सहूव करना (१६) दो फर्ज़ या दो वाजिब या वाजिब व फर्ज़ के दर्मियान तीन तस्बीह कहने की मिकदार चुप न रहना (१७) हर वाजिब व फर्ज़ का उसी की जगह होना। (१८) फर्ज़, वित्र और सुन्नते मुवक्किदा में क़ाअदा ऊला के तशहहुद, (अत्तहियात) के बाद कुछ और न पढ़ना।

मसला:- फर्ज़, वित्र और सुन्नते मुवक्किदा के क़ाअदा ऊला में अगर तशहहुद के बाद इतना कह लिया अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन या अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यदिना तो अगर भूल कर हो तो सज्दा सहूव करे और कस्दन हो तो नमाज़ दोहराए, और चार रकअत वाले नवाफिल या सुन्नते ग़ैर मुवक्किदा के (जैसे अस्र और इशा से पहले की सुन्नतें) क़ाअदा ऊला में भी दुरूद शरीफ पढ़े। और तीसरी रकअत में सुबहान और अऊज़ु भी पढ़े कि यही मुस्तहब है (दुर्रे मुख़्तार)

नमाज़ की सुन्नतों का बयान

(१) तकबीरे तहरीमा के लिए हाथ उठाना (२) हाथों की उंगलियां अपने हाल पर छोड़ना (३) बवक्ते तकबीर सर न झुकाना (४) तकबीर से पहले हाथ उठाना (५) तकबीर के फौरन बाद हाथ बांध लेना (६) पहले सुबहान फिर अऊज़ु बिल्लाह और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना (७) अल्हम्दु के खत्म पर आमीन कहना (८) रुकूअ में घुटनों पर हाथ रखना ओर उंगलियां न फैलाना (९) रुकूअ में कम अज़ कम तीन बार सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना (१०) रुकूअ में जाने के लिए अल्लाहु अक्बर कहना (११) रुकूअ में सिर्फ इसी कदर झुकना कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं

(१२) रुकूअ से उठते वक्त समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहना (१३) सज्दे के लिए और सज्दे से उठने के लिए अल्लाहु अक्बर कहना (१४) सज्दे में हाथ ज़मीन पर रखना (१५) कम अज़ कम तीन बार सुबहान रब्बियल आला (१६) सज्दे में जाने के लिए ज़मीन पर पहले दोनों घुटने एक साथ रखना, फिर हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी और सज्दे से उठते वक्त इसका अक्स करे यानी पहले पेशानी उठाए फिर नाक, फिर हाथ, फिर घुटने (१७) सिमट कर सज्दा करना (१८) दोनों सज्दों के दरमियान मिस्ल तशहहुद के बैठना (१९) दूसरी रकअत के लिए पंजों के बल घुटनों पर हाथ रख कर उठना। (२०) दूसरी रकअत के सज्दों से फ़ारिग़ हो कर दोनों पांव दाहिनी जानिब निकाल कर बायें सुरीन पर बैठना (२१) दाहिना हाथ दाहिनी रान पर रखना और बायां बायें पर (२२) उंगलियों को अपने हाल पर छोड़ना और उनके किनारे घुटनों के पास होना (२३) शहादत पर इशारा करना (२४) तशहहुद के बाद क़ाअदा अख़ीरा में दुरूद शरीफ़ पढ़ना (२५) दुरूद शरीफ़ के बाद अरबी में दुआ करना, और बेहतर वह दुआयें हैं जो बुज़ुर्गों से मनकूल हैं (२६) अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह दो बार कहना पहले दहिनी तरफ़ फिर बायें तरफ़ (२७) ज़ुहर, मग़रिब, और इशा के बाद मुख़्तसर दुआ करके खड़ा हो जाना वरना सुन्नतों का सवाब कम हो जाएगा। (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी वग़ैरह)

नमाज़ के मुसतहबात

(१) क़ियाम की हालत में सज्दे की जगह नज़र रखना (२) रुकूअ में पांव की पीठ की तरफ़ (३) सज्दे में नाक की तरफ़ (४) क़ाअदा

(६) दूसरे में बायें तरफ़ (७) जमाई आए तो मुंह बंद किए रहना, अगर न रुके तो होंट दांत के नीचे दबाए और उससे भी न रुके तो क़ियाम में दाहिने हाथ की पुश्त से मुंह ढांक ले और क़ियाम में न हो तो बायें हाथ की पुश्त से और बिला ज़रूरत हाथ या कपड़े से मुंह ढांकना मकरूह है (८) तकबीरे तहरीमा के वक़्त हाथ कपड़े के अन्दर रखना (९) जहां तक बन पड़े खांसी को रोकना (१०) क़ियाम की हालत में दोनों पंजों के दरमियान चार अंगुल का फ़ासिला होना (आलमगीरी वग़ैरह)

नमाज़ के बाद के ज़िक्र व दुआ

१. हर नमाज़ के बाद तीन बार इस्तग़फ़ार करे और आयतल कुर्सी और तीनों कुल[1] एक-एक बार पढ़ें।

२. सर के अगले हिस्से पर हाथ रख कर पढ़े।

بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ. اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّىْ الْهَمَّ بِالْحُزْنِ ۝

बिस्मिल्लाहिल्लज़ी लाइलाह इल्ला हुवर्रहमानुर्रहीमु० अल्लाहुम्मअज़हब अन्नी अल्लाहुम्मा विलहुज़्न० और हाथ खींच कर माथे पर लाए।

३. सुबहानल्लाहि ३३ बार अलहम्दु लिल्लाहि ३३ बार और अल्लाहु अक्बर ३४ बार पढ़े। हदीस शरीफ़ में आया है कि नमाज़ के बाद इन कलिमों के कहने वाला नामुराद नहीं रहता।

---

१. अलइख़्लास, अलफ़लक़, अन्नास

नमाज़ तोड़ने वाली चीज़ों का बयान

मसला:- किसी भी किस्म की बात चीत करना अगरचे भूल से हो या किसी के मजबूर कर देने से हो अगरचे एक आध ही क्यों न हो नमाज़ फ़ासिद कर देता है (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- किसी शख़्स को सलाम किया ज़बान से सलाम का जवाब दिया, या किसी को छींक आई उसका जवाब नमाज़ी ने यरहमकल्लाह कहा या जवाब की नीयत से अलहम्दु लिल्लाह कहा या ख़ुशी की ख़बर, सुन कर जवाब में अल्हम्दु लिल्लाह कहा या बुरी खबर सुन कर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा या अल्लाह तआला का नाम सुनकर जल्ल जलालुहू कहा या हुजूर पाक का नाम सुनकर दुरूद शरीफ़ पढ़ा या अज़ान का जवाब दिया शैतान का ज़िक्र सुन कर उस पर लानत भेजी या नमाज़ में दुनिया की बातों का ख्याल आया और वसवसा दूर करने के लिए लाहौल पढ़ी तो इन सब सूरतों में नमाज़ जाती रही। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- आह, ओह, उफ़, तुफ़ यह अलफाज़ दर्द या मुसीबत की वजह से निकले या आवाज़ से रूई और हर्फ़ पैदा हुए या बिला वजह खंकारने में दो हरूफ़ ज़ाहिर हुए तो इन तमाम सूरतों में नमाज़ फ़ासिद हो गई। (दुर्रे मुख़्तार रददुलमुहतार)

मसला:- बीमार की ज़बान से बे अख़्तियार आह, ओह, निकली, नमाज़ फ़ासिद न हुई, यूंही छींक खांसी, जमाही, डकार में जितने हुरूफ़ मजबूरी में निकल जाते हैं वह माफ हैं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- नमाज़ के अन्दर खाना पीना नमाज़ को फ़ासिद कर देता है। जानबूझ कर हो या भूल कर थोड़ा हो या ज़्यादा यहां तक

कि अगर तिल बग़ैर चबाए निगल गई या कोई बूंद उसके मुंह में गिरी और उसने निगल ली तो नमाज़ जाती रही।

मसला:– दांतों के अन्दर खाने की कोई चीज़ रह गई थी उसको निगल गई अगरचे चने से कम है नमाज़ फ़ासिद न हुई मकरूह हुई और चने बराबर है तो फ़ासिद हो गई। (आलमगीरी)

मसला:– दांतों से खून निकला और निगल गई अगर हलक में खून का मज़ा महसूस हुआ तो नमाज़ फ़ासिद हो गई वरना नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– औरत नमाज़ पढ़ रही थी बच्चे ने उसकी छाती चूसी अगर दूध निकल आया नमाज़ जाती रही। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– औरत नमाज़ में थी। मर्द ने बोसा लिया या शहवत के साथ उसके बदन को हाथ लगाया नमाज़ जाती रही और मर्द नमाज़ में था और औरत ने ऐसा किया तो नमाज़ फ़ासिद न हुई जबतक मर्द को शहवत न हो।(रददुलमुहतार)

मसला:– एक रुक्न में तीन बार खुजाने से नमाज़ जाती रहती है। यानी यों ही खुजा कर हाथ हटा लिया फिर खुजाया फिर हाथ उठाया व अला हाज़ल कियास– और अगर एक बार हाथ रख कर चन्द मर्तबा हरकत दी तो एक ही मर्तबा खुजाना कहा जाएगा। (आलमगीरी)

मसला:– पै दर पै तीन बाल उखाड़े या तीन जूऐं मारीं या एक ही जूं को तीन बार मारा तो नमाज़ जाती रही और पै दर पै न हो तो नमाज़ फ़ासिद होगी मगर मकरूह है। (आलमगीरी)

मसला:– तकबीर में अल्लाहु को आल्लाहू या अक्बर को आक्बर या अक्बार कहा तो नमाज़ फ़ासिद हो गई और तहरीमा में ऐसा हुआ

तो नमाज़ शुरू ही न हुई। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

वह चन्द चीज़ें जो नमाज़ में मकरूह तहरीमी हैं

मकरूह तहरीमी किसे कहते हैं। यह हम पहले बता चुके हैं। अब उन चीज़ों को बयान किया जाता है जिन से नमाज़ मकरूह तहरीमी हो जाती है। ऐसी नमाज़ को दुहराना ज़रूरी है वरना गुनाह सर पर रहेगा।

(१) कपड़े या बदन के साथ खेलना (२) कपड़ा समेटना मसलन सज्दे में जाते वक्त आगे या पीछे से उठा लेना कि मिट्टी न लगे। (३) कपड़ा लटकाना मसलन सर या मूंढे पर इस तरह डालना कि दोनों किनारे लटकते हों (४) आधी कलाई से ज़्यादा आस्तीन चढ़ी हुई होना (५) ज़ोर का पेशाब पाखाना मालूम होते वक्त नमाज़ पढ़ना (६) उंगलियां चटकाना या उंगलियों की कैंची बांधना (७) कमर पर हाथ रखना (८) इधर-उधर मुंह फेर कर देखना (१०) निगाह आसमान की तरफ उठाना (११) नाक और मुंह को छिपाना (१२) बे ज़रूरत खंकार निकालना (१३) कस्दन जमाही लेना (१४) जिस कपड़े पर जानदार की तस्वीर हो उसे पहन कर नमाज़ पढ़ना (१५) नमाज़ी के आगे या दायें या बायें या सर पर छत वग़ैरह में या सज्दे की जगह जानदार की तस्वीर होना या पीछे ही होना (१६) उलटा कुरआन मजीद पढ़ना (१७) किसी वाजिब को छोड़ देना मसलन कौमा और जलसा में सीधे होने से पहले सज्दा को चला जाना (१८) कियाम के अलावा किसी और जगह कुरआन करीम

पढ़ना (१९) रुकूअ में किरअत खत्म कर देना (२०) उलटा कपड़ा पहन कर या ओढ़ कर नमाज़ पढ़ना। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुलमुहतार आलमगीरी बहारे शरीअत)

चन्द वह चीज़ें जो नमाज़ में मकरूह तनज़ीही हैं

मकरूह तनज़ीही वह फ़ेल है जिसका करना शरअ को पसंद नहीं लेहाज़ा बचना ही चाहिए कि सवाब में कमी न हो।

(१) सज्दा या रुकूअ में बिला ज़रूरत तीन तस्बीह से कम कहना हदीस में उसी को मुर्ग की सी ठोंग मारना फ़रमाया। हां अगर वक्त तंग है या रेल चले जाने का खौफ है तो हर्ज नहीं।(२) काम काज के मैले कुचैले कपड़े पहन कर नमाज़ पढ़ना (३) नमाज़ में उंगलियों पर आयतों वग़ैरह का गिनना (४) हाथ या सर के इशारे से सलाम का जवाब देना (५) बिला उज़्र आलती पालती मार कर बैठना (६) दामन या आस्तीन से अपने को हवा पहुंचाना जबकि दो एक बार हो पंखा झला तो नमाज़ जाती रही (७) अंगड़ाई लेना और ख्वाहमख्वाह खांसा या खंकारना (८) नमाज़ में थूकना (९) फ़र्ज़ की एक रकअत में किसी सूरत या आयत बार-बार पढ़ना और उज़्र से हो तो हर्ज नहीं। मसलन भूले से पढ़ गयी (१०) सज्दे को जाते वक्त घुटने से पहले हाथ ज़मीन पर रखना यूंही सज्दे से उठते वक्त हाथ से पहले घुटने उठाना बिला उज़्र हो तो मकरूह है। (११) अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, सुबहान कल्लाहुम्म और आमीन ज़ोर से कहना (१२) बगैर उज़्र दीवार या लाठी वगैरह पर टेक लगाना

(१३) आस्तीन को बिछा कर सज्दा करना ताकि चेहरे पर खाक न लगे और गरमी से बचने के लिए ऐसा किया तो हर्ज नहीं (१४) दायें बायें झूमना (१५) उठते वक्त आगे पीछे पांव उठाना (१६) मुंह में कोई चीज़ मसलन पैसा लिए हुए नमाज़ पढ़ना और अगर ऐसी चीज़ है कि इसके होने किरअत नहीं कर सकती तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी। (१७) आंख बंद रखना। हां अगर आंखें बंद कर लेने से नमाज़ में दिल लगे तो बंद करने में कोई हर्ज नहीं बल्कि बेहतर है (१८) मस्जिद की छत पर नमाज़ पढ़ना (१९) ऐसी जगह नमाज़ पढ़ना कि दिल बटे (२०) जलती हुई आग नमाज़ी के सामने होना और लालटेन या चिराग वगैरह हो तो कराहत नहीं (२१) सामने पाखाना वगैरह निजासत होना। (दुर्रे मुख्तार, रददुलमुहतार आलमगीरी वग़ैरहा)

नमाज़े वित्र का बयान

मसला:- नमाज़े वित्र वाजिब है और वाजिब का मर्तबा करीब-करीब फ़र्ज़ के है तो अगर नमाज़े वित्र किसी तरह छूट गयी तो उसकी क़ज़ा वाजिब है और जब क़ज़ा पढ़े तो उसमें दुआए कुनूत भी पढ़े ख्वाह कोई सी दुआ हो अलबत्ता क़ज़ा में दुआए कुनूत से पहले तकबीर के लिए हाथ न उठाए। जबकि औरों के सामने पढ़े कि वह इसकी तकसीर से वाकिफ होंगे। (आलमगीरी रददुलमुहतार)

मसला :- वित्र की नमाज़ बैठ कर बगैर उज़्र नहीं हो सकती (दुर्रे मुख्तार)

मसला:- नमाज़े वित्र तीन रकअत है और उसकी हर रकअत में अलहम्दु पढ़ना और उसके साथ सूरत मिलाना वाजिब है।

मसला:– वित्र के काअदाए ऊला में सिर्फ अत्तहियात पढ़ कर खड़ी हो जाए न दुरूद शरीफ पढ़े न सलाम फेरे। जैसे मग़रिब के फ़र्ज़ पढ़ते हैं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– तीसरी रकअत में किरअत से फ़ारिग हो कर रुकूअ से पहले कांधों तक हाथ उठा कर अल्लाहु अक्बर कहे जैसे तकबीर तहरीमा में करते हैं फिर हाथ बांधे और दुआए कुनूत पढ़े और उसमें किसी खास दुआ का पढ़ना ज़रूरी नहीं (रददुलमुहतार)

मसला:– जिसे दुआए कुनूत याद न हो अल्लाहुम्म रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसन तंव व फ़िल आखिरति हसनतंव व क़िना अज़ाबन्नार पढ़ लिया करे। यह भी याद न हो तो अल्लाहुम्मगफिरली तीन बार कह लिया करे यह भी न आए तो सिर्फ "या रब्बे" तीन बार कह ले वाजिब अदा हो जाएगा। यूंही कुल हुवल्ला शरीफ पढ़ने से भी वाजिब अदा हो जाता है। (फतावा रिज़विया)

सुन्नतों और नफ़िल नमाज़ों का बयान

हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं जो मुसलमान बंदा अल्लाह के लिए हर रोज़ फ़र्ज़ के अलावा बारह रकअतें पढ़े। अल्लाह तआला उसके लिए जन्नत में एक मकान बनाएगा। चार जुहर से पहले और दो जुहर के बाद और दो बाद मगरिब और बाद इशा और दो नमाज़े फ्ज्र से पहले (मुस्लिम शरीफ़ वग़ैरह)

मसला:– जो सुन्नतें चार रकअती हैं। मसलन जुहर की तो चारों एक सलाम से पढ़ी जाएंगी यानी चारों पढ़ कर चौथी के बाद सलाम फेरें वरना सुन्नतें अदा न होंगी यूं ही अगर चार रकअत की मन्नत मानी और दो-दो करके चार पढ़ीं तों मन्नत पूरी न हुई बल्कि ज़रूरी

है कि एक सलाम के साथ चारों पढ़े। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- फज्र की नमाज़ कज़ा हो गई और ज़वाल से पहले पढ़ी तो सुन्नतें भी पढ़े वरना नहीं और फज्र के अलावा और सुन्नतें कज़ा हो गईं तो उनकी कज़ा नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- जो सुन्नते मुवक्किदा चार रकअती होती हैं उसके काअदाए ऊला में सिर्फ अत्तहियात पढ़े अगर भूल कर दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो सज्दा सुहू करे और उन सुन्नतों में जब तीसरी रकअत के लिए खड़ी हो तो सुबहानकल्लाहुम्म और अऊज़ु भी न पढ़े और इनके इलावा और चार रकअत वाली सुन्नत ग़ैर मुवक्किदा या नवाफिल काअदाए ऊला में भी दुरूद शरीफ पढ़े और तीसरी रकअत में सुबहानकल्लाहुम्म और अऊज़ भी पढ़े यह पढ़ना मुस्तहब है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- नफ़िल बैठ कर पढ़े तो इस तरह बैठे जैसे तशहहुद में बैठते हैं, और किरअत की हालत में सीने पर हाथ बांधे जैसे कियाम में बांधते हैं। मगर खड़े हो कर पढ़ना अफ़ज़ल है कि हदीस शरीफ में फ़रमाया "बैठ कर पढ़ने वाले की नमाज़, खड़े होकर पढ़ने वाले की निस्फ है" वित्र के बाद जो दो रकअत नफ़िल पढ़ते हैं उनका भी यही हुक्म है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- तरावीह बिलइज्माअ सुन्नते मुवक्किदा है इसका तर्क जायज़ नहीं और तरावीह की बीस रकअतें दस सलाम से पढ़े यानी हर दो रकअत पर सलाम फेरे। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- तरावीह बैठ कर पढ़ना बिला उज़्र हो तो मकरूह है बल्कि बाज़ों के नज़दीक होगी ही नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- औरतें सूरतों से तरावीह पढ़ें और इसका तरीका यह

है कि अलम तरा कैफ़ से आखिर तक दो बार पढ़ें कि बीस रकअत पूरी हो जाएंगी और रकअतों की गिनंती भी याद रखनी नहीं पड़ेगी और हर रकअत में सूरः फ़ातिहा के बाद अगर कुल हुवल्लाह पढ़ी तो यह भी जायज़ है। (रददुलमुहतार)

क़ज़ा का बयान

मसलाः– सोते में या भूले से नमाज़ क़ज़ा हो गई तो उसकी क़ज़ा पढ़ना फ़र्ज़ है बेदार होने या याद आने पर अगर वक्त मकरूह न हो तो उसी वक्त पढ़ले। अब देर लगाना मकरूह है। और गुनाह का बाइस है। और यह अंदेशा हो कि सुबह की नमाज़ जाती रहेगी तो बिला शरअी ज़रूरत के उसे रात में देर तक जागना मना है। (रददुलमुहतार)

मसलाः– कोई सो रहा है या नमाज़ पढ़ना भूल गया है तो जिसे मालूम हो उस पर वाजिब है कि सोते को जगादे और भूले को याद दिला दे। (रददुल मुहतार)

मसलाः– जो नमाज़ जैसी क़ज़ा हुई उसकी क़ज़ा वैसी पढ़ी जाएगी। मसलन सफर की चार रकअती नमाज़ दो ही रकअत पढ़ी जाएगी। अगर सफर खत्म हो गया हो और इकामत की चार रकअत वाली चार रकअतें चार ही पढ़ी जाएंगी अगरचे सफर में क़ज़ा पढ़े। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसलाः– पांचों फ़र्ज़ों में बाहम और फ़र्ज़ व वित्र में तरतीब ज़रूरी है कि पहले फ़ज्र पढ़े फिर जुहर, फिर अस्र, फिर मग़रिब, फिर इशा और फिर वित्र पढ़े। मसलन जुहर की क़ज़ा हो गई तो फ़र्ज़ है कि उसे पढ़ कर फिर अस्र पढ़े या वित्र क़ज़ा हो गया तो उसे पढ़कर

फज्र पढ़े। अगर याद होते हुए अस्र या फज्र की पढ़ ली तो नाजायज़ है। (आलमगीरी)

मसला:- क़ज़ा नमाज़ें जब पांच फर्ज़ों से ज़्यादा हो जाएं तो उनमें तरतीब ज़रूरी नहीं उसे अख़्तियार है कि उन में जो नमाज़ चाहे पहले अदा करे और जो चाहे पीछे बल्कि क़ज़ा नमाज़ों और वक़्ती नमाज़ों में भी तरतीब की हाजत नहीं रहती उनमें भी अख़्तियार है कि जो पहले पढ़ना चाहे पढ़ ले। (रददुलमुहतार)

मसला:- क़ज़ा नमाज़ याद न रही और वक्तिया पढ़ली पढ़ने के बाद याद आई तो वक्तिया नमाज़ हो गई और पढ़ने में याद आई तो गई। (आलमगीरी)

मसला:- यह अंदेशा है कि अगर क़ज़ा नमाज़ पढ़ी तो वक़्ती नमाज़ फ़ौत हो जाएगी तो पहले वक़्ती नमाज़ पढ़े फिर क़ज़ा पढ़े। (हिदाया वग़ैरह)

मसला:- एक नमाज़ क़ज़ा हो गई, उसके बाद हैज़ आगया तो हैज़ से पाक होकर पहले क़ज़ा पढ़ले फिर वक़्ती पढ़े अगर क़ज़ा याद होते हुए वक़्ती पढ़ेगी, न होगी जबकि वक़्त में गुंजाइश हो। (आलमगीरी)

मसला:- क़ज़ा नमाज़ें नवाफ़िल से अहम हैं। यानी जिस वक़्त नफ़िल पढ़ना है उन्हें छोड़ कर उनके बदले क़ज़ा नमाज़ें पढ़े ताकि बरीउज़्ज़िम्मा हो जाए। लेकिन सुन्नते मुवक्किदा न छोड़े। (रददुलमुहतार)

मसला:- क़ज़ा में नीयत यूं करनी चाहिए कि "नीयत की मैंने पहली फज्र की (या पहली जुहर या अस्र की) जो मुझ से क़ज़ा हुई और जिस पर क़ज़ा नमाज़ें बहुत सी हों कि गिनती याद नहीं वह

आसानी के लिए अगर यूं भी करे तो जायज़ है कि हर रुकूअ और हर सजदें में तीन-तीन बार सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल आला की बजाए सिर्फ एक बार कहे मगर तस्बीह पूरी हो जानी चाहिए दूसरी आसानी यह है कि फ़र्जों की तीसरी और चौथी रकअत में अल्हम्दु शरीफ की जगह फक्त सुबहानल्लाह तीन बार कह कर रुकूअ में चली जाए और तीसरी आसानी यह है कि पिछली अत्तहियात के बाद दोनों दुरूदों और दुआ की जगह अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही कह कर सलाम फेरदे और वित्रों में आसानी की एक सूरत यह भी है कि तीसरी रकअत में दुआए कुनूत की जगह अल्लाहु अक्बर कह कर फक्त एक या तीन बार रब्बिग़फिरली कह ले। (फतावा रिज़विया)

पर्दा से मुताल्लिक़ चन्द आयात व अहादीस

अल्लाह अज्ज़ोजल इर्शाद फ़रमाता है:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ ...... (اِلٰی قولہٖ تعالٰی)

وَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۔ (النور پ۱۸ ع۱۰)

इन आयाते करीमा से हस्बे ज़ैल अहकाम मालूम हुए।

१. ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें अपनी नज़रें नीची रखें कि मर्दों की निगाह औरतों से और औरतों की निगाह मर्दों से अलहदा रहे।

२. मर्द और औरतें अपनी-अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करें इस हुक्म के तहत ज़िनाकारी के अलावा और भी सारे तरीक़े नाजायज़

शहवत रानी और बदकारी व बद नज़री के आ गए आशिकाना अफ़साने और डरामे, बे हयाई के मनाज़िर दिखाने वाले थेटर और सिनेमा, ख्यालात व जज़्बात में हेजान पैदा करने वाली तस्वीरें वग़ैरह सब इसके तहत में आ जाती हैं।

३. औरतें अपना सिंघार, ख्वाह वह जिस्म का हो या मुताल्लिकाते जिस्म का, किसी अजनबी पर ज़ाहिर न होने दें इसके तहत हर वह चीज़ आती है जो गैरों के लिए शौक व रग़बत का बाइस हो। मसलन हुसने सूरत, खुशखरामी, लिबास, खुश्बू, पौडर, गाज़ह, वग़ैरह क्योंकि इससे मैलाने तबअ पैदा होता है और लोग उसकी तरफ मुतवज्जाह होते हैं और यह शराफ्ते निस्वानी के खिलाफ़ है चेहरे का खुला रखना इसी में दाखिल है कि चेहरा खुला होना फ़ितनों को दावत देता है।

४. औरतें अपनी ज़ीनत ग़ैर मर्दों पर ज़ाहिर न होने दें और अपने दोपट्टे अपने सीनों पर डाले रहा करें। उलेमाए किराम फ़रमाते हैं कि सर और सीना दो मकाम खास तौर पर ज़ीनत के हैं। उनके ढांपने का और ज़्यादा एहतिमाम रखें। इससे बहुत से फ़ितनों की जड़ कट जाती है और इस ज़ीनत में कुदरती या मसनूई हर वह चीज़ दाखिल है जो औरत की जानिब रग़बत और इल्तिफात बढ़ाए।

५. औरतें चलते वक्त ज़मीन पर अपने पैर ज़ोर से न रखें, कि उनका अंदरूनी ज़ेवर मालूम हो जाए। इससे मालूम हुआ कि हर वह आवाज़ जो रग़बत और दिलकशी का बाइस हो ममनूअ है बजने वाले ज़ेवर मसलन पाज़ेब या झांजन पहन कर ज़मीन पर ज़ोर-ज़ोर से पांव रखना इसी में दाखिल है। इसी लिए चाहिए कि औरतें बाजेदार झांजन न पहनें। हदीस शरीफ़ में है कि अल्लाह तआला उस कौम की दुआ कबूल नहीं करता जिसकी औरतें झांजन पहनती हैं इससे

समझना चाहिए कि जब ज़ेवर की आवाज़ दुआ कबूल न होने का सबब है तो खास औरत की आवाज़ और उसकी बेपर्दगी कैसी तबाही का बाइस होगी एक और आयते करीमा में इर्शाद फरमाया:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

ऐ गैब की खबर देने वाले महबूब आप अपनी बीबियों और अपनी साहबज़ादियों और मुसलमानों की औरतों से कह दें कि अपने ऊपर चादर (या बुर्का) डाल लिया करें।

इसका साफ मतलब यह है कि शरीफ औरतें वह हैं कि जब घर से किसी ज़रूरत के बाइस कदम बाहर निकालें तो उनका सारा जिस्म किसी चादर या बुर्का से सर से पांव तक छिपा रहना चाहिए। इस किस्म के सारे अहकाम का हासिल यह है कि औरत अपनी वज़अ कतअ और लिबास से शरीफ बाइज़्ज़तदार बीबी मालूम हो कि जिस औरत की चाल-ढाल संजीदा और शरीफ़ाना होती है आवारा गर्दों और लफंगों और बदमाशों को भी उसे छेड़ने की जुरअत मुश्किल से ही होती है। ऐसे फैशन पर लानत जो ज़माना-ए-जाहिलियत की तरह औरतों को नीम बरहना और नंगा करदे।

अहादीसे करीमा:- इस बारे में बकसरत आई हैं मुख्तसरन हम चंद अहादीस पर इक्तिफा करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इर्शाद फरमाते हैं।

१. औरतों को घर से बाहर निकलने में कोई हिस्सा नहीं बजुज़ इसके कि मजबूर हों (तबरानी)

२. औरत, औरत है यानी छिपाने की चीज़ है जब वह बाहर निकलती है तो उसे शैतान झांक कर देखता है। यानी उसे देखना शैतानी काम है। (तिर्मिज़ी)

३. देखने वाले पर और उस पर जिस की तरफ नज़र गई अल्लाह की लानत। यानी देखने वाला जब बिला उज़्र शरई कसदन देखे और दूसरा अपने आप को कसदन दिखाए। (बैहेकी)

४. जब मर्द, औरत के साथ तनहाई में होता है तो तीसरा शैतान होता है। (तिर्मिज़ी)

५. औरतों के पास जाने से बचो। एक शख्स ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह, देवर के मुताल्लिक क्या हुक्म है। फरमाया कि देवर मौत है। यानी देवर के सामने गोया मौत का सामना है कि यहां फ़ितना का ज़्यादा एहतमाल है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

६. एक मर्द दूसरे मर्द की सत्र की जगह न देखे और न औरत, दूसरी औरत की सत्र की जगह देखे। (मुस्लिम)

७. ऐसा न हो कि औरत दूसरी औरत के साथ रहे। फिर अपने शौहर के सामने उसका हाल (इस तरह) बयान करे गोया वह उसे देख रहा है। (बुख़ारी)

८. औरत का अपने घर के अंदर नमाज़ पढ़ना सहन में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है (अबूदाऊद)

९. हज़रत मौला अली करमुल्लाह तआला वजहू ख़िदमते अकदस में हाज़िर थे कि हुज़ूर ने सब से दरयाफ्त फरमाया कि बतलाओ औरत के लिए कौन सी बात सब से बेहतर है उस पर तमाम सहाबा खामोश रहे और किसी ने जवाब न दिया। हज़रत मौला अली फ़रमाते हैं कि मैंने वापस आकर फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से दरयाफ़्त किया कि औरतों के लिए सब से बेहतर क्या बात है। उन्होंने फ़रमाया कि न वह ग़ैर मर्दों को देखें न ग़ैर मर्द उन्हें देखें। मौला अली ने जवाब हुज़ूर से अर्ज़ किया (आप इस जवाब से इस दर्जा मसरूर हुए

कि) इर्शाद फरमाया (क्यों न हो) वह मेरी लख्ते जिगर है। (दारेकुतनी)

१०. हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत मैमूना (कि दोनों अज़वाजे मुतहरात से हैं) रसूलुल्लाह की खिदमते अकदस में हाज़िर थीं इतने में अब्दुल्लाह बिन मकतूम जो नाबीना सहाबी हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाज़िर हुए और अन्दर आने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्ल्म ने उन दोनों से इर्शाद फरमाया कि इन से पर्दा करो। हज़रत उम्मे सलमा ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह वह तो ना बीना हैं हम को तो वह नहीं देख सकते। आप ने जवाब में फरमाया क्या तुम भी ना बीना हो क्या उन्हें नहीं देख सकतीं। (अबूदाऊद)

११. ज़नानों को अपने घरों से निकाल बाहर करो (इब्ने माजा)

१२. हमारे गिरोह से नहीं वह औरत कि मर्दों की वज़अ क़तअ अख्तियार करे और न वह मर्द जो औरतों की तरह रहे। (इमाम अहमद)

पर्दे के मुताल्लिक़ चंद अहकाम

१. काफ़िर औरत शरीअत में अजनबी मर्द के हुक्म में है। घरों में काफ़िर औरतें आती जाती रहती हैं और मुसलामन बीबियां उनके सामने बे हिजाब, मवाज़िअ सत्र, सर व सीना वगैरह खोले हुए आ जाती हैं। उससे परहेज़ करना ज़रूरी है। अक्सर दाइयां काफ़िर होती हैं और वह बच्चा जनाने की खिदमत अंजाम देती हैं अगर मुसलमान दाइयां मिल सकें तो काफ़िरा से हरगिज़ यह काम न लिया जाए कि काफ़िरा के सामने आज़ा को खोलने की इजाज़त नहीं। (आलमगीरी)

२. सालिहा नेक और शरीफ़ औरत को चाहिए कि वह अपने को बदकार फ़ाहिशा औरत के देखने से बचाए अगरचे वह मुसलमान हो। उसके सामने दोपट्टा वगैरह न उतारे क्यों कि वह उसे देख कर दूसरे मर्दों के सामने उसकी शक्ल व सूरत का ज़िक्र करेगी। जिस से फितना फैलने का अंदेशा है ऐसी औरतें, पाक दामनों में आए ही क्यों (आलमगीरी)

३. औरत किसी अजनबी मर्द के जिस्म को न छुए जबकि दोनों में से कोई जवान हो। अगरचे इस बात का दोनों को इत्मिनान हो कि शहवत पैदा नहीं होगी। (आलमगीरी)

बाज़ जवान औरतें अपने पीरों के हाथ पांव दबाती हैं और उन में अक्सर दोनों या एक हदे शहवत तक पहुंचा हुआ होता है। ऐसा करना नाजायज़ है और दोनों गुनाहगार (बहारे शरीअत)

४. बाज़ औरतें बहुत बारीक कपड़े पहनती हैं जिससे सर के बाल या बालों की सियाही या गर्दन या कान या पेट और पीठ नज़र आती है और बदन की रंगत झलकती है। ऐसे मौके पर कि अजनबी मर्दों की नज़र उन पर पड़े। इस किस्म के कपड़े पहनना भी नाजायज़ हैं। (आलमगीरी)

५. अगर बज़रूरत ग़ैर मर्द से पसे पर्दा गुफ्तगू करनी पड़े तो क़सद करें कि लहजा में नज़ाकत न आए और बात में लोच न आए बात निहायत सादगी से की जाए इफ़्फ़त मआब ख्वातीन के लिए यही शायां है। (कुरआन)

अल्लाह–अल्लाह कहां तो यह ताकीदें और एहतियातें और कहां वह तफ़रीहगाहों, आम राहों, मख़लूत जलसों, मिले जुले जलसों में औरतों की आमदो रफ्त और बे हिजाबाना मटर गश्त कहां तो शरीअते

मुताहिरा की यह ताकीद कि औरत हलकी खुश्बू इस्तेमाल करे कि तेज़ खुश्बू से ख्वाह मख्वाह, ग़ैर मर्द उसकी जानिब मुतवज्जा होंगे और कहां बेबाकी व खुदनुमाई की यह नुमाइश कि आधे सर के बाल और कलाइयां और कुछ हिस्से गले या पिंडली का खुला रहना तो गोया कोई ऐब ही नहीं और ज़्यादा बांकपन हुआ। नुमाइश का शौक बढ़ा तो दोपट्टा शानों से ढलका हुआ, करेब या जाली या बारीक मलमल या नाज़ुक वाएल या और ऐसे ही कपड़ों का लिबास कुरता कमीस, जम्पर फिराक जिससे बदन की रंगत चमके और उसी हालत में उनका ग़ैरों में जाना, अजनबियों में फिरना, ग़ैर मर्दों के साथ बाज़ारों और आम गुज़रगाहों में खरीदो फ़रोख्त करना, कहां तो औरतों का अपने मौहल्ले की मस्जिद में, घर के दरवाज़े पर अदाएगी नमाज़ के लिए दो क़दम के फ़ासिले पर जाना ममनूअ व नाजायज़ और कहां आज सैर तमाशे बाजे ताशे की महफ़िलों में मजलिसों में बढ़ती हुई बेहयाइयां और परवान चढ़ती आवरगियां कहां तो हदीस में ग़ैरों के घर जहां न अपना काबू न अपना गुज़र अपने मकानों की निस्बत आया कि औरतों को बाला खानों पर न रखो कि नामहरिमों की नज़रें उन पर या उनकी नज़रें उन पर पड़ेंगी, और कहां सिनेमा, थेयटर, पाप घर और पारकों क्लबों में यह उर्यां और बद लिहाज़ियां –

ख्याली रौशनी, रौशन ख्याली आजकल की है
दिलों से सल्ब उसने कर लिया है नूरे ईमानी

इसी सिलसिले में एक हदीस और सुन लें और इसे हमेशा याद रखें।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि फ़रमाया रसूलुल्लाह ने दोज़खियों में दो गिरोह हैं। एक उनमें

से उन औरतों का है जो (ज़ाहिर में तो) कपड़े पहनती हैं मगर (हकीकत में) नंगी हैं। यानी इस क़द्र बारीक और ऐसी लापरवाही से कपड़े इस्तेमाल करती हैं कि उनका बदन चमकता है और कहीं से खुला होता है कहीं से छिपा हुआ। आप भी दूसरे मर्दों की तरफ़ रग़बत करती हैं (कि बनाव सिंघार करके दूसरों को फ़रेफ़्ता और अपनी तरफ मायल करें) यह औरतें हरगिज़ बहिश्त में दाखिल न होंगी और जन्नत की खुश्बू भी न पायेंगी। हालांकि जन्नत की खुश्बू बहुत दूर से मालूम हो जाती है और दूर-दूर तक फैलती है। (मिश्कात)

शौहर के हुकूक़

अल्लाह अज़्ज़ोजल इर्शाद फ़रमाता है:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً

आयते करीमा में तीन बातें बयान फरमाई गयीं जो खांगी निज़ामे ज़िंदगी के लिए संगे बुनियाद और बतौर असल के बयान हुई हैं और जिसका लिहाज़ शौहर व बीवी दोनों को यकसां रखना ज़रूरी है।

१. मर्दों को बताया गया है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी ही हम जिंस मखलूक हैं तुम्हारी ही तरह पैदा की गई हैं। तुम्हारी जैसी ख्वाहिश, जज़्बात और एहसासात उनमें भी मौजूद हैं बे रूह मखलूक और बेहिस जिस्म नहीं।

२. इनकी पैदाइश का मंशा भी है कि वह तुम्हारे लिए सरमाये राहत व तस्कीन हैं। तुम्हारे लिए सुकूने क़ल्ब का बाइस हैं। तुम्हारे दर्द का दरमां और तुम्हारे ग़म का मदावा हैं। तुम्हारे लिए पैदा की गयीं हैं कि तुम्हारा दिल उनसे लगे, जी उनसे बहले।

३. तुम्हारे और उनके ताल्लुकात की बुनियाद ही बाहमी मुहब्बत, इख्लास और हमदर्दी पर होना चाहिए हकीकत यह है कि हर इंसान को अपनी रफाकत के लिए अपने हम जिंस की तलाश होती है और यह खुदा की पैदा की हुई फितरत है। चुनांचे ज़न व शौहर के बाहमी इख्लास व मुहब्बत को खुदा ने अपनी निशानियों में से एक निशानी करार दिया है।

कुरआन पाक ने एक लफ़्ज़ सुकून से बीवी की रफाकत की जिस हकीकत को ज़ाहिर किया है वह मियां बीवी के ताल्लुकात के तमाम फलसफे को अपने अंदर समेटे हुए है। उसका खिलवत खाना दुनिया की कशाकशों और मुश्किलों में अमन व सुकून का गहवारा होना चाहिए और मियां बीवी के बाहमी ताल्लुकात में इतनी खुशगवारी होनी चाहिए जिससे औरत की पैदाइश का मंशा पूरा हो यानी बाहमी इख्लास व प्यार, मेहरो मुहब्बत और सुकून व चैन। अगर किसी से यह अग़राज़ पूरे नहीं होते तो उसमें दोनों या दोनों में किसी एक का कुसूर है।

यह बाहमी मेल जोल किस तरह कायम रह सकता है। इसकी सूरत सिर्फ एक है और वह यह कि बीवी शौहर की फरमांबरदारी और शौहर बीवी की दिलजूई करे।

मियां बीवी बाहम अपने-अपने हुकूक के एतेबार से गो बराबर हैं। लेकिन जिस तरह बाप और बेटे अपने-अपने हुकूक में बराबर की हैसियत रखते हैं और शरीअत का हुक्म है कि बाप अफसर हो कर रहे, बेटा मातहत होकर, बाप हुक्म दे और बेटा माने। उसी तरह मुआशरे की इंतिज़ामी मशीन में मर्द को औरत पर बरतरी हासिल है। कुरआन करीम का इर्शादे गिरामी है।

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَا

=

أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

यानी मर्द औरतों पर हाकिम, उनके उमूर का इंतज़ाम करने वाले, उनकी किफ़ालत करने वाले और उन पर अहकाम नाफ़िज़ करने वाले हैं और दुनिया के इंतज़ामी मामलात और खांगी निज़ाम में औरत मर्द के मातहत और उसकी ताबेअ है और यह इस लिए कि मर्द को अपने क़वाए जिस्मानी और दिल व दिमाग़ की बरतरी हासिल है और दूसरे यह कि औरत खर्च में मर्द के दस्ते निगर रहती है और मर्द औरत के जायज़ मसारिफ़ का बोझ उठाता है इस लिए नेक बीवियों की अलामत यह है कि वह शौहर की ग़ैर हाज़िरी में उसकी इज़्ज़त व नामूस और उसके माल व जायदाद की निगहदाश्त करने वालियां होती हैं और हमा अवक़ात अपनी और अपने शौहर की इज़्ज़त व आबरू और माल का ख्याल रखती हैं। अल्लाह तआला ने उनमें अपनी असमत का ख्याल और शौहर की वफ़ादारी का जज़्बा पैदा करके उन्हें महफ़ूज़ कर दिया है मुख़्तसर लफ़ज़ों में औरत के ज़िम्मे यह तीन फ़रायज़ हैं जो कुरआन करीम ने उस पर आयद किये।

१. अपने शौहर की इताअत गुज़ार और वफ़ादार हो।

२. सलीक़ा शिआर हो कि शौहर के माल व दौलत को बरबाद न करे।

३. इफ़्फ़त मआब हो कि अपनी और अपने शौहर की इज़्ज़त व नामूस पर आंच न आने दे।

स्कूल और कालिजों में पढ़ी हुई लड़कियां ज़रा ग़ौर करें और अपने दामन में ज़रा झांक कर देखें कि वह इस कुरआनी मेयार पर कहां तक पूरी उतरती हैं। अब इस सिलसिले की चंद अहादीसे करीमा सुनिए। फ़रमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम०

१. औरत पर सब लोगों से ज़्यादा हक़ उसके शौहर का है और मर्द पर उसकी मां का है। (हाकिम)

२. अगर मैं किसी शख़्स को किसी मख़लूक़ के लिए सज्दे का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वह अपने शौहर को सज्दा करे अल्लाह तआला ने मर्दों का हक़ औरतों के ज़िम्मे कर दिया है। कसम है उसकी जिसके कब्ज़ए कुदरत में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जान है औरत अपने परवरदेगार का हक़ अदा न करेगी जब तक शौहर के हक़ अदा न करे। (अबूदाऊद हाकिम)

३. औरत ईमान क मज़ा न पाएगी जब तक हक़्क़े शौहर अदा न करे। (तबरानी)

४. औरत पर शौहर का हक़ यह है कि उसके बिछौने को न छोड़े और उसकी कसम को सच्चा करे और बग़ैर उसकी इजाज़त के बाहर न जाए और ऐसे शख़्स को मकान में न आने दे जिस का आना शौहर को पसंद न हो। (तबरानी)

५. औरत जब पांचों नमाज़ें पढ़े और माहे रमज़ान के रोज़े रखे और अपनी इज़्ज़त व नामूस की हिफाज़त करे और शौहर की इताअत करे तो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो। (अबू नईम)

६. जो औरत खुदा की इताअत करे और शौहर का हक़ अदा करे और उसे नेकनामी की याद दिलाए और अपनी असमत और उसके माल में ख्यानत न करे तो उसके और शहीदों के दरमियान जन्नत में एक दर्जे का फ़र्क़ होगा फिर उसका शौहर बाईमान नेक खू है तो जन्नत में वह उसकी बीवी हैं। वरना शहीदों में से कोई उसका शौहर होगा। (तबरानी)

७. वह औरत जिसका शौहर उसपर नाराज़ है उसकी नमाज़ कबूल नहीं होती और कोई नेकी बुलंद नहीं होती। (बैहेकी)

८. शौहर ने औरत को बुलाया। उसने इंकार कर दिया और गुस्से में उसने रात गुज़ारी तो सुबह तक उस औरत पर फरिश्ते लानत भेजते रहते हैं और दूसरी रिवायत में है कि जब तक शौहर उससे राज़ी न हो अल्लाह अज़्ज़ोजल उससे नाराज़ रहता है।

९. जब औरत अपने शौहर को दुनिया में ईज़ा देती है तो हूरें कहती हैं कि खुदा तुझे कत्ल करे इसे ईज़ा न दे। यह तो तेरे पास मेहमान है। अंकरीब तुझ से जुदा हो कर हमारे पास आएगा। (तिर्मिज़ी)

१०. ऐ औरतो ! खुदा से डरो और शौहर की रज़ामंदी की तलाश में रहो इस लिए कि औरत को अगर मालूम होता कि शौहर का क्या हक़ है तो जब तक यह उसके पास खाता रहता यह खड़ी रहती। (अबूनईम)

११. तकवा के बाद नेक बीवी से बढ़ कर कोई चीज़ नहीं कि शौहर उससे जो कहे वह माने। जब शौहर उसकी तरफ़ देखे तो वह उस को खुश करदे और अगर शौहर कसम दे कर कहे तो वह उसकी कसम को पूरा करदे (इब्ने माजा)

बीवी के हुकूक़

अल्लाह अज़्ज़ोजल का इर्शाद गिरामी है:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

उर्दू में यह मज़मून यूं अदा होगा यानी जिस तरह मर्दों का हक औरतें पर है उसी तरह औरतों का हक भी मर्दों पर है। गोया दुनिया को यह बतया जा रहा है कि यह न समझो कि बस मर्दों के हुकूक औरतों पर और शौहरों के ही हुकूक बीवियों पर होते हैं। नहीं बल्कि

उसी तरह औरतों के भी हुकूक मर्दों पर और बीवियों के हुकूक भी शौहरों पर होते हैं औरतें जानवर या जायदाद नहीं कि माले मौरुसा की तरह उन पर मर्दों को तसर्रुफ का हक हासिल है तो शौहर कहीं इस भूल में न पड़ जाएं कि उनके सिर्फ हूकूक ही हुकूक हैं और फ़र्ज़ व ज़िम्मेदारी कुछ नहीं। फ़रायज़ उन पर भी उसी तरह आयद होते हैं जिस तरह उन के उनकी बीवियों पर। इसी तरह बीवियां भी कहीं इस रौशन ख्याली में मुबतला न हो जाएं कि खिदमत करना हमारा काम नहीं। यह काम मर्दों का है हमारा काम खिदमत लेना है। लेकिन इन हुकूक का मेयार वह नहीं जो हवाए नफ़स के मातहत किसी दस्तूर से लिया जाए और उसका नाम ज़ाबता-ए-हुकूके निसवां रख दिया जाए। बल्कि इन हुकूक की सारी बातें और तफ़सीलात शरीअते मुताहिरा के अहकाम और अक्ले सलीम के मातहत होनी चाहिएं।

शौहरों को यह बात ख़ूब ज़ेहन नशीन कर लेनी चाहिए कि वह औरतों के मालिक नहीं उनकी बीवियां उनकी कनीज़ें नहीं। बलिहाज़े हुकूक दोनों एक सतह पर हैं हां जिसमानी साख्त और दिमाग़ी कुवत के बाइस मर्द को एक तरह की फ़ज़ीलत हासिल है।

कुरआन करीम का इर्शादे गिरामी है:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

इस आयते करीमा का माहसल यह है कि मर्दों को औरतों के साथ खुश असलूबी से गुज़र बसर करना चाहिए। ख्वाह वह सुहागन हों या बेवा। आयते करीमा ने तोहमत, ऐबजोई, बदगुमानी, और ग़ीबत के दरवाज़े हमेशा-हमेशा के लिए बंद कर दें।

मर्द बाज़ अवकात, इज़हारे ख़फ़गी के वक़्त, औरत की बुराइयां गिनाना शुरू कर देता है, और उसे अपना हक़ समझता है, कुरआने करीम ने फ़रमाया कि जो औरत तुम्हारे दामन से वाबस्ता है माना कि उसमें कुछ बुराइयां और लापरवाइयां हैं। लेकिन उन बुराइयों के साथ कुछ ख़ूबियां भी तो पाई जा सकती हैं। अगर वह बद ज़बान या लापरवाह है तो साथ ही मसलन तुम्हारी वफ़ादार और असमत शिआर भी तो है तो उसकी इन ख़ूबियों को भी नज़र में लाओ। कभी उनका भी ख्याल कर लिया करो।

"वह तुम्हारी पौशाक हैं और तुम उनकी पौशाक हो,,

मर्द औरत दोनों को हुक्म है कि वह एक दूसरे के लिए मुख़लिस और वफ़ादार रहें बल्कि यक जान दो क़ालिब हों। एक दूसरे के पर्दा पोश, एक दूसरे की ज़ीनत और एक दूसरे की तकमील का ज़रिया हों और एक दूसरे की मआशी और मआशिरती कमी में कमाल का वसीला बन कर रहें।

अक्सर औरतों में ज़िद और हट होती है। मर्द को चाहिए कि उसकी ज़िद के मुकाबले में सख़्ती और दुरुश्ती से काम न ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया:

१. औरतों के साथ नेकी का बर्ताव करो कि उनकी पैदाइश टेढ़ी पसली से हुई है। वह तेरे लिए कभी सीधी नहीं हो सकती। अगर तू उसे बरतना चाहे तो उसी हालत में बरत सकता है, और सीधा करना चाहेगा तो तोड़ देगा और तोड़ना तलाक़ देना है। (मुस्लिम)

२. मुसलमान मर्द, अपनी मुसलमान बीवी से बुग्ज़ न रखे। अगर

उसकी एक आदत बुरी मालूम है तो दूसरी पसंद होगी। (मुस्लिम) यानी औरत की सारी ही आदतें खराब नहीं होंगी। जब कि अच्छी बुरी आदतें और हर किस्म की बातें होंगी तो मर्द को यह न चाहिए कि खराब ही आदत को देखता रहे बल्कि बुरी आदत से चश्म पोशी करे और उसकी अच्छी आदतों ''र नज़र रखे। (मुस्लिम)

सुबहानल्लाह मर्दों को बीवियों क. मामले में खुश, क़ानेअ, और राज़ी रहने का कैसा उम्दा नुस्खा हकीमे इंसानियत ने तालीम फ़रमा दिया।

३. तुम में अच्छे वह लोग हैं जो औरतों से अच्छी तरह पेश आयें। (तिर्मिज़ी)

इंसान के बेहतर, खुश अख्लाक़ और सालेह होने की यह एक ऐसी पहचान बता दी गई है कि उस आईने में हर शख्स अपना चेहरा देख सकता है। जो अपनों के साथ एहसान और इंसाफ नहीं कर सकता। उससे क्या उम्मींद कि वह दूसरों से अच्छा सुलूक करेगा। हुसने मामला और नेकी घर से शुरू होनी चाहिए। हज्जतुलविदाअ के मशहूर खुतबा में हुजूर का इर्शाद गिरामी है।

४. ऐ लोगो ! औरतों के बारे में, नेकी और भलाई करने की वसीयत फरमाता हूं तुम मेरी इस वसीयत को कबूल करो। बेशक औरतों का तुम्हारे ऊपर हक है तुम उनके पहनाने और खिलाने में नेकी अख्तियार करो। (इब्ने माजा)

५. एक मौका पर एक शख्स ने खिदमते अक़दस में हाज़िर हो कर दरयाफ़्त किया कि, या रसूलुल्लाह ! बीवी का हक शौहर पर क्या है ? फ़रमाया जब खुद खाए तो उसको खिलाए। जब और जैसा खुद पहने उसको पहनाए न उसके मुंह पर थप्पड़ मारे न उसको

बुरा भला कहे और न घर के अलावा उसकी सज़ा के लिए उसको अलहदा करदे (इब्ने माजा) अलग़रज़ इस्लामी खानदान में मियां बीवी को एक दूसरे का बही ख्वाह एक दूसरे का हमदर्द और एक दूसरे का पर्दा पोश रहना चाहिए। बाहमी रवादारी से काम लेना चाहिए दोनों में दामन चोली का साथ है। वह उसके लिए ओढ़ना बिछौना है। यह उसके लिए ओढ़ना बिछौना। जिस तरह लिबास जिस्म के ऐबों को छिपाता है और उसके हुसन व खूबी को उभारता है। इसी तरह शौहर और बीवी का अख्लाकी कमाल यह है कि एक दूसरे की कमज़ोरी को छिपायें उस पर सब्र करें और एक दूसरे की खूबियों को निगाह में रखें और बेहतर से बेहतर सूरत में अपने बाहमी ताल्लुकात ज़ाहिर करें।

चहल अहादीस

इर्शाद फ़रमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम :

१. जिस खाने पर बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए वह बीमारी है और उसमें बरकत नहीं है और उसका कफ़्फ़ारा यह है कि अगर अभी दस्तरख्वान न उठाया गया हो तो पढ़ कर कुछ खा ले और दस्तरख्वान उठा लिया गया हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर उंगलियां चाट ले। (इब्ने असाकर)

२. कोई शख्स न बायें हाथ से खाना खाए न पानी पीए कि बायें हाथ से खाना पीना शैतान का तरीका है। (मुस्लिम)

३. खड़े हो कर हरगिज़ कोई शख्स पानी न पीए और जो भूल कर ऐसा कर गुज़रे वह कै कर दे। (मुस्लिम)

४. जो शख्स अल्लाह और कियामत के दिन पर ईमान रखता

है वह मेहमान का एहतराम करे और जो शख़्स अल्लाह और कियामत पर ईमान रखता है वह अपने पड़ौसी को ईज़ा न दे और जो शख़्स अल्लाह और कियामत पर ईमान रखता है वह भली बात बोले या चुप रहे। और जो शख़्स अल्लाह और कियामत पर ईमान रखता है वह सिला रहमी करे। (बुखारी)

५. जब औरत बालिग़ हो जाए तो उसके बदन का कोई हिस्सा दिखाई न दे सिवाए मुंह और हथेलियों के। (अबूदाऊद)

६. जो शख़्स शोहरत का कपड़ा पहने। कियामत के दिन अल्लाह तआला उसको ज़िल्लत का कपड़ा पहनाएगा। (इब्ने माजा) लिबासे शोहरत से मुराद यह है कि तकब्बुर के तौर पर अच्छे कपड़े पहने। यह आदत औरतों में ज़्यादा होती है। उन्हें खास ख्याल रखना चाहिए।

७. उन औरतों पर लानत जो मर्दों की तरह वज़अ कतअ अख्तियार करें और उन मर्दों पर लानत जो औरतों की तरह रहें सहीं। (अबूदाऊद)

८. सोते वक़्त अपने घरों में आग मत छोड़ा करो। (बुख़ारी)

९. जो शख़्स अस्र के बाद सोए और उसकी अकल जाती रहे तो वह अपने ही को मलामत करे। (अबू याला)

१०. जब घर वालों के पास जाओ तो उन्हें सलाम करो। तुम पर और तुम्हारे घर वालों पर बरकत होगी। (तिर्मिज़ी)

११. जब किसी को छींक आये और वह अलहम्दु लिल्लाह कहे तो फरिश्ते कहते हैं रब्बुलआलमीन, और अगर वह रब्बुल आलमीन (भी) कहता है तो फरिश्ते कहते हैं यरहमकल्लाह (अल्लाह तुझ पर रहम करे) (तबरानी)

१२. उन दिलों में भी ज़ंग लग जाता है। जिस तरह लोहे में पानी

लग जाने से ज़ंग लगती है। अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इसकी जिला (सफाई) किस चीज़ से होगी। फरमाया कसरत से मौत को याद करे और तिलावते कुरआन पाक से (बैहेकी)

१३. बदफाली कोई चीज़ नहीं और फाल अच्छी चीज़ है लोगों ने अर्ज़ की फाल क्या चीज़ है फरमाया अच्छा कलिमा जो किसी से सुने (मुस्लिम) यानी कहीं जाते वक्त या किसी काम का इरादा करते वक्त, किसी की ज़बान से अगर अच्छा कलिमा निकल गया तो फाल हसन है।

१४. दो आवाज़ें दुनिया व आखिरत में मलऊन (बाइसे लानत) हैं नग़मा के वक्त बाजे की आवाज़, मुसीबत के वक्त रोने की आवाज़। (बज़ार)

१५. गाने से दिल में निफाक उगता है। जिस तरह पानी से खेती उगती है (बैहेकी)

१६. बड़ी ख्यानत की बात है कि तू अपने भाई से कोई बात कहे और वह तुझे इस बात में सच्चा जान रहा है और तू उससे झूट बोल रहा है। (अबूदाऊद)

१७. इब्ने आदम जब सुबह करता है तो तमाम आज़ा ज़बान के सामने आजिज़ाना कहते हैं कि तू खुदा से डर कि हम सब तेरे साथ वाबस्ता हैं अगर तू सीधी रहे तो हम सब सीधे रहेंगे और तू टेढ़ी हो गई तो हम सब टेढ़े हो जाएंगे। (तिर्मिज़ी)

१८. आदमी के इस्लाम की अच्छाई में से यह है कि लायानी चीज़ छोड़ दे यानी जो चीज़ कार आमद न हो उसमें न पड़े । (इमाम मालिक)

१९. फुहश जिस चीज़ में होगा उसे ऐबदार करदेगा और हया जिस

चीज़ में होगी उसे आरास्ता कर देगी। (इब्ने माजा)

२०. अल्लाह के नेक बन्दे वह हैं कि उनको देखने से ख़ुदा याद आता है और अल्लाह के बुरे बंदे वह हैं जो चुगली खाते हैं। दोस्तों में जुदाई डालते हैं और जो शख्स जुर्म से बरी है उस पर तकलीफ़ डालना चाहते हैं। (बैहेकी)

२१. मुसलमानों की ग़ीबत न करो और उनकी छिपी हुई बातों को टटोला न करो (अहमद)

२२. हसद नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है और सदका खता को बुझाता है, जिस तरह पानी आग को बुझाता है। (इब्ने माजा)

२३. सबसे बुरा कियामत के दिन वह बन्दा है जिसने दूसरे की दुनिया के बदले में अपनी आखिरत बरबाद कर दी। (इब्ने माजा)

२४. मुस्लिम के लिए हलाल नहीं कि अपने भाई को तीन दिन से ज़्यादा छोड़ दे फिर जिसने ऐसा किया और मर गया तो जहन्नम में गया। (इमाम अहमद)

२५. जिसको यह पसंद हो कि उम्र में दराज़ी हो और रिज़्क में वुसअत हो और बुरी मौत दफ़्अ हो वह अल्लाह तआला से डरता रहे और रिश्तेदारों से नेक सुलूक करे। (हाकिम)

२६. वह हम में से नहीं जो हमारे छोटे पर रहम न करे और बुरी बात से मना न करे। (तिर्मिज़ी)

२७. जो शख्स मुस्लिम की पर्दा पोशी करेगा अल्लाह तआला कियामत के दिन उसकी पर्दा पोशी करेगा। (बैहेकी)

२८. ईमान व हया दोनों साथी हैं एक को उठा लिया जाता है तो दूसरा भी उठा लिया जाता है। (बैहेकी)

२९. अपने सहन व मकान को सुथरा रखो यहूदियों के साथ

मुशाबिहत न करो। (तिर्मिज़ी)

३०. अल्लाह तआला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे दिल और आमाल की तरफ नज़र करता है। (मुस्लिम)

३१. जिस घर में कुत्ता हो या तस्वीर उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। (मिश्कात)

३२. सदका देने से माल कम नहीं होता और बंदा किसी का कुसूर माफ करदे तो अल्लाह तआला उसकी इज़्ज़त बढ़ाएगा। (बुखारी)

३३. अपने माल की ज़कात निकाल कि वह पाक करने वाली है तुझे पाक कर देगी। और रिश्तेदारों से हुसने सुलूक और मिस्कीन और पड़ौसी और सवाली का हक पहचान। (इमाम अहमद)

३४. दो औरतें खिदमते अकदस में हाज़िर हुयीं उनके हाथों में सोने के कंगन थे, इर्शाद फरमाया। तुम इसकी ज़कात अदा करती हो। अर्ज़ की नहीं, फ़रमाया तो क्या इसे तुम पसंद करती हो कि अल्लाह तआला तुम्हें आग के कंगन पहनाए। अर्ज़ किया नहीं, फ़रमाया तो इसकी ज़कात अदा करो। (तिर्मिज़ी)

३५. जुल्म से बचो कि जुल्म कियामत के दिन तारीकियां है। और बुख़्ल से बचो कि बुख़्ल ने अगलों को हलाक किया। इसी बुख़्ल ने उन्हें ख़ून बहाने और हराम को हलाल करने पर आमादा किया। (मुस्लिम)

३६. जो मुसलमान किसी मुसलमान को कपड़ा पहना दे तो जब तक उसमें उसका उस शख्स पर एक पैबंद भी रहेगा यह अल्लाह तआला की हिफाज़त में रहेगा। (तिर्मिज़ी)

३७. जिसे चार चीज़ें मिलीं उसे दुनिया व आखिरत की भलाई मिली। (१) दिल, शुक्रगुज़ार (२) ज़बान यादे खुदा करने वाली (३)

बदन, बला पर साबिर (४) और ऐसी बीवी कि अपने नफ़्स और माले शौहर में गुनाह की तालिब न हो।(तबरानी)

३८. जब ऐसा शख़्स पैग़ाम भेजे जिसके ख़ल्क और दीन को पसंद करते हो तो निकाह करदो अगर न करोगे तो ज़मीन में फ़ितना व फ़साद अज़ीम होगा। (तिर्मिज़ी)

३९. जो औरत बग़ैर किसी हर्ज के शौहर से तलाक़ का सवाल करे उस पर जन्नत की खुश्बू हराम है। (इमाम अहमद)

४०. किसी के मरने या मुसीबत के वक़्त जो मुंह पर तमांचा मारे और गरीबान फाड़े और जाहिलियत का पुकारना पुकारे। (नौहा करे) वह हम से नहीं। (बुखारी)

औलाद की तालीम व तरबियत

मर्द और औरत के खांगी ताल्लुकात का मक़सद सिर्फ़ अमले ज़ौजियत की तकमील और तसकीने नफ़्स नहीं बल्कि इस्लाम के नज़दीक यह एक तमद्दुनी फ़रीज़ा है जिस से नसले इंसानी की हिफ़ाज़त मतलूब है और यह उसी वक़्त मुमकिन है कि औरत का काम महज़ बच्चे पैदा करना न हो बल्कि बच्चों की तालीम व तरबियत और उनकी मुनासिब परवरिश भी हो। यही वजह है कि कुरआन करीम ने औरत के लिए "हिर्स" यानी खेत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जिस तरह एक खेत के दामन से एक खास तरतीब और अमल से फ़सल तैयार हो कर निकलती है। उसी तरह सिंफ़े नाजुक के दामन से भी नसले इंसानी को मुकम्मल तौर पर तैयार हो कर निकलना चाहिए। चुनांचे वालिदैन को हिदायत की गई है कि वह अपनी औलाद की तरबीयत का खास ख़्याल रखें और उनकी ऐसी

तरबियत करें कि वह मुआशिरे के मुअज़्ज़िज़ फर्द बन सकें।

हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चों की अख्लाकी तरबियत के कवायद को एक दस्तूरुल-अमल के तौर पर मुरत्तब किया है। जिस का खुलासा यह है:

तरबियत की असल बुनियाद चूंकि बचपन में पड़ती है इस लिए उसी वक्त से उसकी देख भाल रखनी चाहिए। बच्चे में सबसे पहले गिज़ा की रग़बत पैदा होती है। उसे बताना चाहिए कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। दस्तरख्वान पर जो खाना सामने और करीब हो उसी तरफ हाथ बढ़ाये। खाने की तरफ या खाना खाने वालों की तरफ नज़र न जमाए। जल्द जल्द न खाए निवाला अच्छी तरह चबाए। हाथ और कपड़े खाने में आलूदा न करे। कम खाए और मामूली खाने पर इक्तिफा करे और दूसरों को भी खिलाए।

सफेद कपड़े पहनने का शौक दिलाया जाए और उसे समझाया जाए कि शोख रंग के कपड़े या रेशमी या भड़कदार कपड़े पहनना औरतों का काम है। जो लड़के इस किस्म के कपड़ों के आदी हों उनकी सोहबत से बचा जाए काहिली और आराम परस्ती से नफरत दिलाई जाए। जब बच्चे से कोई पसंदीदा फेल जुहूर में आए तो तारीफ करके उसका दिल बढ़ाया जाए और उसे इनाम दिया जाए। उसके खिलाफ कभी कोई बात ज़ाहिर हो तो चश्म पोशी करना चाहिए ताकि बुरे कामों पर दिलैर न हो जाए खुसूसन जब वह खुद उस काम को छिपाना चाहता हो। अगर दोबारा वह फेल सरज़द हो तो तनहाई में उसे समझाना चाहिए कि यह बहुत बुरी बात है। लेकिन बार-बार उसको मलामत न करनी चाहिए। इससे बात का असर कम हो जाता है। और बच्चे में डांट-डपट सुनने की आदत पड़ जाती है।

इस बात की सख्त ताकीद करनी चाहिए कि बच्चा छिपा कर कोई काम न करे क्यों कि बच्चा उसी काम को छिपा कर करता है जिसको वह बुरा समझता है। इस लिए जब छिपा कर काम करने की आदत छूट जाएगी। तो बच्चा बहुत सी बुरी आदतों से महफूज़ रहेगा।

मजलिस में थूकने, जमाही और अंगड़ाई लेने लोगों की तरफ पीठ करके बैठने, पांव पर पांव रखने और ठोड़ी के नीचे हथेली रख कर बैठने से मना करना चाहिए।

क़सम खाने से बिल्कुल रोकना चाहिए गो सच्ची हो। बात खुद शुरू न करे। बल्कि पूछे तो जवाब दे। मुखातिब की बात को तवज्जोह और ग़ौर से सुने मकतब से पढ़ कर निकले तो उसको मौका दिया जाए कि कोई खेल खेले। क्योंकि हर वक्त पढ़ने लिखने में मसरूफ रहने से दिल बुझ जाता है। ज़ेहन कुंद हो जाता है और तबीअत उचाट हो जाती है। (इंतेहा)

मुजद्दे दीन व मिल्लत आला हज़रत फ़ाज़िल बरैलवी ने इर्शाद फरमाया ज़बान खुलते ही अल्लाह अल्लाह फिर लाइलाह इल्लल्लाह फिर पूरा कलिमा तय्यबा सिखाया जाए जब तमीज़ आए कुरआन मजीद पढ़ाए। उस्ताद नेक सालेह मुत्तकी सहीहुल-अकीदा सिन रसीदा के सुपुर्द करदे और दुख्तर को नेक पारसा औरत से पढ़वाए। बाद खत्म कुरआन मजीद हमेशा तिलावत की ताकीद रखे। अकायदे इस्लाम व सुन्नत सिखाए कि लौह सादह फितरते इस्लामी व कुबूल हक पर मखलूक है। उस वक्त का बताया पत्थर की लकीर होगा।

हुजूर अकदस रहमते आलम सल्ल० की मुहब्बत व ताज़ीम उनके दिल में डाले कि असल ईमान व ऐन ईमान है। हुजूर पुरनूर सल्ल०

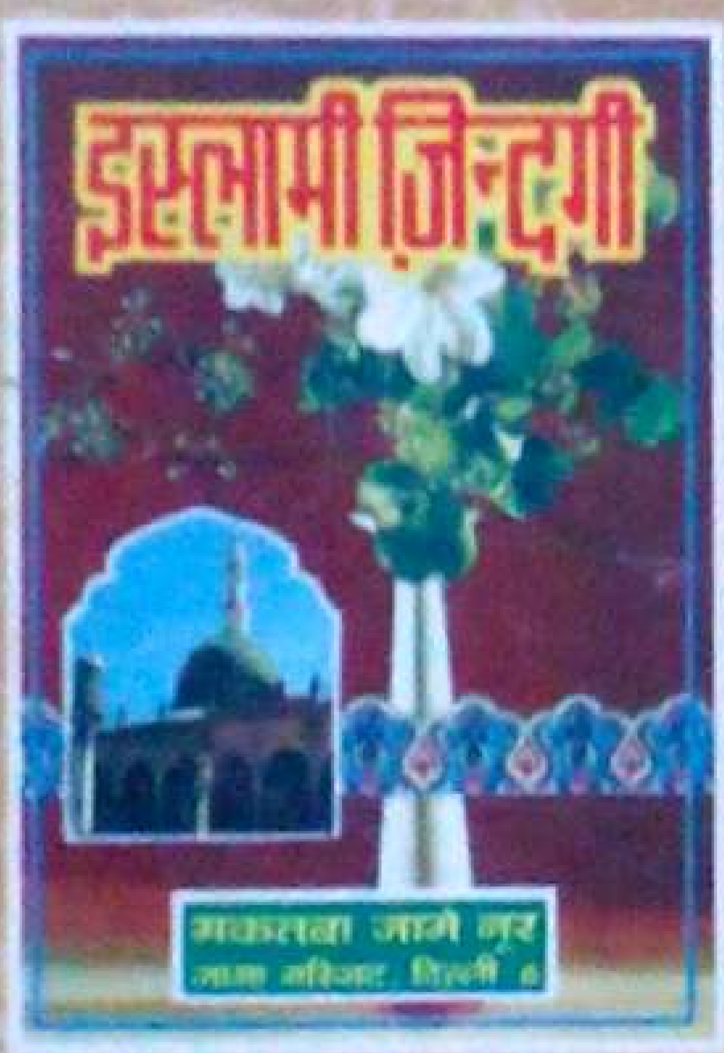
के आल व असहाब व औलिया व उलेमा की मुहब्बत व अज़मत तालीम करे कि असल सुन्नत व ज़ेवरे ईमान बल्कि बाइसे बक़ाए ईमान है। सात बरस की उम्र से नमाज़ की ज़बानी ताकीद शुरू करदे। इल्मे दीन खुसूसन वुज़ू गुस्ल, नमाज़ रोज़ा के मसाइल, तवक्कुल क़नाअत, ज़ुहद, इख्लास तवाज़ुअ, अमानत सिदक़, अदल, हया, सलामत,सदरुललिसान वग़ैरहा खूबियों के फ़ज़ायल, हिर्स, तमअ, हस्बे जाह, रिया ओजब तकब्बुर, खियानत, किज़्ब, ज़ुल्म, फ़ुहश, ग़ीबत, हसद, कीना वग़ैरहा बुराइयों के रज़ायल पढ़ाए। पढ़ाने सिखाने में रफ़क़ व नर्मी मलहूज़ रखे। मौके-मौके पर चश्म नुमाई तंबीह व तहदीद करे मगर कोसना न दे कि उसका कोसना उनके लिए मुसबबे इस्लाह न होगा बल्कि और ज़्यादा फ़साद का अंदेशा है ज़नहार-ज़नहार बुरी सोहबत में न बैठने दे कि यार बद मार बद से बदतर है न हरगिज़-हरगिज़ कुतुबे इश्किया व गज़लियात फ़सकिया देखने दे कि नर्म लकड़ी जिधर झुकाए झुक जाती है। जब दस बरस का हो नमाज़ मार कर पढ़ाए। खास लड़की के हुकूक से है कि उसके पैदा होने पर नाखुशी न करे बल्कि नेमते इलाहिया जाने, सीना पिरोना, कातना, खाना पकाना सिखाए। बेटों से ज़्यादा दिलजूई और खातिर दारी रखे उनका दिल बहुत थोड़ा होता है। देने में उन्हें और बेटों को कांटे की तोल बराबर रखे। जो चीज़ दे पहले उन्हें दे कर बेटों को दे।

जहां नाच गाना हो हरगिज़ न जाने दे अगरचे खास अपने भाई के यहां हो कि गाना सख्त संगीन जादू है। और इन नाज़ुक शीशों को थोड़ी ठेस बहुत है। बल्कि बेगानों में जाने की मुतलक़ बंदिश करे। घर को उन पर ज़िंदां कर दे। (मशअलतुल इर्शाद)











مکتبہ جام نور دہلی

Maktaba Jaam-e-Noor

422, Matia Mahal
Jama Masjid, Delhi - 6
Contacts
011-23281418, 8800522592
kausar1977@gmail.com